



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



हरियाणा सरकार
प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2020

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

**हरियाणा सरकार
प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2020**

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ/ अभ्युक्तियां
प्रस्तावना		v
कार्यकारी सार		vii
अध्याय-1		
राज्य सरकार के वित्त		
राज्य का प्रोफाइल	1.1	1
वित्त लेखे 2018-19 के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2	7
राजस्व प्राप्तियां	1.3	8
पूंजीगत प्राप्तियां	1.4	18
लोक लेखा प्राप्तियां	1.5	20
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.6	21
व्यय की गुणवत्ता	1.7	27
राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	30
परिसम्पत्तियां एवं देयताएं	1.9	35
ऋण प्रबंधन	1.10	38
राजकोषीय असंतुलन	1.11	44
निष्कर्ष	1.12	49
अध्याय-2		
वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	51
विनियोजन लेखों का संक्षेप	2.2	52
वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन	2.3	53
खजानों के कार्यचालन में पाई गई कमियां	2.4	58
बजटीय पूर्वानुमानों के विश्लेषण का परिणाम	2.5	59
चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	2.6	62
निष्कर्ष	2.7	66

अध्याय-3		
वित्तीय रिपोर्टिंग		
लेखांकन मानकों की अनुपालना	3.1	67
उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.2	67
लेखों के अप्रस्तुतिकरण/प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	3.3	68
प्रमाणीकरण के लिए स्वायत्त निकायों के लेखों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	3.4	69
विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम	3.5	69
दुरुपयोग, हानियां, गबन, इत्यादि	3.6	70
लेखों का गलत वर्गीकरण	3.7	71
व्यक्तिगत जमा खाते	3.8	71
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन	3.9	72
निष्कर्ष	3.10	72

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	राज्य प्रोफाइल	1.1	75
1.2	भाग-क: सरकारी लेखाओं का ढांचा एवं स्वरूप भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास	प्रस्तावना	76
1.3	राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति	प्रस्तावना	79
1.4	राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम डाटा	1.3	80
1.5	भाग-क: वर्ष 2018-19 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार भाग-ख: 31 मार्च 2019 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति	1.1.1 1.9.2	82 84
1.6	वर्ष 2018-19 के लिए चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) के अन्तर्गत निर्धारणों/प्रक्षेपणों की विवरणी	1.1.2	85
1.7	सांविधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति जो लेखों के प्रस्तुतिकरण वाले वर्ष तक हानियों में चल रहे थे	1.8.3	86
1.8	विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों की सारांशित वित्तीय विवरणी	1.8.4	87
1.9	कार्यान्वयनाधीन सार्वजनिक निजी साझेदारी मूलभूत संरचना परियोजनाओं के ब्यौरे	1.8.5	88
2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 100 करोड़ से अधिक थीं	2.2	90
2.2	बजट प्रावधान के बिना किए गए व्यय का विवरण (₹ एक करोड़ से अधिक)	2.3.1	91
2.3	मामलों के विवरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	2.3.5	92
2.4	वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में अधिक व्यय दर्शाने वाले ब्यौरे	2.3.6	94
2.5	भुगतान के समर्थन में वाऊचरों को प्रस्तुत न करने के खजानावार विवरण	2.4.2	95
2.6	मुख्य शीर्ष 8782-रेमिटेंसिस 103-वन रेमिटेंसिस के संबंध में शुद्ध अंतर दर्शाने वाली विवरणी	2.4.4	96
2.7	स्कीमों के विवरण (₹ एक करोड़ तथा अधिक) जिनके लिए बजट अनुमानों में प्रावधान किए गए परंतु संशोधित अनुमानों में वापिस ले लिए गए	2.5.3 (i)	98
2.8	स्कीमों के विवरण (₹ पांच करोड़ तथा उससे अधिक) जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान कम किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया	2.5.3 (ii)	99
2.9	स्कीमों के विवरण (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) जिनके लिए अनुमोदित परिव्यय और संशोधित अनुमानों में प्रावधान किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया	2.5.3 (iii)	101

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
2.10	स्कीमों के विवरण (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) जहां बजट अनुमानों में वृद्धि की गई परन्तु व्यय मूल प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था	2.5.3 (iv)	102
2.11	स्कीमों के विवरण (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) जिनके लिए संशोधित बजट कम किया गया था परन्तु वास्तविक व्यय संशोधित प्रावधान के 80 प्रतिशत से भी कम था	2.5.3 (v)	103
2.12	स्कीमों के ब्यौरे (₹ एक करोड़ और अधिक) जिनके लिए अनुमोदित बजट तथा संशोधित अनुमानों में समान प्रावधान रखा गया था परंतु वास्तविक व्यय प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था	2.5.3 (vii)	106
2.13	स्कीमों के ब्यौरे (₹ एक करोड़ और अधिक) जिनके लिए बजट अनुमान बढ़ाए गए थे परंतु व्यय, संशोधित अनुमानों के 80 प्रतिशत से कम था	2.5.3 (x)	108
2.14	स्कीमों के विवरण जिनमें बचत ₹ एक करोड़ से अधिक थी	2.6.1 (ii)	109
2.15	पिछले तीन वर्षों की सतत् बचतों से संबंधित शीर्ष-वार विवरण	2.6.1 (iii)	110
2.16	स्कीमों के विवरण जिनमें बचत ₹ एक करोड़ से अधिक थी	2.6.2 (ii)	111
2.17	पिछले तीन वर्षों की सतत् बचतों से संबंधित शीर्ष-वार विवरण	2.6.2 (iii)	113
2.18	चयनित अनुदानों के बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण में देरी का विवरण	2.6.3	115
3.1	31 मार्च 2019 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के ब्यौरे	3.2	116
3.2	निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शाने वाली विवरणी	3.3	118
3.3	स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.4	122
3.4	विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी	3.5	124
3.5	दुरुपयोग, गबन इत्यादि के मामलों का विभाग-वार/अवधि-वार विघटन, जिनमें अन्तिम कार्रवाई 30 जून 2019 तक लम्बित थी	3.6	125
3.6	सरकारी सामग्री की चोरी, दुरुपयोग/हानि के कारण सरकार को हानि के मामलों के विभाग/श्रेणीवार ब्यौरे	3.6	126
	शब्दावली		
	पारिभाषिक शब्दावली		127
	संकेताक्षरों की शब्दावली		129

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 एवं 2 में 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखों तथा विनियोजन लेखों की जांच से उठने वाले मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं। जहां आवश्यक थी, वहां हरियाणा सरकार से सूचना प्राप्त की गई है।

अध्याय 3 "वित्तीय रिपोर्टिंग" चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति को दर्शाता है।

विभिन्न विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा संपादन लेखापरीक्षा के परिणामों, सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से समायुक्त प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

हरियाणा सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 में राज्य के बजट अनुमानों की तुलना में वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों तथा सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरण की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा संरचनात्मक प्रोफाइल का विश्लेषण प्रकट करता है।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के लेखापरीक्षित लेखों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त अतिरिक्त आंकड़ों जैसे कि आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित, यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है।

अध्याय-1 वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा हरियाणा सरकार की 31 मार्च 2019 की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह प्राप्तियों तथा संवितरण की टाईम सीरीज, बाजार उधारों, व्यय की गुणवत्ता, सरकारी व्यय तथा निवेश, ऋण संपोषण क्षमता तथा राजकोषीय असन्तुलनों का वित्तीय विश्लेषण प्रदान करता है।

अध्याय-2 विनियोजन लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा विनियोजनों का अनुदान वार विवरण प्रदान करता है। यह वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन, खजानों की कार्यप्रणाली में कमियों तथा चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम का विस्तृत विवरण देता है।

अध्याय-3 हरियाणा सरकार द्वारा, विभिन्न रिपोर्टिंग अपेक्षाओं और वित्तीय नियमों की अनुपालना का विवरण प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा परिणाम

अध्याय 1

राज्य सरकार के वित्त

राजस्व घाटे के उत्तरोत्तर उन्मूलन द्वारा राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता में बुद्धिमता सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम, 2005 पारित किया गया था। यद्यपि चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया है।

[अनुच्छेद 1.1.2]

सरकारी विभागों ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 और हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के अंतर्गत संग्रहित उपकर को राज्य की समेकित निधि में लिए बिना हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड/हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के मामले में अधिनियम में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान है और निधि की लेखापरीक्षा की जा रही है। परन्तु, हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का

प्रावधान नहीं है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर के मामले में उचित लेखांकन प्रक्रिया का अभाव है क्योंकि इन प्राप्तियों को वर्गीकृत करने के लिए एक विशिष्ट उप-शीर्ष का संचालन नहीं किया गया है।

[अनुच्छेद 1.3.5]

वर्ष के दौरान ऋण एवं अग्रिमों की वसूली बकाया ऋणों का केवल 1.13 प्रतिशत थी। सहकारी चीनी मिलों को इस शर्त के साथ ऋण संवितरित किया गया था कि ऋण संस्वीकृति के बारह माह बाद नौ प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज सहित समान किशतों में पांच वर्ष में चुकाया जाएगा तथा पूर्ववर्ती ऋणों के पुनर्भुगतान में विफलता के मामले में नये ऋण का संवितरण नहीं किया जाएगा। फिर भी, पूर्ववर्ती ऋणों की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किए बिना चीनी मिलों को ऋण संस्वीकृत/वितरित किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप बकाया ऋण 1 अप्रैल 2009 में ₹ 618.40 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2019 को ₹ 2,647.86 करोड़ हो गए। चूंकि ऋणों की वसूली खराब रही है, राज्य सरकार द्वारा इन ऋणों एवं अग्रिमों को अनुदान के रूप में मानने और राजस्व व्यय के रूप में बुक करने पर विचार करना चाहिए ताकि लेखों का सही आकलन सुनिश्चित किया जा सके।

[अनुच्छेद 1.4.2]

वर्ष के दौरान कुल व्यय में से 83 प्रतिशत राजस्व व्यय था। 2018-19 के दौरान राजस्व व्यय का 65 प्रतिशत, चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, पेंशन देयताओं, ब्याज भुगतान और सब्सिडी पर किया गया। इसके अतिरिक्त, कुल सब्सिडी (₹ 8,549 करोड़) का 87 प्रतिशत (₹ 7,415 करोड़) केवल ऊर्जा क्षेत्र के लिए दिया गया।

[अनुच्छेद 1.6.1 एवं 1.6.3]

2018-19 के दौरान ₹ 15,307 करोड़ (कुल व्यय का 16.42 प्रतिशत) का पूंजीगत व्यय में उदय स्कीम के अंतर्गत बिजली क्षेत्र के ₹ 5,190 करोड़ के ऋणों को इक्विटी में परिवर्तन शामिल था। 2017-18 तक तीन विद्युत् कम्पनियों की संचित हानियां ₹ 29,453 करोड़ थीं।

[अनुच्छेद 1.6.1 एवं 1.8.3]

2018-19 की समाप्ति पर ₹ 2,985.55 करोड़ का रोकड़ शेष ₹ 6,315.60 करोड़ की निर्धारित आरक्षित निधि से कम था जो इंगित करता है कि आरक्षित निधि का उपयोग अभिप्रेत उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था।

[अनुच्छेद 1.8.7]

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 31 मार्च 2019 को ₹ 1,84,216 करोड़ थीं। स.रा.घ.उ. से राजकोषीय देयताओं के अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति थी जोकि 2014-15 में 20.23 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 26.05 प्रतिशत हो गया था। 2018-19 के अंत में ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 2.80 गुणा और राज्य के स्वयं के संसाधनों का 3.64 गुणा थीं।

[अनुच्छेद 1.9.2]

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 2014-15 में ₹ 58,143 करोड़ से ₹ 96,825 करोड़ (167 प्रतिशत) की बढ़ोतरी के साथ 2018-19 में ₹ 1,54,968 करोड़ हो गया था। 2018-19 में आंतरिक ऋण पर ब्याज के रूप में ₹ 11,988 करोड़ का भुगतान किया गया था।

[अनुच्छेद 1.10]

राज्य, राजस्व घाटे वाला राज्य बना रहा। 2018-19 के दौरान ₹ 11,270 करोड़ का राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों का 17 प्रतिशत था, जो यह दर्शाता है कि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं और उधार ली गई निधियों का उपयोग पूंजीगत सृजन की बजाय मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था।

[अनुच्छेद 1.11.1]

राजकोषीय घाटा जो 2017-18 में ₹ 19,114 करोड़ था, 2018-19 में बढ़कर ₹ 21,912 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा म.अ.वि.नी.वि. में नियत किए गए 2.82 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध स.रा.घ.उ. का 3.10 प्रतिशत था।

[अनुच्छेद 1.11.1]

प्राथमिक घाटा जो 2014-15 में 5,658 करोड़ था, 2015-16 में ₹ 23,195 करोड़ तक बढ़ गया और 2016-17 में घटकर ₹ 15,743 करोड़ हो गया, 2017-18 के दौरान घटकर ₹ 7,153 करोड़ हो गया परन्तु 2018-19 में बढ़कर ₹ 8,361 करोड़ हो गया। प्राथमिक घाटे का अस्तित्व इंगित करता है कि राज्य को अपने ऋणों पर ब्याज भुगतान करने के लिए भी ऋण लेने की आवश्यकता है।

[अनुच्छेद 1.11.1]

अध्याय-2

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2018-19 के दौरान, ₹ 1,41,732.90 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरुद्ध ₹ 1,21,362.76 करोड़ का व्यय किया गया था। ₹ 20,370.14 करोड़ की समग्र बचतें, विभिन्न अनुदानों में ₹ 20,411.68 करोड़ की बचत तथा तीन अनुदानों के अंतर्गत ₹ 41.54 करोड़ के अधिक व्यय के कारण थीं। जिसे वर्ष 2017-18 से संबंधित ₹ 540.60 करोड़ के अधिक व्यय के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित करवाए जाने की आवश्यकता थी।

[अनुच्छेद 2.2 एवं 2.3.2]

2014-19 के दौरान 18 अनुदानों और एक विनियोजन में सतत बचत दर्ज की गई। 37 मामलों में, पूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान से कम रहा। 13 अनुदानों के अंतर्गत 17 प्रमुख शीर्षों में 52 प्रतिशत व्यय मार्च 2019 में किया गया जो वर्ष के अंतिम माह में व्यय के आधिक्य को दर्शाता है तथा सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56 के प्रावधानों के विपरीत था। 2018-19 के दौरान ₹ 2,045.91 करोड़ के अनुमोदित अनुमान वाली 71 विकास योजनाएं कार्यान्वित नहीं की गई थीं।

[अनुच्छेद 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 एवं 2.5.3]

अध्याय-3

वित्तीय रिपोर्टिंग

राज्य द्वारा भारत सरकार के लेखांकन मानकों (आई.जी.ए.एस.)-3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम का अनुपालन नहीं किया गया है क्योंकि अतिदेय मूलधन और ब्याज की विस्तृत जानकारी नहीं दी गई थी और प्रत्येक ऋणी की शेष राशि की पुष्टि प्रदान नहीं की गई थी।

[अनुच्छेद 3.1]

विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किए गए ₹ 8,469.49 करोड़ के ऋणों तथा अनुदानों से संबंधित 1,732 उपयोगिता प्रमाण-पत्र 31 मार्च 2019 को बकाया थे। 87 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, के 166 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2019 तक बकाया थे।

[अनुच्छेद 3.2 एवं 3.3]

राज्य सरकार ने ₹ 1.28 करोड़ की राशि के सरकारी धन से आवेष्टित दुरुपयोग, जालसाजी इत्यादि के 75 मामले सूचित किए जिन पर जून 2019 तक अंतिम कार्यवाही की जानी लंबित थी। इनमें से 40 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे।

[अनुच्छेद 3.6]

2018-19 के दौरान, ₹ 8,581.76 करोड़ के व्यय (कुल व्यय का 9.28 प्रतिशत) वित्त लेखों में उपयुक्त रूप से लेखाकृत करने के बजाय बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे जो वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

[अनुच्छेद 3.7]

अध्याय-1
राज्य सरकार के वित्त

अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

प्रस्तावना

यह अध्याय 2018-19 के दौरान हरियाणा सरकार की वित्तीय स्थिति के व्यापक स्वरूप को प्रस्तुत करता है तथा पिछले पांच वर्षों की समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के मुख्य राजकोषीय पहलुओं में अवलोकित परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। सरकारी लेखाओं की संरचना एवं स्वरूप की व्याख्या **परिशिष्ट 1.2 भाग क** में की गई है तथा वित्त लेखाओं की स्थिति **परिशिष्ट 1.2 भाग ख** में दर्शाई गई है। राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई पद्धतियां **परिशिष्ट 1.3** में दी गई हैं।

1.1 राज्य का प्रोफाइल

हरियाणा 22 जिलों वाला कृषिक राज्य है जिसके 14 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। राज्य राष्ट्रीय राजधानी के निकट स्थित है। भौगोलिक क्षेत्र (44,212 वर्ग किलोमीटर) की दृष्टि से यह 21वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से 18वां बड़ा राज्य है (2011 की जनगणना के अनुसार)। राज्य की जनसंख्या 2001 में 2.11 करोड़ से 20.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2011 में 2.54 करोड़ हो गई। राज्य की 11.20 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी जोकि अखिल भारतीय औसत 21.90 प्रतिशत से कम है। वर्तमान मूल्यों पर 2018-19 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 7,07,126 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 2001 में 67.91 प्रतिशत थी जोकि 2011 में बढ़कर 75.60 प्रतिशत हो गई (**परिशिष्ट 1.1**)। वर्ष 2018-19 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 2,26,644¹ थी।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद, एक निश्चित समयावधि में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त सभी निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है। स.रा.घ.उ. में हुई बढ़ोतरी राज्य के लोगों के जीवन स्तर में सुधार का महत्वपूर्ण सूचक है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) तथा हरियाणा के स.रा.घ.उ. की वार्षिक बढ़ोतरी में प्रवृत्तियां **तालिका 1.1** में इंगित की गई हैं:

¹ स्रोत: हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण, 2018-19

तालिका 1.1: भारत के स.घ.उ. एवं राज्य के स.रा.घ.उ. की तुलनात्मक विवरणी


वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्तमान मूल्य					
भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,24,67,959	1,37,71,874	1,53,62,386	1,70,95,005	1,90,10,164
स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	10.99	10.46	11.55	11.28	11.20
राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	4,37,145	4,95,249	5,56,325	6,26,054	7,07,126
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर(प्रतिशतता)	9.49	13.29	12.33	12.53	12.95
पड़ोसी राज्यों की वृद्धि दर					
पंजाब	6.91	9.85	9.46	12.21	8.92
उत्तराखण्ड	8.29	9.74	10.14	14.20	10.35
स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011-12)					
भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,05,27,674	1,13,69,493	1,22,98,327	1,31,78,857	1,40,77,586
स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	7.41	8.00	8.17	7.17	6.81
राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	3,70,535	4,13,175	4,50,668	4,86,239	5,26,055
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	6.63	11.51	9.07	7.89	8.19

(स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा तथा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय)

1.1.1 राजकोषीय लेन-देनों का सार

सरकार के वित्तों में निम्नलिखित शामिल हैं:

चार्ट 1.1: सरकारी लेखे की संरचना



स्रोत: बजट मैनुअल पर आधारित

राज्य सरकार के चालू वर्ष (2018-19) के दौरान राजकोषीय लेन-देनों का सार तथा पिछले वर्ष (2017-18) से तुलना तालिका 1.2 में दी गई है।

तालिका 1.2: 2018-19 में राजकोषीय लेन-देनों का सार


(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	2017-18	2018-19	संवितरण	2017-18	2018-19
भाग-क: राजस्व					
राजस्व प्राप्तियां	62,694.87	65,885.12	राजस्व व्यय	73,257.36	77,155.54
कर राजस्व	41,099.38	42,581.34	सामान्य सेवाएं	26,698.68	28,168.97
कर-भिन्न राजस्व	9,112.85	7,975.64	सामाजिक सेवाएं	28,061.34	29,743.19
संघीय करों/शुल्कों का अंश	7,297.52	8,254.60	आर्थिक सेवाएं	18,106.82	19,021.58
भारत सरकार से अनुदान	5,185.12	7,073.54	सहायता अनुदान एवं अंशदान	390.52	221.80
भाग-ख: पूंजीगत तथा अन्य					
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	39.87	49.01	पूंजीगत परिव्यय	13,537.90	15,306.60
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	6,340.93	5,371.90	ऋण एवं अग्रिम संवितरण	1,394.89	755.64
लोक ऋण प्राप्तियां	21,489.76	34,264.97	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	6,338.85	17,183.87
आकस्मिक निधि	26.77	12.18	आकस्मिक निधि	26.77	12.18
लोक लेखा प्राप्तियां	33,894.25	40,785.09	लोक लेखा संवितरण	31,171.48	37,386.35
आरंभिक रोकड़ शेष	5,658.26	4,417.46	अंतिम रोकड़ शेष	4,417.46	2,985.55
कुल	1,30,144.71	1,50,785.73	कुल	1,30,144.71	1,50,785.73

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

परिशिष्ट 1.5 भाग-क में चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण दिये गए हैं।

2018-19 के दौरान राज्य की समेकित निधि में निधियों की प्राप्ति एवं अनुप्रयोग का विवरण चार्ट 1.2 और चार्ट 1.3 में दिया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे

2018-19 में राज्य के वित्तों के मूल मापदंडों (चार्ट 1.2 और चार्ट 1.3) की गत वर्ष 2017-18 से तुलना नीचे दी गई है:

तालिका 1.3: मूल मापदण्ड

सकारात्मक संकेत	मापदण्ड जिन पर ध्यान की आवश्यकता है
↑ लोक ऋण के पुनर्भुगतान में 171 प्रतिशत की वृद्धि	↑ कर राजस्व में मात्र चार प्रतिशत की वृद्धि
↑ केंद्रीय करों/शुल्कों के हिस्से में 13.12 प्रतिशत की वृद्धि	↓ कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों में 12.48 प्रतिशत की कमी
↑ सहायतानुदान में 36.42 प्रतिशत की वृद्धि	↓ ऋणों और अग्रिमों की वसूली में ₹ 969.03 करोड़ (15.28 प्रतिशत) की कमी
	↓ लोक ऋण प्राप्तियों में 59.45 प्रतिशत की वृद्धि
	↓ रोकड़ शेष में ₹ 1,431.91 करोड़ (32.41 प्रतिशत) की कमी

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

हरियाणा में राजकोषीय सुधार पथ

हरियाणा में राजस्व घाटा दूर करने तथा वित्तीय घाटे को निर्धारित सीमा में रखने के उद्देश्य से 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 6 जुलाई 2005 को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम लागू करके राज्य सरकार ने राजकोषीय सुधार एवं समेकन को प्राथमिकता दी। भारत सरकार से जरूरी दिशानिर्देश न मिलने के कारण हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में अपेक्षित संशोधन नहीं किए गए।

चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) द्वारा 2015-16 से 2019-20 की अवधि हेतु राज्य के लिए चालू कीमतों पर स.रा.घ.उ. में 15.73 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि प्रक्षेपित की गई है। मुख्य राजकोषीय घटकों के लिए चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, बजट प्रावधानों तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) के लक्ष्यों का तुलनात्मक अध्ययन तालिका 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: मुख्य राजकोषीय संकेतकों में प्रक्षेपणों से भिन्नताएं (स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता)


राजकोषीय संकेतक	2018-19						
	चौ.वि.आ. द्वारा यथा निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना/ म.अ.रा.नी. में किए गए प्रक्षेपण	वास्तविक	प्रक्षेपणों से वास्तविकों की भिन्नता		
					चौ.वि.आ. द्वारा यथा निर्धारित लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना/ म.अ.रा.नी. के प्रक्षेपण
राजस्व घाटा (-)/सरप्लस (+)	(+) 1.03	(-) 1.20	(-) 1.20	(-) 1.59	(-) 2.62	(-) 0.39	(-) 0.39
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	(-) 3.25	(-) 2.82	(-) 2.82	(-) 3.10	(+) 0.15	(-) 0.28	(-) 0.28
कुल बकाया ऋण का स.रा.घ.उ. से अनुपात	उदय सहित	20.92	23.44	23.44	26.05	(-) 5.13	(-) 2.61
	उदय को छोड़कर	--	19.66	19.66	22.38	-	(-) 2.72

- चौ.वि.आ. की अनुशंसा के अनुसार राज्य को राजस्व आधिक्य होना चाहिए और वर्ष 2018-19 के लिए राजस्व आधिक्य का अनुमान ₹ 7,253 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 1.03 प्रतिशत) रखा गया था, जिसके विरुद्ध ₹ 11,270 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 1.59 प्रतिशत) का वास्तविक राजस्व घाटा हुआ। राज्य का राजस्व घाटा, बजट तथा म.अ.रा.नी.वि. (परिशिष्ट 1.6) में किए गए प्रक्षेपण से अधिक था।
- राजकोषीय घाटा चौ.वि.आ. की सिफारिशों के भीतर था, लेकिन बजट और म.अ.रा.नी.वि. में किए गए अनुमानों से अधिक था। राज्य की बकाया देनदारियां स.रा.घ.उ. की 26.05 प्रतिशत थीं जोकि चौ.वि.आ. की सिफारिशों के साथ-साथ बजट और म.अ.रा.नी.वि. में किए गए अनुमानों से अधिक थीं।

राज्य सरकार ने चौ.वि.आ. की अनुशंसा के अनुसार हरियाणा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में आवश्यक संशोधन नहीं किए थे। राज्य, राजस्व घाटे और बकाया ऋण के संबंध में चौ.वि.आ. द्वारा अनुशंसित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा।

1.1.3 बजट अनुमान तथा वास्तविक

बजट दस्तावेज किसी भी वित्तीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के अनुमान प्रदान करते हैं। राजस्व एवं व्यय के अनुमान जहां तक संभव हो सटीक बनाए जाने चाहिए ताकि भिन्नताओं का विश्लेषण करके उचित कारणों का पता किया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानकों के लिए बजट अनुमान तथा वास्तविक राशियां चार्ट 1.4 में दी गई हैं।



- ₹ 76,933 करोड़ की लक्षित राजस्व प्राप्ति के विरुद्ध वास्तविक राजस्व प्राप्ति ₹ 65,885 करोड़ (85.64 प्रतिशत) थी।
- कर प्राप्ति के अंतर्गत ₹ 58,432 करोड़ की पूर्वानुमानित प्राप्ति के विरुद्ध केवल ₹ 50,836 करोड़ की प्राप्ति थी इसका मुख्य कारण बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर में क्रमशः ₹ 11,440 करोड़ तथा ₹ 23,760 करोड़ के अनुमान के विरुद्ध ₹ 8,998 करोड़ तथा ₹ 18,613 करोड़ की प्राप्ति थी।
- कर-भिन्न प्राप्ति ₹ 18,501 करोड़ के पूर्वानुमान के विरुद्ध केवल ₹ 15,049 करोड़ (81.34 प्रतिशत) थी। मुख्यतः शहरी विकास (₹ 1,684 करोड़), शिक्षा (₹ 901 करोड़) तथा सड़क परिवहन (₹ 803 करोड़) में अनुमान से कम प्राप्ति हुई।

- सामाजिक सेवाओं में ₹ 4,433 करोड़, आर्थिक सेवाओं में ₹ 1,895 करोड़, सामान्य सेवाओं में ₹ 1,620 करोड़ तथा सहायतानुदान में ₹ 84 करोड़ के कम राजस्व व्यय के कारण बजट प्रावधानों की तुलना में वास्तविक राजस्व व्यय ₹ 8,032 करोड़ कम था।
- वर्ष के दौरान, राज्य ने सामाजिक सेवाओं (₹ 1,065 करोड़), सामान्य सेवाओं (₹ 119 करोड़) तथा ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण (₹ 1,011 करोड़) में कम व्यय के कारण ₹ 17,546 करोड़ के बजट अनुमान के विरुद्ध ₹ 16,062 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया। तथापि, आर्थिक सेवाओं में पूंजीगत व्यय, बजट प्रावधानों से ₹ 711 करोड़ अधिक था।
- वास्तविक राजस्व, वित्तीय तथा प्राथमिक घाटे बजट अनुमानों से अधिक थे।

राजस्व घाटा स.रा.घ.उ का 1.59 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा स.रा.घ.उ. का 3.10 प्रतिशत था जोकि वार्षिक बजट के साथ-साथ म.अ.रा.नी.वि. के अनुमानों क्रमशः 1.20 प्रतिशत तथा 2.82 प्रतिशत से अधिक था। राज्य, चौ.वि.आ. द्वारा अनुशंसित राजस्व आधिक्य के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका।

1.1.4 उत्प्लावकता अनुपात

उत्प्लावकता अनुपात राजकोषीय मद की, आधार मद में दिए गए मद के सापेक्ष प्रतिक्रियाशीलता/लचीलेपन की मात्रा को इंगित करता है। स.रा.घ.उ. की तुलना में राजस्व प्राप्तियों, राज्य की स्व कर प्राप्तियों, कुल व्यय और राजकोषीय देयताओं का उत्प्लावकता अनुपात **तालिका 1.5** में दिया गया है।

तालिका 1.5: स.रा.घ.उ. की तुलना में प्राप्तियों, व्यय और राजकोषीय देयताओं का उत्प्लावकता अनुपात

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	4,37,145	4,95,249	5,56,325	6,26,054	7,07,126
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.49	13.29	12.33	12.53	12.95
राजस्व प्राप्तियां					
वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	40,799	47,557	5,2497	62,695	65,885
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.33	16.56	10.39	19.43	5.09
स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों की उत्प्लावकता	0.77	1.25	0.84	1.55	0.39
राज्य का स्व कर राजस्व					
वर्ष के दौरान स्व कर राजस्व (₹ करोड़ में)	27,635	30,929	34,026	41,099	42,581
स्व कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	8.09	11.92	10.01	20.79	3.61
स.रा.घ.उ. के साथ स्व कर राजस्व की उत्प्लावकता	0.85	0.90	0.81	1.66	0.28
कुल व्यय					
वर्ष के दौरान कुल व्यय (₹ करोड़ में)	53,677	79,394	79,781	88,190	93,218
कुल व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.19	47.91	0.49	10.54	5.70
स.रा.घ.उ. के साथ कुल व्यय की उत्प्लावकता	1.60	3.60	0.04	0.84	0.44
राजकोषीय देयताएं					
वर्ष की समाप्ति पर राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़ में)	88,446	1,20,718	1,46,371	1,64,076	1,84,216
राजकोषीय देयताओं की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.97	36.49	21.25	12.10	12.27
स.रा.घ.उ. के साथ राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावकता	1.68	2.75	1.72	0.97	0.95


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


यह देखा जा सकता है कि स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों और स्व कर राजस्व की उत्पलावकता 2018-19 के दौरान कम थी। यह इंगित करता है कि 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर से कम थी। स्व कर राजस्व की वृद्धि दर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर से बहुत कम थी। राजकोषीय देयताओं की वृद्धि दर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर के लगभग समान थी।

1.2 वित्त लेखे 2018-19 के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व तथा पूंजीगत, प्राप्तियों के दो प्रवाह हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों को संघटित करते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायतानुदान शामिल रहते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार एवं वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से ऋण) तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम के साथ-साथ लोक लेखा से एकत्रित राशियां शामिल होती हैं। **तालिका 1.2** चालू वर्ष के दौरान राज्य की इसके वार्षिक वित्त लेखाओं के अनुसार प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है। जबकि **चार्ट 1.6**, 2014-19 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाता है। **चार्ट 1.5** तथा **चार्ट 1.7** चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संरचना को दर्शाता है।

चार्ट 1.5: संसाधनों के घटक तथा उप-घटक






(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

* निवल लोक लेखा प्राप्ति (₹ 3,399 करोड़) = लोक लेखा प्राप्ति (₹ 40,785 करोड़) में से लोक लेखा संवितरण (₹ 37,386 करोड़) घटाने के बाद।


सरकार की कुल प्राप्ति 2014-19 के दौरान ₹ 46,565 करोड़ (74.62 प्रतिशत) बढ़ गई। इसी अवधि के दौरान राजस्व प्राप्ति ₹ 25,086 करोड़ (61.49 प्रतिशत) बढ़ गई। पूंजीगत प्राप्ति, जिनमें ऋणों एवं अग्रिमों तथा लोक ऋण की वसूली शामिल है, ₹ 20,535 करोड़ (107.23 प्रतिशत) बढ़ गई और निवल लोक लेखा प्राप्ति ₹ 944 करोड़ (38.45 प्रतिशत) बढ़ गई।



कुल प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति का अंश 2014-15 में 65.38 प्रतिशत से 2018-19 में घटकर 60.46 प्रतिशत हो गया। 2014-19 के दौरान निवल लोक लेखा प्राप्ति का अंश 3.93 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 3.12 प्रतिशत हो गया तथा लोक ऋण सहित पूंजीगत प्राप्ति का अंश 30.69 प्रतिशत से बढ़कर 36.42 प्रतिशत हो गया जो ऋणों पर अधिक निर्भरता दर्शाता है।

1.3 राजस्व प्राप्ति

2014-19 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्तियों एवं संघटकों को परिशिष्ट 1.4 में प्रस्तुत किया गया है तथा चार्ट 1.8 में भी दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान 61.49 प्रतिशत बढ़ गईं। इसी अवधि के दौरान राज्य का स्व कर राजस्व 54.08 प्रतिशत, भारत सरकार से सहायता अनुदान 41.38 प्रतिशत तथा केन्द्रीय कर अंतरण 132.67 प्रतिशत बढ़ गए। कुल राजस्व में राज्य के स्व कर राजस्व (कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व) का अंश 2014-15 में 79.04 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 76.74 प्रतिशत रह गया। भारत सरकार से सहायता अनुदान का अंश 2014-15 में 12.26 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 10.74 प्रतिशत हो गया। केन्द्रीय कर अंतरण का अंश 2014-15 से 2018-19 के दौरान 8.70 प्रतिशत से बढ़कर 12.53 प्रतिशत हो गया।

चालू वर्ष के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में केवल 5.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वह भी संघीय करों और शुल्कों के राज्यांश में ₹ 957 करोड़ (13.11 प्रतिशत) की वृद्धि और भारत सरकार द्वारा सहायतानुदान में ₹ 1,888 करोड़ (36.41 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण। राज्य का स्व राजस्व (कर एवं कर-भिन्न) केवल ₹ 345 करोड़ (0.69 प्रतिशत) बढ़ा। राज्य के कर राजस्व में ₹ 1,482 करोड़ की वृद्धि हुई परन्तु कर-भिन्न राजस्व (₹ 1,137 करोड़) में कमी के कारण यह वृद्धि कम हो गई थी। राजस्व प्राप्तियों और स्व कर राजस्व में वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियां तालिका 1.6 में दर्शाई गई हैं:

तालिका 1.6: राजस्व प्राप्तियों और स्व कर राजस्व में वार्षिक वृद्धि में प्रवृत्तियां

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	40,799	47,557	52,497	62,695	65,885
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	7.33	16.56	10.39	19.43	5.09
स्व कर राजस्व (₹ करोड़ में)	27,635	30,929	34,026	41,099	42,581
स्व कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	8.09	11.92	10.01	20.79	3.61

चालू वर्ष में राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 5.09 प्रतिशत थी जो कि सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर 12.77 प्रतिशत से कम थी (परिशिष्ट 1.1)।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्यांश वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन इसके स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोतों के संदर्भ में किया जाता है।

चौ.वि.आ. तथा म.अ.रा.नी.वि. द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2018-19 के लिए राज्य की वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां **तालिका 1.7** में दी गई हैं।

तालिका 1.7: चौ.वि.आ. तथा म.अ.रा.नी.वि. द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में वास्तविक कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां

	चौ.वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण	वास्तविक	पर वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता		
					चौ.वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण
					कर राजस्व	66,779	49,132 ²
कर-भिन्न राजस्व	4,814	11,303 ³	11,303	7,976	65.68	(-) 29.43	(-) 29.43

(₹ करोड़ में)

राज्य के स्व कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक संग्रहण चौ.वि.आ. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 36.24 प्रतिशत तथा बजट अनुमानों तथा म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से 13.33 प्रतिशत कम रहा। कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां चौ.वि.आ. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 65.68 प्रतिशत अधिक थीं किंतु बजट अनुमानों एवं म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से 29.43 प्रतिशत कम रही।

अतः राज्य सरकार बजट और म.अ.रा.नी.वि. में अपने अनुमानित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी।

1.3.1.1 कर राजस्व

करों एवं शुल्कों में सकल संग्रहण **तालिका 1.8** में दिए गए हैं जो 2014-19 के दौरान राज्य के स्व कर राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को भी दर्शाते हैं।

तालिका 1.8: राज्य के अपने स्रोतों के घटक

राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	18,993.25 (13)	21,060.23 (11)	23,488.41 (12)	15,608.92 (-34)	8,998.00 (-42)
जी.एस.टी.	-	-	-	10,833.43	18,612.72 (72) ⁴
राज्य उत्पाद शुल्क	3,470.45 (-6)	4,371.08 (26)	4,613.13 (6)	4,966.21 (8)	6,041.87 (22)
वाहनों पर कर	1,191.50 (9)	1,400.38 (18)	1,583.06 (13)	2,777.57 (75)	2,908.29 (5)
स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन फीस	3,108.70 (-3)	3,191.21 (3)	3,282.63 (3)	4,192.49 (28)	5,636.17 (34)
भू-राजस्व	15.28 (23)	14.97 (-2)	16.09 (7)	18.07 (12)	19.19 (6)
माल तथा यात्रियों पर कर	527.07 (6)	554.25 (5)	594.59 (7)	2,317.47 (290)	20.70 (-99)
अन्य कर ⁵	328.32 (14)	336.97 (3)	4,47.77 (33)	385.22 (-14)	344.40 (-11)
कुल	27,634.57 (8)	30,929.09 (12)	34,025.68 (10)	41,099.38 (21)	42,581.34 (4)

(₹ करोड़ में)

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2014-19 के दौरान कर राजस्व में ₹ 14,946.77 करोड़ (54.09 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। सभी प्रमुख करों एवं शुल्कों ने वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की। किन्तु 2017-18 की तुलना में 2018-19


² केन्द्रीय करों का राज्यांश छोड़कर।

³ सहायता अनुदान का राज्यांश छोड़कर।

⁴ वर्ष 2017-18 के लिए वस्तु एवं सेवा कर की राशि नौ माह के लिए है जबकि 2018-19 के लिए 12 माह की। इसलिए तुलना नहीं की जा सकती।

⁵ अन्य करों में, कृषि भूमि के अतिरिक्त अचल संपत्ति पर कर, विद्युत तथा कृषि आय पर कर एवं शुल्क शामिल हैं।

में कर वस्तु एवं सेवा कर में मिल जाने वाले करों जैसे कि बिक्री, व्यापार, आदि पर कर, माल तथा यात्रियों पर कर (स्थानीय क्षेत्र में आगमन पर वस्तुओं पर कर) और अन्य करों में कमी दर्ज की गई।



हरियाणा में स्व कर तथा स.घ.रा.उ. का अनुपात 2014-17 अवधि के दौरान पंजाब से कम था। परन्तु 2017-18 में हरियाणा का स्व कर तथा स.घ.रा.उ. अनुपात 6.56 प्रतिशत पर पंजाब के अनुपात 6.35 प्रतिशत से थोड़ा अधिक था और 2018-19 के दौरान यह पंजाब से थोड़ा कम था।

वस्तु एवं सेवा कर

राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) अधिनियम 1 जुलाई 2017 से लागू किया। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजे) अधिनियम 2017 के अनुसार, केंद्र सरकार पांच साल की अवधि के लिए जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण राज्यों के राजस्व में हुई हानि की क्षतिपूर्ति करेगी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए मुआवजे की गणना भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के उपरांत अंतिम राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति के बाद की जाएगी। जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के राजस्व आंकड़ों को आधार माना गया था। हरियाणा के मामले में, आधार वर्ष (2015-16) के दौरान राजस्व ₹ 15,230.59 करोड़ था। किसी राज्य में किसी भी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व की गणना उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित विकास दर (14 प्रतिशत प्रतिवर्ष) लागू करके की जानी थी।

आधार वर्ष के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए अनुमानित राजस्व ₹ 22,564.79⁶ करोड़ बनता है। वर्ष 2018-19 के वित्त लेखे में जी.एस.टी. की प्राप्ति के आंकड़े, प्राप्ति की प्रकृति के अनुसार अर्थात् राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.), इनपुट टैक्स क्रेडिट का एस.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी. (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर) में आबंटन, आई.जी.एस.टी. का विभाजन तथा आई.जी.एस.टी. से अग्रिम विभाजन के रूप में चित्रित किए गए हैं। ₹ 22,564.79 करोड़ के अनुमानित राजस्व के विरुद्ध वर्ष 2018-19 के दौरान जी.एस.टी. के अंतर्गत राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति ₹ 18,597.93 करोड़ तथा प्राप्त मुआवजा राशि

⁶ 2018-19 के लिए ₹ 15,230.59 x (1 + 14/100)³ = ₹ 22,564.79 करोड़।

₹ 2,820 करोड़ रही, जैसा कि **तालिका 1.9** में दर्शाया गया है। इस प्रकार, कुल मिलाकर 31 मार्च 2019 को मुआवजे की प्राप्ति में ₹ 1,146.86 करोड़ की कमी थी।

तालिका 1.9: माह-वार प्राप्त जी.एस.टी. एवं मुआवजा प्राप्ति की स्थिति

(₹ करोड़ में)

माह	संरक्षित किया जाने वाला मासिक राजस्व	जी.एस.टी. पूर्व के करों का संग्रहण [#]	संग्रहित एस.जी.एस.टी.	आई.जी.एस.टी. का अनन्तिम विभाजन	कुल राशि	प्राप्त मुआवजा	कमी (+)/ अधिक (-)
	1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7 (1-(5+6))
अप्रैल 2018	1,880.40	(-) 13.54	1,088.81	375.42	1,450.69	0.00	429.71
मई 2018	1,880.40	2.40	966.73	312.43	1,281.56	262.00	336.84
जून 2018	1,880.40	(-) 8.00	1,061.10	309.65	1,362.75	0.00	517.65
जुलाई 2018	1,880.40	(-) 3.38	953.07	1,353.47	2,303.16	0.00	(-) 422.76
अगस्त 2018	1,880.40	16.34	1,043.37	229.16	1,288.87	0.00	591.53
सितंबर 2018	1,880.40	(-) 3.72	999.74	439.14	1,435.16	588.00	(-) 142.76
अक्टूबर 2018	1,880.40	21.16	1,035.59	282.25	1,339.00	0.00	541.40
नवंबर 2018	1,880.40	13.83	1,031.79	885.64	1,931.26	555.00	(-) 605.86
दिसंबर 2018	1,880.40	(-) 97.31	946.68	754.22	1,603.59	0.00	276.81
जनवरी 2019	1,880.40	10.12	1,015.15	397.40	1,422.67	882.00	(-) 424.27
फरवरी 2019	1,880.40	19.51	1,037.18	364.23	1,420.92	0.00	459.48
मार्च 2019	1,880.39	27.80	1,080.76	649.74	1,758.30	533.00	(-) 410.91
कुल	22,564.79	(-) 14.79	12,259.97	6,352.75	18,597.93	2,820.00	(+) 1146.86

स्रोत: प्र.म.ले. (ले. व हक.) हरियाणा तथा आबकारी एवं कराधान विभाग से प्राप्त सूचना

इसमें वैट और केन्द्रीय बिक्री कर (रिफंड देने के बाद निवल) तथा जी.एस.टी. में सम्मिलित किये गए करों से प्राप्त राजस्व शामिल हैं, पेट्रोलियम उत्पादों और शराब पर वैट और केन्द्रीय बिक्री कर को छोड़कर।

आई.जी.एस.टी. से अग्रिम विभाजन

आई.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 17 के अंतर्गत राज्य सरकारों को आई.जी.एस.टी. का वितरण किया जाना है। राज्य कर प्रभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (भा.स.) द्वारा वर्ष 2018-19 में ₹ 2,476.10 करोड़ के अनन्तिम/अग्रिम विभाजन की मंजूरी प्रदान की गई। परंतु, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान इन अग्रिम वितरणों के विरुद्ध ₹ 133.40 करोड़ (प्रत्येक ₹ 66.70 करोड़ की दो किश्तें) की राशि को समायोजित कर दिया गया जिसके फलस्वरूप वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 2,342.70 करोड़ की निवल राशि प्राप्त हुई।

वस्तु एवं सेवा कर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

वस्तु एवं सेवा कर-संग्रह की प्रक्रिया के स्वचालित होने के कारण, यह आवश्यक है कि लेखा परीक्षा को भी नमूना जांच से बढ़ा कर सभी लेन-देनों की व्यापक जांच पर परिवर्तित किया जाये ताकि लेखाओं को प्रमाणित करने के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संवैधानिक अधिदेश को पूरा किया जा सके। इसके लिए आवश्यक डाटा उपलब्ध करवाना अभी शेष है। डाटा की अनुपलब्धता वस्तु एवं सेवा कर के लेन-देनों की व्यापक लेखापरीक्षा में रुकावट है। इसलिए, एक बार अपवाद के रूप में वर्ष 2018-19 के लेखे नमूना-लेखापरीक्षा के आधार पर प्रमाणित किए गए हैं, जैसा मैनुअल अभिलेखों के समय में किया जाता था।

कर संग्रहण की लागत

वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान प्रमुख करों के संग्रहण तथा उनके संग्रहण पर किए गए व्यय की प्रतिशतता **तालिका 1.10** में दी गई है, जो दर्शाते हैं कि राज्य में संग्रहण की लागत अखिल भारतीय औसत से कम है।


तालिका 1.10: करों के संग्रहण की लागत

शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	अखिल भारतीय औसत
		(₹ करोड़ में)			
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2016-17	23,488.41	141.80	0.60	0.69
	2017-18	15,608.92	147.94	0.95	0.69
	2018-19	8,998.00	151.08	1.68	उपलब्ध नहीं
वाहनों पर कर	2016-17	1,583.06	28.57	1.80	2.61
	2017-18	2,777.57	38.23	1.38	2.61
	2018-19	2,908.29	55.79	1.92	उपलब्ध नहीं
राज्य उत्पाद शुल्क	2016-17	4,613.13	34.63	0.75	2.01
	2017-18	4,966.21	42.33	0.85	1.83
	2018-19	6,041.87	38.08	0.63	उपलब्ध नहीं
स्टाम्प एवं पंजीकरण	2016-17	3,282.63	10.50	0.32	2.99
	2017-18	4,192.49	9.82	0.23	2.96
	2018-19	5,636.17	9.41	0.17	उपलब्ध नहीं

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

पांच वर्षों (2014-19) के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि चार्ट 1.10 तथा तालिका 1.11 में दी गई है जोकि 2014-19 के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाती है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 1.11: 2014-19 के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
ब्याज प्राप्तियां	933.59 (-14)	1,087.49 (16)	2,309.79 (112)	2,227.82 (-4)	1,953.84 (-12)
लाभांश तथा लाभ	5.80 (-11)	15.89 (174)	5.89 (-63)	7.53 (28)	56.60 (652)
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	3,673.73 (-5)	3,649.10 (-1)	3,880.41 (6)	6,877.50 (77)	5,965.20 (-13)
ए) बृहद् तथा मध्यम सिंचाई	129	110	113	132	164
बी) सड़क परिवहन	1,235	1,255	1,265	1,280	1,197
सी) शहरी विकास	861	422	599	2,861	2,316
डी) शिक्षा	564	637	640	674	272
ई) अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	43	272	497	713	583
कुल	4,613.12 (-7)	4,752.48 (3)	6,196.09 (30)	9,112.85 (47)	7,975.64 (-12)

(पिछले वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2014-19 के दौरान कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 3,362.52 करोड़ (72.89 प्रतिशत) बढ़ गईं। कर-भिन्न राजस्व (₹ 7,975.64 करोड़) 2018-19 की राजस्व प्राप्तियों का 12.11 प्रतिशत था जो कि पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 1,137.21 करोड़ (12.48 प्रतिशत) घट गया था जिसके मुख्य कारण शहरी विकास विभाग (अन्य प्राप्तियां: ₹ 550 करोड़), शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा : ₹ 465 करोड़) और अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग (खनिज खनन फीस, किराया और रॉयल्टी) के अंतर्गत प्राप्ति में कमी थी।

1.3.2 भारत सरकार से सहायतानुदान

भारत सरकार से सहायतानुदानों में पिछले वर्ष से 2018-19 में ₹ 1,888.42 करोड़ की बढ़ोतरी हुई जैसा कि **तालिका 1.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान

विवरण	(₹ करोड़ में)				
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
गैर-योजनागत अनुदान	1,723.20	3,744.39	3,078.49	-	-
राज्य योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	2,815.36	2,268.18	2,327.52	-	-
केंद्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	24.57	27.53	34.50	-	-
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	439.75	338.66	237.07	2,326.62	2,843.09
वित्त आयोग अनुदान	-	-	-	1,316.68	1,274.26
जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से उद्भूत राजस्व की हानि के लिए मुआवजा				1,199.00	2,820.00
राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	-	-	-	342.82	136.19
कुल	5,002.88 (21)	6,378.76 (28)	5,677.58 (-11)	5,185.12 (-9)	7,073.54 (36)

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

भारत सरकार से सहायतानुदान ₹ 5,185.12 करोड़ (2017-18) से बढ़कर ₹ 7,073.54 करोड़ (2018-19) प्राप्त हुआ, जिसमें जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 2,820 करोड़ का मुआवजा भी शामिल था।

1.3.3 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां

भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को काफी राशियां सीधे तौर पर हस्तांतरित कर रही है। जबकि भारत सरकार ने 2014-15 से राज्य के बजट के माध्यम से इन निधियों को जारी करने का निर्णय लिया था तथापि, 2018-19 के दौरान, राज्य की विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को सीधे तौर पर ₹ 4,226.45 करोड़ हस्तांतरित किए गए, जैसा कि **तालिका 1.13** में विवरण दिया गया है।

तालिका 1.13: राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन एजेंसी	राशि
1	स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान	(i) पंजीकृत सोसायटी, (ii) सांविधिक निकाय	120.86
2	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	मनरेगा	224.72
3	राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम	राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम	20.75
4	बाजार पहुंच पहल	परिधान निर्यात संवर्धन परिषद	0.87
5	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	उपायुक्त	82.50
6	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम III	हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी	17.92
7	जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास विभाग	(i) पंजीकृत सोसायटी (ii) वैधानिक निकाय (iii) राज्य के सार्वजनिक उपक्रम (iv) सरकारी स्वायत्त निकाय (v) सरकारी संस्थान	88.86
8	धनी खान संस्थान सहित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.एस.) को सहायता	एन.आई.टी., कुरुक्षेत्र	131.86
9	बागवानी विकास मिशन	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम, हरियाणा	262.19
10	दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन से उत्पन्न योजनाएं	राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम	21.92
11	सीखो और कमाओ-कौशल विकास पहल	मास इन्फोटेक सोसायटी	8.79
12	स्वायत्त संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता	सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री राष्ट्रीय परिषद	30.00
13	खाद्य प्रसंस्करण राष्ट्रीय मिशन (सम्पदा)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम, हरियाणा	26.15
14	राष्ट्रीय उर्जा प्रशिक्षण संस्थान	राष्ट्रीय उर्जा प्रशिक्षण संस्थान	100.55
15	भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.) को सहायता	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक	25.45
16	स्वदेश दर्शन-एकीकृत विकास थीम आधारित पर्यटन सर्किट	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	101.82
17	यूरिया फ्रेट सडिसिडी के लिए भुगतान	यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,427.70
18	आयातित फॉस्फोरस एवं पोटेशियम उर्वरकों के लिए भुगतान	मोजेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	658.11
19	नई मंजिल- एकीकृत शिक्षा एवं आजीविका पहल	मास इन्फोटेक सोसायटी	8.83
20	रोड विंग के अंतर्गत कार्य	झंडू, धतरवाल कंस्ट्रक्शन	465.69
21	प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना	महिला एवं बाल विकास विभाग	33.00
22	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड	25.05
23	कृषि विपणन	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	32.40
24	प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि विभाग, हरियाणा	188.87
25	अन्य स्कीमें	-	121.59
		कुल	4,226.45

स्रोत: वित्त लेखा - परिशिष्ट VI

भारत सरकार ने राज्य में मौजूद कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 11,639.82 करोड़ हस्तांतरित किए थे। जिसमें से, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 4,226.45 करोड़ जारी किए गए थे जो कि 2017-18 की राशि ₹ 3,226.60 करोड़ से 31 प्रतिशत अधिक थे। शेष निधियां राज्य सरकार के दायरे से बाहर केंद्रीय निकायों और अन्य संगठनों को जारी की गई थीं।

1.3.4 केंद्रीय कर अंतरण

केंद्रीय कर अंतरण 2017-18 में ₹ 7,297.52 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 8,254.60 करोड़ थे जैसा कि तालिका 1.14 में दिया गया है।

तालिका 1.14: 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान केंद्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

कर का नाम	चौ.वि.आ. की सिफारिश	2017-18 के लिए वास्तविक	2018-19 के लिए वास्तविक	भिन्नता
कारपोरेशन कर	ते.वि.आ. की	2,235.92	2,870.86	634.94
आयकर	32 प्रतिशत की	1,888.08	2,114.27	226.19
सम्पत्ति कर	तुलना में राज्यों को	-0.07	1.05	1.12
सीमा शुल्क	केंद्रीय करों की	736.90	585.17	(-) 151.73
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	विभाजन योग्य राशि	770.20	388.87	(-) 381.33
सेवाकर	का 42 प्रतिशत	825.05	75.03	(-) 750.02
उपयोगी वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क		-	19.21	19.21
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)		104.36	2,037.54	1,933.18
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.)		737.08	162.60	(-) 574.48
कुल		7,297.52	8,254.60	957.08

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चौ.वि.आ. ने केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से को 32 से 42 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। तदनुसार, केंद्रीय कर (सेवा कर को छोड़कर) की निवल आय तथा सेवा कर की निवल आय में राज्यांश क्रमशः 1.084 तथा 1.091 प्रतिशत तय किया गया था।

2018-19 के दौरान प्राप्त केंद्रीय करों का राज्यांश (₹ 8,254.60 करोड़) 2017-18 की तुलना में ₹ 957.08 करोड़ अधिक था, लेकिन यह राशि 2018-19 के बजट अनुमान (₹ 9,300 करोड़) की तुलना में ₹ 1,045.40 करोड़ कम थी।

1.3.5 सेस लगाकर सृजित निधि

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सभी राजस्व, खजाना बिल जारी करके सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों की वसूली में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि के रूप में शामिल होंगे जिसे "राज्य की समेकित निधि" कहा जायेगा।

हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

राज्य सरकार, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर एकत्र करती है। एकत्र किए गए उपकर को निर्माण श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के लेखाओं के अनुसार 31 मार्च 2017 को बोर्ड के पास कुल उपलब्ध निधियां ₹ 2,407.16 करोड़ थीं। बोर्ड ने 2017-18 के दौरान श्रम उपकर, ब्याज, आदि के रूप में ₹ 491.92 करोड़ प्राप्त किए और वर्ष के दौरान श्रमिक कल्याण योजनाओं पर ₹ 148.31 करोड़ सहित कुल ₹ 154.74 करोड़ खर्च किए। 31 मार्च 2018 को बोर्ड के पास ₹ 2,744.34 करोड़ की निधियां थीं।

हरियाणा ग्रामीण विकास निधि

राज्य सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने तथा इसके विपणन एवं बिक्री में सुधार के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के अंतर्गत हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन

बोर्ड का गठन किया। इस अधिनियम की धारा 5(1) के अनुसार, अधिसूचित बाजार क्षेत्र में खरीदे गए अथवा बेचे गए एवं प्रोसेसिंग के लिए लाए गए कृषि उत्पाद के बिक्री मूल्य पर दो प्रतिशत की दर से एड-वालोरेम आधार पर फीस (सैस) उद्गृहीत की जाती है। इस प्रकार एकत्रित राशि बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यतः सड़कों के विकास, डिस्पेंसरियों की स्थापना, जलापूर्ति एवं स्वच्छता प्रबंधन तथा गोदामों के निर्माण के लिए खर्च की जाती है। निधि के अंतर्गत 2011-18 के दौरान प्राप्तियां ₹ 3,766.64 करोड़ थीं तथा किया गया व्यय ₹ 3,122.68 करोड़ था।

दोनों अधिनियम संग्रहित उपकर को रखने के लिए अलग निधियां बनाने का प्रावधान करते हैं। सरकारी विभागों द्वारा संग्रहित उपकर हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड/हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड को राज्य की समेकित निधि में लिए बिना हस्तांतरित किये जाते हैं जो पंजाब खजाना नियमों के नियम 7 (1) और उसके अधीन जारी किए गए सहायक खजाना नियमों के साथ-साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के प्रावधानों के विरुद्ध है, जिसके अनुसार राज्य सरकार को प्राप्त या प्रदत्त सभी धनराशि बिना देरी के राजकोष में पूर्ण रूप से भुगतान की जाएगी और राज्य की समेकित निधि में शामिल की जाएगी।

ये निधियां राज्य की समेकित निधि से बाहर हैं और इसलिए इन निधियों में धन के संग्रह और उपयोग पर विधायिका की कोई निगरानी नहीं है। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय को बजट से हटा कर नामांकित निधियों, जो विधायिका के प्राधिकार और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के बाहर संचालित की जाती हैं, की ओर विपथित करने की प्रवृत्ति पर तेरहवें वित्त आयोग द्वारा भी चिंता व्यक्त की गई है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के मामले में अधिनियम में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान है और निधि की लेखापरीक्षा की जा रही है। परन्तु हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान नहीं है।

उपर्युक्त मामलों के अतिरिक्त, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर के सम्बन्ध में उचित लेखांकन प्रक्रिया का अभाव है। राज्य सरकार द्वारा श्रम उपकर के अंतर्गत प्राप्तियों को वर्गीकृत करने के लिए किसी विशिष्ट उप-शीर्ष का संचालन नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, ट्रेजरी के खातों से एक वर्ष विशेष में राज्य सरकार द्वारा संग्रहित श्रम उपकर की कुल राशि का पता नहीं लगाया जा सकता। हालाँकि, इस मामले को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा बार-बार उठाया गया है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह मामला राज्य के वित्त लेखाओं पर टिप्पणियों में भी उठाया गया है।

1.3.6 केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को सहायता अनुदान

वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018-19 के लिए चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुपालन के लिए बजट प्रावधान की तुलना में निधियों का आबंटन तथा वास्तविक व्यय **तालिका 1.15** में दिया गया है।

तालिका 1.15: वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में बजट आबंटन, निधियों का आबंटन तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

स्कीम/विभाग का नाम	2017-18			2018-19		
	बजट	निधियों का आबंटन	वास्तविक व्यय	बजट	निधियों का आबंटन	वास्तविक व्यय
शहरी विकास	536.84	305.45	433.28	474.26	177.87	177.87
राष्ट्रीय आपदा में राहत- राज्य आपदा राहत कोष	254.25	254.25	254.25	320.40	320.40	320.40
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	756.98	756.98	756.98	873.86	775.99	775.99
कुल	1,548.07	1,316.68	1,444.51	1,668.52	1,274.26	1,274.26

(स्रोत: वित्त विभाग, हरियाणा से प्राप्त आंकड़े)

14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में भारत सरकार ने वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान स्थानीय निकायों (ग्रामीण एवं शहरी विकास) तथा राज्य आपदा राहत कोष के लिए केवल मूल अनुदान जारी किए।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, ऋणों की प्राप्तियां (आंतरिक एवं भारत सरकार से) तथा विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। पांच वर्षों (2014-19) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों के विवरण **तालिका 1.16** में दिए गए हैं।

तालिका 1.16: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संरचना में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पूंजीगत प्राप्तियां	19,150.31	38,356.69	29,169.02	27,870.56	39,685.88
विविध पूंजीगत प्राप्तियां सहकारी बैंकों और संस्थाओं से विनिवेश के द्वारा	18.74	29.98	26.27	39.87	49.01
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	272.82	328.28	973.23	6,340.93	5,371.90
लोक ऋण प्राप्तियां	18,858.75	37,998.43	28,169.52	21,489.76	34,264.97
बाजार ऋण	13,200.00	14,099.99	15,800.00	16,639.49	21,265.00
बॉण्ड्स	0.00	17,300.00	8,650.00	0.00	0.00
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	4,102.79	4,641.45	3,412.39	4,525.43	12,344.13
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	1,251.31	1,721.40	-	-	-
अन्य ऋण	173.89	138.36	183.87	104.35	25.98
भारत सरकार से ऋण	130.76	97.23	123.26	141.01	124.83
अर्थोपाय अग्रिम	--	--	--	79.48	505.03
लोक ऋण प्राप्तियों में बाजार ऋण की प्रतिशतता	69.99	37.11	56.09	77.43	62.06
पिछले वर्ष पर वृद्धि की दर (प्रतिशत)					
ऋण रुपी पूंजीगत प्राप्तियों की	7	101	(-) 26	(-) 24	59
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की	7	23	179	538	(-) 15
स.रा.घ.उ. की	9.49	13.29	12.33	12.53	12.95
पूंजीगत प्राप्तियों की	7	100	(-) 24	(-) 4	42

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वित्तीय संस्थाओं से उठाए गए अधिक ऋणों के कारण, लोक ऋण प्राप्तियों में बाजार ऋणों का हिस्सा 2017-18 के 77.43 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 62.06 प्रतिशत हो गया था।

ऋणों और अग्रिमों की वसूली में वर्ष 2018-19 के दौरान विद्युत संवितरण कंपनियों के ₹ 5,190 करोड़ के ऋणों का इक्विटी में रूपांतरण शामिल है। राज्य सरकार ने ₹ 25,950 करोड़ (उदय स्कीम के अंतर्गत 30 सितंबर 2015 को विद्युत संवितरण कंपनियों की कुल देयताओं का 75 प्रतिशत) के ऋणों को अधिग्रहित करने के लिए 2015-16 में ₹ 17,300 करोड़ तथा 2016-17 में ₹ 8,650 करोड़ के विद्युत बॉण्ड जारी किए थे और वित्तीय पैकेज को सहायतानुदान (₹ 7,785 करोड़), इक्विटी पूंजी (₹ 2,595 करोड़) तथा विद्युत संवितरण कंपनियों को ऋण (₹ 15,570 करोड़) के रूप में लेखाकृत किया था। ₹ 15,570 करोड़ के कुल ऋणों में से, ₹ 10,380 करोड़ (2017-18 में ₹ 5,190 करोड़ तथा 2018-19 में ₹ 5,190 करोड़) को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया है।

1.4.1 विनिवेश से आय

वर्ष 2018-19 के दौरान 13 सहकारी बैंकों तथा समितियों के पूंजीगत विनिवेश से निवल आय ₹ 49.01 करोड़ थी जो पिछले वर्ष (₹ 39.87 करोड़) से 22.92 प्रतिशत अधिक है।

1.4.2 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां

2014-19 के दौरान संवितरित एवं वसूल किए गए ऋणों और अग्रिमों का विवरण **तालिका 1.17** में दिया गया है।

तालिका 1.17: 2014-19 के दौरान संवितरित और वसूले गए ऋण

(₹ करोड़ में)

संवितरित और वसूले गए ऋण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
प्रारंभिक शेष	4,002	4,572	17,494	21,036	16,090
वर्ष के दौरान प्रदत्त राशि	843	13,250	4,515	1,395	756
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	273	328	973	6,341	5,372
अंतिम शेष	4,572	17,494	21,036	16,090	11,474
निवल जोड़	570	12,922	3,542	(-) 4,946	(-) 4,616
सहकारी शुगर मिलों को संवितरित और वसूले गए ऋण					
प्रारंभिक शेष	1,029	1,213	1,859	2,111	2,304
वर्ष के दौरान प्रदत्त राशि	190	646	252	200	344
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	6	-	-	7	-
अंतिम शेष	1,213	1,859	2,111	2,304	2,648

वर्ष के दौरान ₹ 5,371.90 करोड़ के ऋण एवं अग्रिमों की वसूली मुख्यतः विद्युत कंपनियों (₹ 5,271.09 करोड़) से की गई थी। जिसमें से ₹ 5,190 करोड़ राज्य सरकार द्वारा ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करके वसूल किए गए थे। ऋण और अग्रिमों की वास्तविक वसूली ₹ 181.90 करोड़, बकाया ऋणों का केवल एक अंश (1.13 प्रतिशत) थी।

31 मार्च 2018 को सहकारी शुगर मिलों के विरुद्ध ₹ 2,304 करोड़ के ऋण बकाया थे। राज्य सरकार ने 2018-19 के दौरान ₹ 344 करोड़ के नए ऋण वितरित किए और कोई वसूली नहीं की। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2019 को कुल ₹ 2,648 करोड़ के ऋण बकाया हो गए। सहकारी शुगर मिलों को सभी ऋण इस शर्त पर वितरित किए गए थे कि संस्वीकृति के बारह माह पश्चात् नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज के साथ समान किस्तों में पांच वर्षों में ऋण का पुनर्भुगतान करना होगा तथा पूर्ववर्ती ऋणों के पुनर्भुगतान न करने पर नया ऋण वितरित नहीं किया जाएगा। तथापि, पूर्ववर्ती ऋणों की शर्तों का पालन सुनिश्चित किए बिना शुगर मिलों को ऋण संस्वीकृत/वितरित किए गए थे जैसा कि **तालिका 1.18** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.18: 2011-12 से 2018-19 के दौरान सहकारी चीनी मिलों को संवितरित और उनसे वसूले गए ऋणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक बकाया ऋण	संवितरित ऋण	वसूला गया ऋण	अंतिम बकाया ऋण
2009-10	618.40	72.50	--	690.90
2010-11	690.90	50.00	--	740.90
2011-12	740.90	88.88	--	829.78
2012-13	829.78	92.00	40.00	881.78
2013-14	881.78	150.00	2.88	1,028.90
2014-15	1,028.90	190.00	6.00	1,212.90
2015-16	1,212.90	646.00	--	1,858.90
2016-17	1,858.90	252.00	--	2,110.90
2017-18	2,110.90	200.00	7.00	2,303.90
2018-19	2,303.90	343.96	--	2,647.86
कुल		2,085.34	55.88	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1 अप्रैल 2009 को सहकारी चीनी मिलों के विरुद्ध ₹ 618.40 करोड़ के ऋण बकाया थे। 2009-10 से 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 2,085.34 करोड़ के ऋण वितरित किए और केवल ₹ 55.88 करोड़ की वसूली की, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2019 तक ₹ 2,647.86 करोड़ के बकाया ऋणों का संचय हुआ।

चूंकि इन ऋणों की वसूली खराब रही है, राज्य सरकार द्वारा इन ऋणों एवं अग्रिमों को अनुदान के रूप में मानने और राजस्व व्यय के रूप में बुक करने पर विचार करना चाहिए ताकि खातों का सही आकलन सुनिश्चित किया जा सके।

1.4.3 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति

2018-19 के दौरान आंतरिक ऋण प्राप्ति के रूप में ₹ 34,140.14 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी जो पिछले वर्ष (₹ 21,348.75 करोड़) से ₹ 12,791.39 करोड़ (60 प्रतिशत) अधिक थी। राज्य सरकार ने बाजार ऋणों के रूप में ₹ 21,265 करोड़ तथा वित्तीय संस्थाओं से ₹ 12,344.13 करोड़ के ऋण उठाए।

बाजार ऋणों में प्रवृत्तियों के विवरण **अनुच्छेद 1.10** में दिए गए हैं।

1.4.4 भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

भारत सरकार से कुल बकाया ऋण एवं अग्रिम 2017-18 के ₹ 1,941.27 करोड़ से ₹ 74.33 करोड़ घटकर 2018-19 में ₹ 1,866.94 करोड़ हो गए थे। भारत सरकार से ₹ 124.83 करोड़ के ऋण प्राप्त किए गए थे तथा वर्ष के दौरान ₹ 199.16 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया था।

1.5 लोक लेखा प्राप्ति

कुछ प्राप्ति एवं संवितरण, जो समेकित निधि का अंश नहीं होते, जैसे कि लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, डिपोजिट्स, सस्पेंस, प्रेषण इत्यादि को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अनुसार लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है तथा ये राज्य विधानसभा द्वारा वोट के अधीन नहीं है। लोकलेखा के विभिन्न खंडों के अंतर्गत प्राप्ति एवं संवितरणों की प्रवृत्तियां **तालिका 1.19** में दी गई हैं।

तालिका: 1.19: 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों में प्रवृत्तियां (₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	लोक लेखा प्राप्तियां		लोक लेखा से संवितरण		संवितरणों पर प्राप्तियों का आधिक्य	
	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
क) लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	3,342.50	3,512.08	2,116.18	2,344.37	1,226.32	1,167.71
ख) आरक्षित निधि	973.29	944.98	153.65	156.46	819.64	788.52
ग) डिपॉजिट	20,577.88	26,504.71	19,924.33	25,167.19	653.55	1,337.52
घ) अग्रिम	1.99	(-) 0.02	1.99	-	-	(-) 0.02
ङ) उच्चत तथा विविध	900.54	912.33	852.20	978.04	48.34	(-) 65.71
च) प्रेषण	8,098.05	8,911.01	8,123.14	8,740.29	(-) 25.09	170.72
कुल	33,894.25	40,785.09	31,171.49	37,386.35	2,722.76	3,398.74

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)


मुख्य रूप से लघु बचत, भविष्य निधि, आदि (₹ 1,167.71 करोड़), आरक्षित निधि (₹ 788.52 करोड़), डिपॉजिट्स (₹ 1,337.52 करोड़) तथा प्रेषण (₹ 170.72 करोड़) में वृद्धि के कारण 2018-19 में निवल लोक लेखा प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 24.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

संसाधनों के अनुप्रयोग का विश्लेषण, विभिन्न शीर्षों जैसे व्यय की वृद्धि एवं संरचना, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय (वेतन, ब्याज भुगतान, सब्सिडीयां, पेंशन भुगतान) तथा फ्लैगशिप स्कीमों पर व्यय के रूप में अनुवर्ती अनुच्छेदों में किया गया है।

1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संरचना

गत पांच वर्षों (2014-19) में कुल व्यय की प्रवृत्ति और संरचना नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाई गई हैं:




(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

पांच वर्षों (2014-19) की अवधि में कुल व्यय में 73.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। राजस्व व्यय 2014-19 के दौरान 57.08 प्रतिशत बढ़ा जबकि उसी अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय 311.92 प्रतिशत बढ़ा जिसका मुख्य कारण वर्ष 2018-19 में विद्युत कंपनियों के ₹ 5,190 करोड़ के ऋणों एवं अग्रिमों को इक्विटी में परिवर्तित करना था।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश 2014-15 में 91.51 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 82.77 प्रतिशत हो गया, जबकि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 2014-15 में 6.92 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 16.42 प्रतिशत हो गया। ऋणों एवं अग्रिमों का अंश 2014-15 में 1.57 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 0.81 प्रतिशत हो गया।



2017-18 तथा 2018-19 के दौरान ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं का अंश 31 प्रतिशत रहा। जबकि सामाजिक सेवाओं का अंश 2016-17 से बढ़ोतरी की ओर था जो कि 2018-19 में 36 प्रतिशत रहा। आर्थिक सेवाओं का अंश जो कि 2017-18 में 33 प्रतिशत था 2018-19 में घटकर 32 प्रतिशत रह गया। पांच वर्ष की अवधि के दौरान सहायतानुदान का अंश लगभग एक प्रतिशत के स्तर पर रहा। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं का संयुक्त अंश, जो विकास व्यय का प्रतीक है, 2014-15 में 67 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 68 प्रतिशत हो गया।

1.6.2 राजस्व व्यय

तालिका 1.20 पांच वर्षों (2014-19) के राजस्व व्यय की वृद्धि प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.20: राजस्व व्यय की वृद्धि

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व व्यय	49,118	59,236	68,403	73,257	77,155
वृद्धि दर (प्रतिशत)	17	21	15	7	5
स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	11	12	12	12	11

2014-19 के दौरान राजस्व व्यय में ₹ 28,037 करोड़ (57 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। स.रा.घ.उ. से इसकी प्रतिशतता 2014-15 तथा 2018-19 में 11 प्रतिशत रही।

राजस्व व्यय वर्ष 2017-18 में ₹ 73,257 करोड़ से पांच प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में ₹ 77,155 करोड़ हो गया। सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय ₹ 1,470.29 करोड़ बढ़ गया इसका मुख्य कारण पुलिस सेवाओं (₹ 299.87 करोड़) तथा ब्याज भुगतानों (₹ 1,590.19 करोड़) पर अधिक व्यय था परन्तु पेंशन पर कम व्यय (₹ 643.31 करोड़) से कुछ समायोजन हुआ। गत वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय में ₹ 1,681.85 करोड़ की बढ़ोतरी हुई जिसका मुख्य कारण शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 888.75 करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 604.08 करोड़) तथा समाज कल्याण एवं पोषण (₹ 919.75 करोड़) पर अधिक व्यय था तथा कुछ समायोजन जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास, शहरी विकास पर व्यय में कमी (₹ 965.92 करोड़) से हुआ। आर्थिक सेवाओं पर व्यय ₹ 914.76 करोड़ बढ़ गया, मुख्य कारण कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों (₹ 657.32 करोड़) तथा ग्रामीण विकास (₹ 436.76 करोड़) पर अधिक व्यय था जिसका कुछ समायोजन ऊर्जा क्षेत्र पर कम व्यय (₹ 184.10 करोड़) द्वारा हुआ।

2017-18 में ₹ 77,155 करोड़ का राजस्व व्यय म.अ.रा.नी.वि. (₹ 85,187 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से कम था। राज्य में राजस्व व्यय चौ.वि.आ. द्वारा प्रेषित मानक (₹ 64,340 करोड़) के भीतर नहीं रह सका, जिसके कारण राज्य राजस्व आधिक्य राज्य नहीं बन पाया।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व व्ययों में प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतनों एवं मजदूरी, पेंशनों तथा सब्सिडीयों पर व्यय शामिल हैं। 2014-19 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को तालिका 1.21 एवं चार्ट 1.14 में दर्शाया गया है।


तालिका 1.21: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरियां	14,359 (35)	15,294 (32)	17,321 (33)	18,632 (30)	22,495	19,763* (30)
ब्याज भुगतान	6,928 (17)	8,284 (17)	10,542 (20)	11,961 (19)	14,037	13,551 (21)
पेंशन	4,602 (11)	5,413 (11)	5,659 (11)	8,783 (14)	8,301	8,140 (12)
सब्सिडीज	5,693 (14)	6,899 (15)	7,654 (15)	8,446 (13)	9,811	8,549 (13)
कुल प्रतिबद्ध व्यय	31,582	35,890	41,176	47,822	54,644	50,003
राजस्व व्यय	49,118	59,236	68,403	73,257		77,155
राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय की प्रतिशतता	64	61	60	65		65
राजस्व प्राप्तियों से प्रतिबद्ध व्यय की प्रतिशतता	77	75	78	76		76

(स्रोत: वित्त लेखे तथा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से सूचना)

* ₹ 351.95 करोड़ की मजदूरियां शामिल हैं।

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता इंगित करते हैं।



वेतन, ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर किया गया व्यय (₹ 41,102 करोड़), सरकार द्वारा म.अ.रा.नी.वि. (₹ 42,935 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 1,833 करोड़ (4.27 प्रतिशत) कम था तथा इन मदों पर राजस्व प्राप्तियों का 62 प्रतिशत उपभोग हुआ था।

2018-19 में राजस्व व्यय में लगभग 65 प्रतिशत भाग वेतन एवं मजदूरी, ब्याज, पेंशन तथा सब्सिडी पर प्रतिबद्ध व्यय का था जो पिछले वर्ष के समकक्ष था।

वेतन पर व्यय

2014-15 से 2018-19 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय 37.63 प्रतिशत (₹ 19,763 करोड़) बढ़ गया। 2009-10 से 2017-18 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 10.41 प्रतिशत थी, जो सामान्य श्रेणी राज्यों (11.72 प्रतिशत) से कम थी। पिछले वर्ष की तुलना में यह वृद्धि 6.07 प्रतिशत थी जो कि सामान्य श्रेणी राज्यों में 11.03 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम थी (परिशिष्ट 1.1)। वेतन पर व्यय (₹ 19,411 करोड़) म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 20,597 करोड़) से कम था (परिशिष्ट 1.6)।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान पांच वर्ष (2014-19) की अवधि में 95.60 प्रतिशत (₹ 13,551 करोड़) बढ़ गया। गत वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान ₹ 1,590 करोड़ (13.29 प्रतिशत) की वृद्धि थी। राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 2014-15 में 16.98 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 20.57 प्रतिशत हो गई। 2018-19 के दौरान ब्याज भुगतान चौ.वि.आ. द्वारा किए गए निर्धारण (₹ 12,310 करोड़) से अधिक परन्तु म.अ.रा.नी.वि. के प्रक्षेपणों (₹ 14,037 करोड़) से कम था (परिशिष्ट 1.6)।

सब्सिडीज़

सब्सिडीज़ पर व्यय 2014-15 में ₹ 5,693 करोड़ से 2018-19 में ₹ 2,856 करोड़ (50.17 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 8,549 करोड़ हो गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 12.98 प्रतिशत था। ₹ 8,549 करोड़ की कुल सब्सिडीज़ में से ₹ 7,414.56 करोड़ (86.73 प्रतिशत) विद्युत एवं ऊर्जा क्षेत्रों के लिए थीं। विद्युत एवं ऊर्जा क्षेत्र को कुल सब्सिडी म.अ.रा.नी.वि. (₹ 6,478 करोड़) में प्रक्षेपण से अधिक थी (परिशिष्ट 1.6)।

सब्सिडीज़ आंशिक तस्वीर प्रस्तुत करती हैं क्योंकि इनमें अप्रत्यक्ष सब्सिडीज़ शामिल नहीं होती हैं। कुछ मामलों में, राज्य सरकार ने या तो बिना ब्याज या प्रचलित ब्याज दरों से कम दर पर

ऋण वितरित किया है, अतः अप्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान की गई जैसा कि **तालिका 1.22** में वर्णित हैं।

तालिका 1.22: कुछ अप्रत्यक्ष सब्सिडीज़ के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम/सब्सिडी	बजट अनुमान	व्यय
1.	हरियाणा वेयरहाउसिंग को-ऑपरेटिव को ग्रामीण क्षेत्र में गोदामों के निर्माण के लिए ऋण	10.00	8.15
2.	राजस्व अर्जन योजनाओं के लिए ग्राम पंचायत को ब्याज मुक्त ऋण	1.80	1.48
3.	विलंबित बिक्री कर/वैट के बदले लघु उद्योगों को ब्याज मुक्त ऋण	70.00	70.00

(स्रोत: विस्तृत विनियोजन लेखे)

पेंशन

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान 76.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए पेंशन भुगतान ₹ 8,140 करोड़ तक बढ़ गया जोकि राजस्व प्राप्तियों का 12.35 प्रतिशत था। 2018-19 में पेंशन भुगतान पर व्यय चौ.वि.आ. द्वारा किए गए आकलनों (₹ 6,588 करोड़) से अधिक था परन्तु म.अ.रा.नी.वि. (₹ 8,301 करोड़) द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से कम था (**परिशिष्ट 1.6**)। 1 जनवरी 2006 से राज्य द्वारा बढ़ती हुई पेंशन देयताओं को कम करने के लिए एक नई अंशदायी पेंशन स्कीम आरम्भ की गई थी।

नई पेंशन स्कीम

1 जनवरी 2006 को या उसके बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारी नई पेंशन योजना के दायरे में आते हैं। योजना के अनुसार कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देता है, राज्य सरकार द्वारा भी बराबर अंशदान दिया जाता है और पूरी राशि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को हस्तांतरित की जाती है।

31 मार्च 2019 तक, परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (प.अं.पें.यो.) के अंतर्गत कर्मचारियों के कुल ₹ 565.88 करोड़ के अंशदान के विरुद्ध राज्य सरकार ने केवल ₹ 534.30 करोड़ का अंशदान दिया। इस प्रकार, राज्य सरकार ने अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया क्योंकि यह प.अं.पें.यो. के अंतर्गत सरकार के अपने हिस्से के रूप में ₹ 31.58 करोड़ का अंशदान करने में विफल रही। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2019 तक प.अं.पें.यो. के अंतर्गत ₹ 1,114.71 करोड़ के कुल संग्रह में से ₹ 28.56 करोड़ का शेष छोड़ते हुए राज्य सरकार ने प.अं.पें.यो. के प्रावधान के अनुसार आगे के निवेश के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) को केवल ₹ 1,086.15 करोड़ हस्तांतरित किए। इस प्रकार, एन.एस.डी.एल. को ₹ 60.14 करोड़ (₹ 31.58 करोड़ का कम अंशदान जमा ₹ 28.56 करोड़ हस्तांतरित नहीं किए गए) का कम हस्तांतरण किया गया और वर्तमान देयता भावी वर्ष/वर्षों के लिए स्थगित है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने एन.एस.डी.एल. को यह राशि हस्तांतरित न करके अपनी ब्याज देयता भी बढ़ाई है; अपने कर्मचारियों से संबंधित धन का गलत ढंग से उपयोग किया तथा प्रभावित कर्मचारियों को देय लाभों के संबंध में अनिश्चितता/भविष्य में सरकार को परिहार्य वित्तीय देयता का सृजन किया और इस प्रकार, योजना की संभावित विफलता का मार्ग प्रशस्त किया।

विकास स्कीमों/कार्यक्रम: व्यय की स्थिति

विकास स्कीमों/कार्यक्रम, राष्ट्र के समग्र विकास के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता का एक अविभाज्य एवं महत्वपूर्ण अंग हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार, राजकीय कार्यकारियों तथा विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को विकास योजनाओं के लिए 2018-19 के दौरान **तालिका 1.23** में दर्शाई गई राशियां जारी की गई थी।

तालिका 1.23: हरियाणा में कार्यान्वित विकास योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता की तुलना में व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	बजट अनुमान	व्यय	व्यय की प्रतिशतता
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा.कृ.वि.यो.)	666.15	446.13	66.97
2	राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.)	115.72	117.95	101.93
3	इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	200.00	51.70	25.85
4	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	295.00	172.37	58.43
5	स्वच्छ भारत	189.00	117.06	61.94
6	सर्व शिक्षा अभियान	889.65	523.67	58.86
7	मिड-डे मील	340.00	297.02	87.36
8	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	510.00	611.54	119.91
9	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	336.00	168.84	50.25
10	अमृत (AMRUT) जिसे पहले जे.एन.एन.यू.आर.एम. के नाम से जाना जाता था	700.00	310.87	44.41
11	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	4,215.34	4,296.18	101.92
12	एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम	503.55	281.45	55.89
	कुल	8,960.41	7,394.78	82.53

(स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा)

विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 2018-19 के लिए ₹ 8,960.41 करोड़ के बजट अनुमानों में से राज्य ने ₹ 7,394.78 करोड़ (83 प्रतिशत) उपयोग किए। 12 विकास योजनाओं में से आठ में 70 प्रतिशत से कम बजट का उपयोग किया गया था।

1.6.4 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

तालिका 1.24: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19		
					बजट अनुमान	वास्तविक	भिन्नता की प्रतिशतता
शिक्षा संस्थाएं (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त कालेज, विश्वविद्यालय आदि)	1,809.77	1,984.67	2,130.56	2,102.96	2,980.29	2,093.14	(-) 29.77
नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	744.63	1,045.99	1,585.77	2,466.82	3,799.62	2092.31	(-) 44.93
जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थाएं	1,192.04	1,261.94	2,263.80	2,283.43	3,078.86	2547.17	(-) 17.27
विकास अभिकरण	723.72	878.09	757.94	868.04	1,633.70	865.54	(-) 47.02
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	979.70	1,010.97	1,117.68	1,101.14	1,439.54	1350.08	(-) 6.21
अन्य संस्थाएं	656.14	4,584.31	4,791.39	1,021.92	1,976.28	1129.59	(-) 42.84
कुल	6,106.00	10,765.97	12,647.14	9,844.31	14,908.29	10,077.83	(-) 32.40
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	12	18	18	13		13	

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रदान की गई सूचना)

तालिका 1.24 इंगित करती है कि स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2014-15 में ₹ 6,106 करोड़ से बढ़ कर 2018-19 में ₹ 10,077.83 करोड़ हो गई जोकि

राजस्व व्यय का 13.06 प्रतिशत थी। जिला परिषदों एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं और अस्पतालों एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाओं को संवितरण में वृद्धि के कारण गत वर्ष की तुलना में यह ₹ 233.52 करोड़ (2.37 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई। ₹ 14,908.29 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 10,077.83 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। स्थानीय निकायों को बजट अनुमान के विरुद्ध 32.40 प्रतिशत कम वास्तविक वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक मूलभूत संरचनाओं की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। व्यय की गुणवत्ता के सुधार में मूलतः तीन पहलू सम्मिलित होते हैं जैसे कि पर्याप्त व्यय (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान) अनुकूल व्यय (प्रयोग) तथा इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं में व्यय तथा परिणाम का आकलन)।


1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

मानव उन्नति के लिए राज्यों द्वारा मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय बढ़ाना अपेक्षित है। 2018-19 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र पर व्यय तथा पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता एवं राजकोषीय क्षमता का विश्लेषण **तालिका 1.25** तथा **चार्ट 1.15** में वर्णित किया गया है।

तालिका 1.25: 2014-15 और 2018-19 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता और राजकोषीय क्षमता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय/ स.रा.घ.उ.	विकास व्यय [#] / कुल व्यय	सामाजिक क्षेत्र व्यय/ कुल व्यय	पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	शिक्षा/ कुल व्यय	स्वास्थ्य/ कुल व्यय
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2014-15	12.28	67.40	39.16	6.92	17.66	4.17
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2014-15	15.99	68.51	36.15	14.02	16.54	4.92
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2018-19	13.18	68.72	35.99	16.42	14.02	4.30
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2018-19	16.05	67.04	36.59	14.28	14.99	5.07

विकास व्यय अर्थात् सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय, जिसमें विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय और संवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।
स.रा.घ.उ. का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा।



राजकोषीय प्राथमिकता:

हरियाणा में कुल व्यय का स.रा.घ.उ. से अनुपात 2014-15 में 12.28 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 13.18 प्रतिशत हो गया जो कि सामान्य श्रेणी राज्यों की औसत की तुलना में अभी भी कम था। विकास व्यय पर प्राथमिकता सामान्य श्रेणी राज्यों से अधिक थी। तथापि, 2014-15 की तुलना में 2018-19 में सामाजिक क्षेत्र व्यय से कुल व्यय का अनुपात घटा था और सामान्य श्रेणी राज्यों की औसत से कम था। 2014-15 की तुलना में 2018-19 में कुल व्यय में शिक्षा व्यय का अनुपात घट गया और यह सामान्य श्रेणी राज्यों की औसत से कम था। स्वास्थ्य व्यय भी सामान्य श्रेणी राज्यों की औसत से कम था।

विद्युत कंपनियों के ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के कारण 2018-19 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात बढ़ा है।

1.7.2 व्यय प्रयोग की कुशलता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षों पर सार्वजनिक व्यय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, सरकार के लिए समुचित व्यय की तर्कसंगत व्यवस्था करना तथा अत्यावश्यक लोकहितार्थ कार्यों को महत्व देना आवश्यक है। पूंजीगत व्यय से कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) के अनुपात और राजस्व व्यय में सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रख-रखाव पर किए जा रहे व्यय के अनुपात से व्यय की गुणवत्ता आंकी जाती है। इन घटकों का अनुपात कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) से जितना अधिक होगा उतनी ही व्यय की गुणवत्ता अच्छी मानी जाएगी। सामाजिक-आर्थिक सेवाओं पर राजस्व, पूंजीगत तथा ऋणों एवं अग्रिमों पर व्यय को विकास व्यय माना जाता है। जबकि **तालिका 1.26**, वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में किए गए व्यय को दर्शाती है, **तालिका 1.27**, 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय में विकास व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.26: विभिन्न क्षेत्रों में किया गया व्यय**(₹ करोड़ में)**

क्षेत्र	कुल व्यय	पूंजीगत व्यय की राशि	पूंजीगत व्यय का प्रतिशत
सामान्य सेवाएं	28,883.52	714.55	2.47
सामाजिक सेवाएं	33,547.84	3,804.65	11.34
आर्थिक सेवाएं	30,509.81*	10,787.40	35.36

(स्रोत: वित्त लेखा के आधार पर परिकलित)

* इसमें ₹ 5,190 करोड़ राशि के उदय बॉन्ड शामिल हैं जिन्हें इक्विटी में परिवर्तित किया गया है।

तालिका 1.28 में चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर किए गए राजस्व व्यय के घटकों तथा पूंजीगत व्यय के विवरण दिए गए हैं।

तालिका 1.27: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (क से ग तक)	36,180 (67)	59,652 (75)	57,258 (72)	60,499 (69)	71,718	64,058 (69)
क. विकास राजस्व व्यय	32,208 (60)	40,229 (51)	46,348 (58)	46,168 (52)	55,092	48,765 (52)
ख. विकास पूंजीगत व्यय	3,425 (6)	6,448 (8)	6,464 (8)	13,057 (15)	14,946	14,592 (16)
ग. विकास ऋण एवं अग्रिम	547 (1)	12,975 (16)	4,446 (6)	1,274 (1)	1,680	701 (1)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

(नोट: कोष्ठकों में आंकड़े कुल व्यय की प्रतिशतता सूचित करते हैं।)

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान विकास व्यय 77.05 प्रतिशत बढ़ा था। यह व्यय, जोकि कुल व्यय का 69 प्रतिशत था, 2017-18 में ₹ 60,499 करोड़ से ₹ 3,559 करोड़ (5.88 प्रतिशत) की वृद्धि के साथ 2018-19 में बढ़कर ₹ 64,058 करोड़ हो गया। विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय का अंश 76 प्रतिशत था जबकि पूंजीगत व्यय का अंश 23 प्रतिशत था। पिछले वर्ष की तुलना में विद्युत परियोजनाओं को कम ऋण संवितरण करने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में ऋण एवं अग्रिम ₹ 573 करोड़ घट गए। ₹ 71,718 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 64,058 करोड़ था जोकि बजट अनुमान का 89.32 प्रतिशत है।

तालिका 1.28: चयनित सामाजिक व आर्थिक सेवाओं में व्यय-प्रयोग की कुशलता

सामाजिक-आर्थिक आधारभूत संरचना	2017-18			2018-19		
	कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में अंश		कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में अंश	
		वेतन व मजदूरी	परिचालन एवं रख रखाव		वेतन व मजदूरी	परिचालन एवं रख रखाव
सामाजिक सेवाएं						
सामान्य शिक्षा	0.028	71.68	-*	0.025	72.14	-*
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.090	46.82	0.18	0.083	44.33	0.22
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	0.278	11.10	5.47	0.373	13.65	9.04
कुल सामाजिक सेवाएं	0.124	50.40	1.61	0.146	53.41	2.16
आर्थिक सेवाएं						
कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	0.331	32.00	1.18	0.349	27.08	1.07
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	0.400	4.97	10.65	0.464	35.16	10.01
विद्युत एवं ऊर्जा	0.417	0.02	-*	0.425	0.03	-*
परिवहन	0.380	45.68	3.04	0.388	47.00	3.01
कुल आर्थिक सेवाएं	0.394	15.45	1.87	0.407	18.21	1.77
कुल सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं	0.263	35.58	1.72	0.280	38.46	2.00

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

* राशि नगण्य

कुल व्यय के संदर्भ में सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का अनुपात 2017-18 में 0.124 से बढ़कर 2018-19 में 0.146 हो गया। कुल व्यय से सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों पर पूंजीगत व्यय का अनुपात 2017-18 में 0.263 से बढ़कर 2018-19 में 0.280 हो गया, जो कि मुख्यतः

जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में अधिक पूंजीगत व्यय के कारण है।

सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय का अंश 2017-18 में 50.40 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 53.41 प्रतिशत हो गया। परिचालन एवं रख-रखाव पर व्यय का अंश 2017-18 में 1.61 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 2.16 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतन एवं मजदूरी का अंश 2017-18 में 15.45 प्रतिशत से बढ़ कर 2018-19 में 18.21 प्रतिशत हो गया। परिचालन एवं रख-रखाव का अंश 2017-18 में 1.87 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 1.77 प्रतिशत हो गया। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में संयुक्त रूप से वेतन एवं मजदूरी का अंश 2017-18 में 35.58 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 38.46 प्रतिशत हो गया और परिचालन एवं रख-रखाव का अंश भी 2017-18 में 1.72 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में दो प्रतिशत हो गया।

1.8 राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2005 लागू होने के बाद राज्य से अपना राजकोषीय घाटे(और ऋण) को न केवल निम्न स्तर पर रखने बल्कि पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं को पूरा करने की भी आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार को चाहिए कि निवेशों पर पर्याप्त आमदनी और उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने के उपाय शुरू करे और उन्हें बजट पर अप्रत्यक्ष सब्सिडीज के रूप में न डाले। वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी कदम उठाने की भी आवश्यकता है। इस भाग में पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय के विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत किए गए हैं।

1.8.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

मार्च 2019 के अंत में ₹ 623.33 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय वाली आठ सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों ने दर्शाया कि 2018-19 के दौरान इन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व (₹ 115.26 करोड़) पूंजीगत परिव्यय का 18 प्रतिशत था। कार्यचालन एवं रख-रखाव व्यय (₹ 366.99 करोड़) तथा ब्याज प्रभारों (₹ 31.17 करोड़) को वहन करने के पश्चात् ₹ 282.89 करोड़ की हानि थी।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2019 को अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित विभागवार सूचना **तालिका 1.29** में दी गई है। अपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत केवल वे परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं जिनकी पूर्ण करने की लक्षित समयावधि 31 मार्च 2019 तक समाप्त हो चुकी थी।

तालिका 1.29: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक अनुमानित लागत	परियोजनाओं की संशोधित अनुमानित लागत	(₹ करोड़ में)
				मार्च 2019 तक कुल व्यय
सिंचाई और जल संसाधन विभाग	4	31.64	-	18.17
लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग	19	269.17	-	109.13
कुल	23	300.81	-	127.30

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे)

दो विभागों की 23 परियोजनाओं के पूर्ण करने की लक्षित समयावधि अप्रैल 2017 और मार्च 2019 के मध्य थी, परन्तु ये परियोजनाएं मार्च 2019 तक अपूर्ण थीं परिणामस्वरूप ₹ 127.30 करोड़ के निवेश से वांछित लाभों की प्राप्ति नहीं हुई।

परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के कारण न केवल व्यय की गुणवत्ता प्रभावित हुई बल्कि राज्य अपेक्षित लाभ और आर्थिक विकास से भी वंचित रहा।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2019 को सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारिताओं में ₹ 30,747.91 करोड़ निवेशित थे (तालिका 1.30)। पिछले पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.104 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2014-19 के दौरान अपने उधारों पर 8.58 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज अदा किया।

तालिका 1.30: निवेशों पर प्रतिलाभ

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वर्ष के अन्त पर संचित निवेश (₹ करोड़ में)	7,500.22	9,372.44	11,371.42	17,374.35	23,026.05	30,747.91
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	5.80	15.89	5.89	7.53	9.00	56.60
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.08	0.17	0.05	0.04	0.04	0.18
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	9.33	8.64	8.00	8.10	8.78	8.81
ब्याज दर और प्रतिलाभ के बीच अन्तर (प्रतिशत)	9.25	8.47	7.95	8.06	8.74	8.63
सरकारी उधारों पर ब्याज और निवेश पर प्रतिलाभ में अंतर (₹ करोड़ में)	693.77	793.85	904.03	1,400.37		2,653.54

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

गत पांच वर्षों में सरकार की ऋण लागत और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश पर आमदनी में ₹ 6,445.56 करोड़ का अंतर था। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार के लिए एक रणनीति बनाने की आवश्यकता है।

2014-15 से 2018-19 तक की पांच वर्षों की अवधि में सरकार के निवेशों में 309.96 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि निवेशों से प्रतिलाभ 2014-15 के ₹ 5.80 करोड़ से बढ़ कर 2018-19 में केवल ₹ 56.60 करोड़ तक पहुंचा। सरकार ने अपने उधारों पर 2014-19 के दौरान आठ से 9.33 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज अदा किया जबकि उसी अवधि के दौरान निवेशों से प्रतिलाभ की प्रतिशतता 0.04 और 0.18 के बीच रही। राज्य में लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों से पेडअप शेयर पूंजी का चार प्रतिशत प्रतिलाभ प्राप्त करने की नीति है। 2018-19 में लाभ अर्जन करने वाली 13 सरकारी कंपनियों से ₹ 266.44 करोड़ का प्रतिलाभ देय था, परन्तु केवल ₹ 2.15 करोड़ का प्रतिलाभ हरियाणा राज्य भंडारण निगम से प्राप्त हुआ।

राज्य सरकार ने 2018-19 के दौरान ₹ 13,373.56 करोड़ के निवेश किए। इनमें से ₹ 13,285.25 करोड़ चार विद्युत कंपनियों की इक्विटी में निवेश किए गए थे, उसमें से

₹ 12,651.72 करोड़ का निवेश तीन घाटा उठाने वाली कंपनियों⁷ में किया गया। इन चार कंपनियों में कुल निवेश ₹ 29,286.24 करोड़ हो गया था जो कि कुल निवेश का 95 प्रतिशत था।

बारह सरकारी कंपनियां जिनमें कुल ₹ 26,071.92 करोड़ निवेशित थे, घाटे में चल रही थीं और इन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियां ₹ 30,093.48 करोड़ थीं (*परिशिष्ट 1.7*)। घाटे में चलने वाली 12 सरकारी कंपनियों में से, कुल हानियों का 98 प्रतिशत तीन⁸ विद्युत उत्पादन एवं वितरण कंपनियों (₹ 29,453.04 करोड़) में था।

राज्य सरकार ने 2018-19 के दौरान चार⁹ घाटे वाली कंपनियों में 12,653.99 करोड़ का निवेश किया। राज्य सरकार द्वारा बड़ी हानियां उठा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कामकाज की समीक्षा करने पर विचार करना चाहिए तथा उनके पुनरुद्धार या बंद करने, जैसा भी उचित हो, के लिए रणनीतिक योजना बनानी चाहिए।

उदय के माध्यम से विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमज) का वित्तीय पुनरुत्थान

भारत सरकार द्वारा नवंबर 2015 में उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) आरंभ की गई थी। यह डिस्कॉमज को वित्तीय और परिचालन रूप से सक्षम बनाने के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज था ताकि वे सस्ती दरों पर पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति कर सकें। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्यों को डिस्कॉमज के कुल ऋण का 75 प्रतिशत अंश आहरण करना था, जो कि हरियाणा में 30 सितंबर 2015 तक ₹ 34,600 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 50 प्रतिशत ऋण और शेष 25 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2016-17 में आहरित करना सुनिश्चित किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा ₹ 25,950 करोड़ (₹ 34,600 करोड़ का 75 प्रतिशत) का ऋण आहरण किया गया। 2015-16 के दौरान ₹ 17,300 करोड़ और 2016-17 के दौरान ₹ 8,650 करोड़ का ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से ऋणदाता बैंकों को बॉण्ड जारी करके आहरित किया गया। राज्य सरकार ने वित्तीय पैकेज को सहायतानुदान (₹ 7,785 करोड़), इक्विटी पूंजी (₹ 2,595 करोड़) और डिस्कॉमज को ऋण (₹ 15,570 करोड़) के रूप में लेखाकृत किया।

वर्ष 2018-19 तक, ₹ 15,570 करोड़ के कुल ऋणों में से, राज्य सरकार ने ₹ 10,380 करोड़ (2017-18 में ₹ 5,190 करोड़ और 2018-19 में ₹ 5,190 करोड़) के ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय के साथ-साथ ऋणों और अग्रिमों की वसूली में अत्यधिक वृद्धि हुई। 2018-19 में राज्य सरकार ने उदय योजना के तहत जारी बॉण्ड्स पर ब्याज के रूप में ₹ 2,126.85 करोड़ का भुगतान किया।

1.8.4 विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के कार्य भी किए जाते हैं। प्रोफार्मा लेखों के अन्तिमकृत किए गए वर्ष तक सरकार द्वारा निवेशित राशि की

⁷ उ.ह.बि.वि.नि.लि, द.ह.बि.वि.नि.लि. तथा ह.वि.उ.नि.लि.

⁸ 2017-18 तक संचित हानियां: उ.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 15,614.12 करोड़), द.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 13,790.39 करोड़) तथा ह.वि.उ.नि.लि. (₹ 48.53 करोड़)।

⁹ हरियाणा बी.सी. एंड ई.डब्ल्यू.एस. कल्याण निगम लिमिटेड (₹ 2.27 करोड़), ह.वि.उ.नि.लि. (₹ 15.63 करोड़), उ.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 6,521.24 करोड़) और द.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 6,114.85 करोड़)।

विभागवार स्थिति, निवल लाभ/हानि के साथ-साथ इन उपक्रमों में निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ **परिशिष्ट 1.8** में दिए गए हैं।

सरकार द्वारा प्रोफार्मा लेखों के अन्तिमकृत किए गए वर्ष तक चार विभागीय उपक्रमों¹⁰ में ₹ 8,113.30 करोड़ की राशि निवेशित की गई थी।

दो¹¹ विभागीय उपक्रमों जिसमें राज्य सरकार की ₹ 8,094.51 करोड़ की पूंजी निवेशित थी में प्रोफार्मा लेखों के अन्तिमकृत किए गए वर्ष तक, ₹ 780.88 करोड़ की संचित हानियां थीं।

राज्य सरकार को विभागीय उपक्रमों के कामकाज की समीक्षा करने पर विचार करना चाहिए तथा उनके पुनरुद्धार के लिए रणनीतिक योजना बनानी चाहिए।

1.8.5 सरकारी एवं निजी साझेदारी में निवेश

सामाजिक तथा भौतिक मूलभूत संरचना में पर्याप्त विकास करने के विचार से, जो आर्थिक उन्नति बनाए रखने के लिए आवश्यक है, राज्य सरकार ने सरकारी एवं निजी साझेदारी माध्यम को अपनाया।

14 सरकारी एवं निजी साझेदारी परियोजनाओं (**परिशिष्ट 1.9**) में से चार परियोजनाएँ पूरी हो चुकी थीं और ₹ 6,170.52 करोड़ की कुल अनुमानित लागत वाली दस परियोजनाएं 31 मार्च 2019 को कार्यान्वयन अधीन थीं।

1.8.6 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों में निवेशों के अतिरिक्त, सरकार द्वारा अनेक संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान किये गए थे। **तालिका 1.31**, 31 मार्च 2019 को बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की स्थिति के साथ-साथ तीन वर्षों में हुई ब्याज प्राप्तियों तथा ब्याज अदायगियों की तुलना दर्शाती है।

तालिका 1.31: राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों/ब्याज प्राप्तियों/ऋण लागत की प्रमात्रा	2016-17	2017-18	2018-19	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	17,494	21,036		16,090
वर्ष के दौरान प्रदत्त राशि	4,515	1,395	1,766	756
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	973	6,341	5,360	5,372
अंतिम शेष	21,036	16,090		11,474
शेष जिसके लिए नियम व शर्तें निर्धारित हो चुकी हैं	4,667	16,090		11,474
निवल बढ़ोतरी	3,542	(-) 4,946	(-) 3,594	(-) 4,616
ब्याज प्राप्तियां	1,213	1,163	811	720
बकाया ऋणों व अग्रिमों पर प्रतिशत ब्याज प्राप्ति	6.30	6.27	5.34	5.22
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं पर प्रतिशत ब्याज भुगतान	7.20	7.29	8.72	7.35
ब्याज भुगतान एवं ब्याज प्राप्ति के बीच अन्तर (प्रतिशत)	0.90	1.02	3.38	2.13

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

¹⁰ (i) खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम) : ₹ 6,908.27 करोड़, (ii) परिवहन विभाग (हरियाणा रोडवेज) : ₹ 1,186.24 करोड़, (iii) कृषि विभाग (कीटनाशियों का क्रय एवं वितरण) : ₹ 0.82 करोड़, (iv) मुद्रण एवं लेखन (राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम) : ₹ 17.97 करोड़।

¹¹ हरियाणा रोडवेज: ₹ 517.04 करोड़ तथा खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम): ₹ 263.84 करोड़।

31 मार्च 2019 को बकाया ऋण व अग्रिमों में 28.69 प्रतिशत की गिरावट हुई जिसका मुख्य कारण वर्ष के दौरान ₹ 5,190 करोड़ के विद्युत कंपनियों के ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करना था। वर्ष 2018-19 के आरंभ में सहकारी चीनी मिलों के विरुद्ध ₹ 2,303.90 करोड़ की राशि के ऋण बकाया थे। फिर भी, इन चीनी मिलों को ₹ 343.96 करोड़ के ऋण आबंटित किए गए। वर्ष 2018-19 के दौरान ट्रांसमिशन और वितरण सेवाओं से संबंधित विद्युत परियोजनाओं के लिए ₹ 52.84 करोड़ के नए ऋण दिए गए थे। 2015-16 और 2016-17 में उदय स्कीम के अंतर्गत जारी बांड्स के विरुद्ध वर्ष 2018-19 में ₹ 2,126.85 करोड़ का ब्याज भुगतान किया गया है।

1.8.7 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के रोकड़ शेष और उसके निवेश के तुलनात्मक आंकड़े तालिका 1.32 में दिए गए हैं।

तालिका 1.32: रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

	01 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	31 मार्च 2019 को अंतिम शेष
(क) सामान्य रोकड़ शेष		
रिजर्व बैंक में जमा	(-) 490.11	(-) 795.10
ट्रांजिट लोकल में प्रेषण	0.54	0.54
कुल	(-) 489.57	(-) 794.56
रोकड़ शेष निवेश लेखे में किया गया निवेश	2,084.53	721.57
कुल (क)	1,594.96	(-) 72.99
(ख) अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़ जैसे कि लोक निर्माण विभाग अधिकारी, वन विभाग अधिकारी, जिला कलेक्टरज	2.81	3.79
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थाई अग्रिम	0.12	0.12
चिन्हित निधियों का निवेश	2,819.57	3,054.63
कुल (ख)	2,822.50	3,058.54
कुल योग (क) + (ख)	4,417.46	2,985.55

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

वर्तमान वर्ष में अंतिम रोकड़ शेष (₹ 2,985.55 करोड़) पिछले वर्ष (₹ 4,417.46 करोड़) से ₹ 1,431.91 करोड़ कम हो गया था।

रोकड़ शेष में चिन्हित निधियों से निवेश की राशी ₹ 3,054.63 करोड़ भी शामिल थी। इस निवेश में सिंकिंग निधि निवेश (₹ 1,924.04 करोड़) तथा गारंटी रिडंपशन निधि निवेश (₹ 1,128.28 करोड़) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गए थे। वर्ष 2018-19 में सरकार 361 दिन न्यूनतम रोकड़ ₹ 1.14 करोड़ से अधिक रखने में सफल रही। न्यूनतम रोकड़ बनाये रखने के लिए चार दिन के लिए साधारण अर्थोपाय अग्रिम (WMA) लिया गया था। 2018-19 के दौरान सरकार को अर्थोपाय अग्रिम पर ₹ 0.29 करोड़ ब्याज का भुगतान करना पड़ा था।

वर्ष 2018-19 के प्रारम्भ में राज्य का प्रारम्भिक सामान्य रोकड़ शेष ₹ 1,594.96 करोड़ था तथा सरकार द्वारा अपनी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए बाजार से ₹ 21,265 करोड़ ऋण उठाये गए। वर्ष के अंत में अंतिम सामान्य रोकड़ शेष ₹ (-) 72.99 करोड़ था। वर्ष 2018-19 के लिए रोकड़ शेष ₹ 2,985.55 करोड़, निर्धारित आरक्षित निधियों ₹ 6,315.60 करोड़ के बराबर नहीं थी, जिसका अर्थ है कि ₹ 3,330.05 करोड़ (₹ 6,315.60 करोड़ - ₹ 2,985.55

करोड़) की आरक्षित निधि का उपयोग अभिप्रेत उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था।

1.8.8 'चैक एवं बिल' शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष

प्रमुख शीर्ष '8670' चैक एवं बिल अपूर्ण लेन-देनों, जो पूरे होने वांछित हैं को निरूपित करता है। वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेन-देन नहीं था तथा अंतिम शेष बिना किसी बदलाव के ₹ 0.05 करोड़ ही रहा।

1.9 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

1.9.1 परिसम्पत्तियां और देयताओं की वृद्धि एवं सरंचना

विद्यमान सरकारी लेखांकन प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि एवं भवन जैसी स्थायी परिसम्पत्तियों का विस्तृत लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियों को सम्मिलित किया जाता है। 31 मार्च 2019 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार गत वर्ष की तदनुसूची स्थिति से तुलना सहित **परिशिष्ट 1.5 (भाग क एवं ख)** में दिया गया है। देयताओं में मुख्यतः आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा और रिजर्व फंड में प्राप्तियां शामिल हैं तथा परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं।


1.9.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं को **परिशिष्ट 1.5 भाग-ख** में प्रस्तुत किया गया है। 2014-19 के दौरान राजकोषीय देयताओं की सरंचना को **तालिका 1.33** तथा **चार्ट 1.16** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.33: 2014-15 से 2018-19 तक राजकोषीय देयताओं में प्रवृत्तियां

	(₹ करोड़ में)				
राजकोषीय देयता के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आंतरिक ऋण	68,797	99,660	1,22,617	1,37,813	1,54,968
केंद्र सरकार से ऋण	2,128	2,049	1,986	1,941	1,867
लोक लेखा देयताएं	17,521	19,009	21,768	24,322	27,381
कुल	88,446	1,20,718	1,46,371	1,64,076	1,84,216
वृद्धि दर	15.97	36.49	21.25	12.10	12.27
ब्याज भुगतान	6,928	8,284	10,542	11,961	13,551
राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता	216.78	253.84	278.82	261.71	279.60
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि से उत्प्लावकता	2.18	2.20	2.05	0.62	2.41
सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात	20.23	24.38	26.31	26.21	26.05

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2014-15 में ₹ 88,446 करोड़ से 108.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2018-19 में ₹ 1,84,216 करोड़ हो गईं इसके मुख्य कारण आन्तरिक ऋणों (₹ 86,171 करोड़) और लोक लेखा देयताओं (₹ 9,860 करोड़) में बढ़ोतरी थी। स.रा.घ.उ. से राजकोषीय देयताओं के अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति रही जोकि 2014-15 में 20.23 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 26.05 प्रतिशत हो गई। 2018-19 के अंत में ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 2.80 गुणा और राज्य के अपने संसाधनों का 3.64 गुणा थीं। वर्ष 2018-19 के दौरान राजकोषीय देयताओं पर ब्याज की अदायगी ₹ 13,551 करोड़ (राजकोषीय देयताओं का 7.36 प्रतिशत) थी। यह देखना महत्वपूर्ण है कि ₹ 1,84,216 करोड़ की राजकोषीय देयताएं वर्ष 2018-19 में म.अ.रा.नी.वि. में प्रक्षेपित ₹ 1,61,014 करोड़ की सीमा से अधिक थीं।

उदय स्कीम के अंतर्गत लिए गए ऋण को शामिल करने के पश्चात राजकोषीय देयताएं तथा स.रा.घ.उ. का अनुपात 26.05 प्रतिशत, चौ.वि.आ. के 20.92 प्रतिशत के मानकीय निर्धारण से अधिक था।

1.9.3 आरक्षित निधि

विशेष प्रयोजनों के लिए नौ आरक्षित निधियां (चार ब्याज वाली और पांच गैर-ब्याज वाली) रखी गई थीं। पांच गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियों में से दो निधियां "विकास स्कीमों के लिए निधि" और "हरिजन उत्थान हेतु विलेज रिकंस्ट्रक्शन के लिए निधि" पिछले चार वर्षों से निष्क्रिय हैं।

वर्ष 2018-19 के प्रारंभ में कुल आरक्षित निधि ₹ 5,527.08 करोड़ थी। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 944.98 करोड़ की बढ़ोतरी तथा ₹ 156.46 करोड़ के वितरण के बाद अंतिम शेष ₹ 6,315.60 करोड़ का था।

1.9.3.1 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र और राज्यों को 75:25 के अनुपात में निधि में योगदान करना अपेक्षित है। चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर, भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2018 से दो साल के लिए अर्थात् 2018-19 और 2019-20 के दौरान केंद्र और राज्यों के मध्य 90:10 के अनुपात में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) में अंशदान का निर्णय लिया है।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि एक प्रमुख आरक्षित निधि है जिसमें ₹ 2,155.09 करोड़ का आरंभिक शेष था। वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 320.40 करोड़ की राशि जारी की तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य के हिस्से के रूप में ₹ 35.60 करोड़ (90:10 के अनुपात में) का अंशदान करना अपेक्षित था। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 557.03 करोड़ की राशि हस्तांतरित की, जिसमें ₹ 356 करोड़ का अंशदान, विभागीय प्राधिकारियों के पास ₹ 31.43 करोड़ का अप्रदत्त शेष और अनिवेशित राशि पर ₹ 169.60 करोड़ का ब्याज शामिल था। वर्ष के दौरान ₹ 179.52 करोड़ के देय ब्याज के विरुद्ध, राज्य सरकार द्वारा अनिवेशित राशि पर ₹ 169.60 करोड़, अर्थात् ₹ 9.92 करोड़ कम, ब्याज प्रदान किया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान निधि में से ₹ 96 करोड़ का व्यय किया गया तथा 2018-19 की समाप्ति पर अंतिम शेष ₹ 2,616.12 करोड़ था।

'राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि' की स्थापना और प्रशासन पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों की धारा 18 के अनुसार, राज्य कार्यकारी समिति द्वारा निवेश के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। परंतु इस तथ्य के बावजूद कि निधि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के 90:10 के अनुपात में योगदान से बनी थी, कोई निवेश नहीं किया गया, जो कि भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

1.9.3.2 खदान एवं खनिज विकास, पुनरुद्धार एवं पुनर्वास निधि


इस निधि की स्थापना हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2015 को अधिसूचना द्वारा राज्य में खनन क्षेत्र का पर्यावरण अनुकूल विकास, सुरक्षा, संरक्षण, राज्य के खनन स्थलों के पुनर्वास एवं पुनरुद्धार के साथ-साथ क्षेत्र की इकोलोजी और पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के समय हित के कार्यों के लिए की गई थी। निधि को 'ब्याज रहित आरक्षित निधि' के रूप में प्रारम्भ किया गया था, जबकि इस पर छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देय रहता है। अधिसूचना के अनुसार खनन स्थलों के पुनरुद्धार एवं पुनर्वास व्यय का निधि पर पहला प्रभार रहेगा।

1 अप्रैल 2018 को निधि का आरंभिक शेष ₹ 110.66 करोड़ था। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने डेड रेंट/रायल्टी/संविदा धन के रूप में ठेकेदारों से ₹ 500.60 करोड़ की राशि और कन्सेशन होल्डर्स से 'अन्य प्रभारों' के तौर पर ₹ 46.72 करोड़ की राशि प्राप्त की। राज्य सरकार को एक वित्तीय वर्ष में ठेकेदारों से प्राप्त राशि के पांच प्रतिशत के बराबर अंशदान करना होता है। अपेक्षित हस्तांतरण ₹ 71.75 करोड़, जिसमें ₹ 25.03 करोड़ (₹ 500.60 करोड़ का पाँच प्रतिशत) और ₹ 46.72 करोड़ 'अन्य प्रभार' शामिल है, के विरुद्ध राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान निधि में ₹ 56.48 करोड़ हस्तांतरित किए। इसके अतिरिक्त, ब्याज के रूप में ₹ 3.39 करोड़ जमा किए गए थे। इसके आरंभ अर्थात् जुलाई 2015 से मार्च 2019 तक खनन स्थलों के विकास बहाली और पुनर्वास के लिए निधि से कोई व्यय नहीं किया गया था। वर्ष 2018-19 के अंत में निधि में ₹ 170.52 करोड़ शेष था। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया था।

1.9.4 गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां, ऋण लेने वाली संस्थाओं द्वारा ऋण वापस न करने की सूरत में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं। राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 293 की अनुपालना में राज्य की समेकित निधि की जमानत पर दी जाने वाली गारंटियों की उच्चतम सीमा के लिए कोई कानून नहीं बनाया है।


वित्त लेखाओं की विवरणी 9 के अनुसार पिछले पांच वर्षों की बकाया गारंटियों की स्थिति और बकाया गारंटियों का कुल प्राप्तियों से अनुपात **चार्ट 1.17** और **1.18** में दिया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2018-19 के दौरान सरकार द्वारा गारंटियों के विरुद्ध कोई राशि अदा नहीं की गई थी। 31 मार्च 2019 को गारंटी फीस सहित कुल ₹ 18,273 करोड़ गारंटियां बकाया थीं। ये गारंटियां, विद्युत (₹ 3,221 करोड़), सहकारी बैंकों और समितियों (₹ 634 करोड़) तथा निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कंपनियों (₹ 14,418 करोड़) से संबंधित थीं।

वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर बकाया गारंटियां राज्य की कुल प्राप्तियों का 26 प्रतिशत थीं जोकि अन्य राज्यों जैसे कि उत्तराखंड (1.6 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (छ: प्रतिशत) से काफी अधिक थीं। लेखापरीक्षा का मत है कि राज्य द्वारा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम की अनुपालना में उच्चतम सीमा तय करनी चाहिए।



1.10 ऋण प्रबंधन

गत पांच वर्ष की समयावधि में राज्य सरकार के आंतरिक ऋण की स्थिति का विश्लेषण **तालिका 1.34** प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.34: राज्य सरकार की आंतरिक ऋण स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	ऋण प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	गत वर्ष पर वृद्धि की प्रतिशतता	आन्तरिक ऋणों पर ब्याज का भुगतान
2014-15	58,143.15	18,727.99	8,073.67	68,797.47	10,654.32	18.32	5,887.22
2015-16	68,797.47	37,901.20	7,038.54	99,660.13	30,862.66	44.86	6,465.94
2016-17	99,660.13	28,046.26	5,089.52	1,22,616.87	22,956.74	23.04	9,139.51
2017-18	1,22,616.87	21,348.75	6,153.25	1,37,812.37	15,195.50	12.39	10,577.71
2018-19	1,37,812.37	34,140.14 ¹²	16,984.71 ¹³	1,54,967.80	17,155.43	12.45	11,987.56

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

(प्राप्तियों और भुगतानों में सम्बन्धित वर्षों के आन्तरिक ऋण + अर्थापय अग्रिम शामिल हैं।)

राज्य सरकार के आंतरिक ऋणों में एक बड़ा भाग बाजार ऋणों का है, जिसमें ब्याज दर 7.80 से 9.89 प्रतिशत के बीच है। 2018-19 में राज्य सरकार ने ₹ 21,265 करोड़ के नए बाजार ऋण लिए (₹ 33,635 करोड़ की कुल आंतरिक ऋण प्राप्तियों में से)। आंतरिक ऋणों के कुल ₹ 16,480 करोड़ पुनर्भुगतान में से ₹ 3,295 करोड़ का पुनर्भुगतान बाजार ऋणों का था। 31 मार्च 2019 को ₹ 1,54,968 करोड़ के कुल बकाया आंतरिक ऋणों में से ₹ 1,14,990 करोड़ के बाजार ऋण थे। वर्ष के दौरान बाजार ऋण की निवल वृद्धि 18.52 प्रतिशत (₹ 17,970 करोड़) थी।



स्रोत: राज्य वित्त लेखे

राज्य सरकार के आंतरिक ऋण 2014-15 में ₹ 58,143 करोड़ से ₹ 96,825 करोड़ (167 प्रतिशत) की बढ़ोतरी के साथ 2018-19 में बढ़कर ₹ 1,54,968 करोड़ हो गए। 2018-19 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 11,988 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था।

ऋण पोषण क्षमता

सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त, विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करते हैं और भविष्य में अपने ऋण दायित्व को पूरा

¹² आन्तरिक ऋण ₹ 33,635.11 करोड़ + अर्थापय अग्रिम ₹ 505.03 करोड़

¹³ आन्तरिक ऋण ₹ 16,479.68 करोड़ + अर्थापय अग्रिम ₹ 505.03 करोड़

करने के लिए राज्य की क्षमता का आकलन करते हैं। यह खंड बकाया ऋणों की वृद्धि दर; ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्ति का अनुपात; ऋण पुनर्भुगतान तथा ऋण प्राप्ति; राज्य के लिए निवल ऋण की उपलब्धता की गणना से सरकार की ऋण पोषण क्षमता का आकलन करता है। **तालिका 1.35** में 2014-15 से पांच वर्ष की अवधि के लिए इन सूचकों के आधार पर राज्य की ऋण पोषण क्षमता का विश्लेषण किया गया है।

तालिका 1.35: ऋण पोषण क्षमता

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरीकरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बकाया लोक ऋण	70,925.30	1,01,709.05	1,24,602.73	1,39,753.64	1,56,834.74
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर	17.63	43.40	22.51	12.16	12.22
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)	4,37,145	4,95,249	5,56,325	6,26,054	7,07,126
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	9.49	13.29	12.33	12.53	12.95
स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में ऋण	16.22	20.54	22.40	22.32	22.18
बकाया ऋण पर औसत ब्याज दर (प्रदत्त ब्याज/लोक ऋण का आ.शे.+लोक ऋण का अं.शे./2)	9.14	7.61	8.17	8.08	8.16
राजस्व प्राप्ति से ब्याज की प्रतिशतता	14.70	13.81	17.61	17.04	18.37
ऋण प्राप्ति से ऋण भुगतान की प्रतिशतता	43.62	18.99	18.73	29.50	50.15
राज्य के पास उपलब्ध निवल ऋण #	4,633	24,217	13,647	4,469	4,981
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल ऋण	24.57	63.73	48.45	20.80	14.54

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

लोक ऋण प्राप्तियों से लोक ऋण पुनर्भुगतान एवं लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के बाद बची राशि राज्य के पास उपलब्ध निवल ऋण है।

2014-19 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के लोक ऋण 121.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2014-15 में ₹ 70,925 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 1,56,835 करोड़ हो गए। 2014-15 से 2018-19 की अवधि पर वार्षिक वृद्धि दर 12.16 प्रतिशत तथा 43.40 प्रतिशत के मध्य रही। लोक ऋण में गत वर्ष की 12.16 प्रतिशत बढ़ोतरी की तुलना में 2018-19 में 12.22 प्रतिशत वृद्धि हुई।

ऋण पोषण क्षमता का विश्लेषण ई.डी. डोमर (डोमर, 1944) के एक अध्ययन के आधार पर किया गया। डोमर मॉडल के अनुसार लोक ऋणग्रस्तता में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आधार है कि सरकारी ऋणों पर ब्याज दरें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

लोक ऋण की प्रवृत्तियाँ ब्याज दर, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर और प्राथमिक बजट बकाये के आधार पर निम्नानुसार हैं:

जी - आर (जी - वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर; आर-वास्तविक ब्याज दर)	एस< शून्य (प्राथमिक घाटा)	एस> शून्य (प्राथमिक आधिक्य)
जी - आर > शून्य (मजबूत आर्थिक विकास)	स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में लोक ऋण शून्य से ऊपर एक स्तर पर स्थिर हो जायेगा।	स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में लोक ऋण शून्य से नीचे एक स्तर पर स्थिर हो जायेगा।
जी - आर < शून्य (धीमी आर्थिक विकास)	स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में लोक ऋण स्थिर हुए बिना अनिश्चित काल तक बढ़ता रहेगा।	अनिर्धारित स्थिति।

विश्लेषण को हरियाणा में लागू करने पर परिणाम नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए हैं:

वर्ष	वास्तविक वृद्धि दर (जी)	वास्तविक ब्याज दर (आर)	जी-आर	प्राथमिक घाटा/आधिक्य (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियां
2014-15	6.63	3.66	2.97	-5,658	जी-आर> शून्य तथा एस< शून्य : लोक ऋण शून्य से ऊपर एक स्तर पर स्थिर हो जायेगा।
2015-16	11.51	2.11	9.40	-23,195	
2016-17	9.07	5.13	3.94	-15,743	
2017-18	7.89	4.99	2.90	-7,153	
2018-19	8.19	3.52	4.67	-8,361	
वास्तविक वृद्धि दर की गणना वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से की गई है। वास्तविक ब्याज दर मुद्रास्फीति के समायोजन करने के पश्चात् अंकित ब्याज दर है।					

इसके अतिरिक्त, 2018-19 में ऋण का अनुपात स.रा.घ.उ. से 26.05 प्रतिशत और राजकोषीय घाटे का स.रा.घ.उ. से अनुपात 3.10 प्रतिशत रहा। जबकि चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) द्वारा ऋण की सीमा स.रा.घ.उ. का 20.92 प्रतिशत और राजकोषीय घाटे की सीमा 3.25 प्रतिशत निर्धारित की गई थी। राज्य का पूंजीगत व्यय 2014-19 के दौरान 7 से 16 प्रतिशत के मध्य रहा।

पांच वर्षों (2014-15 से 2018-19) में से प्रत्येक वर्ष में राज्य में प्राथमिक घाटा था और इस अवधि के दौरान डोमर गैप (जी-आर) सकारात्मक रहा है। इसलिए, डोमर मॉडल के अनुसार, लोक ऋण शून्य से अधिक एक स्तर पर स्थिर हो जायेगा। फिर भी, अन्य कारक जैसे लोक लेखा देयताएं और वर्तमान कोरोना वायरस संकट जैसी अप्रत्याशित घटना तथा स.रा.घ.उ. पर इसके प्रभाव और/या राज्य के ऋण पोषण क्षमता/स्थिरता का आकलन करने में राजस्व के किसी भी अन्य अनपेक्षित नुकसान का भी आकलन करना होगा। चूंकि इन्हें अनुमानित या निर्धारित नहीं किया जा सकता है, अतः इन्हें विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया है।

2014-19 की अवधि के दौरान उधार ली गई राशियों का पूर्ववर्ती उधारों के पुनर्भुगतान, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के लिए उपयोग का विवरण **तालिका 1.36** में दिया गया है।

तालिका 1.36: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उधार	पूर्ववर्ती उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (प्रतिशतता)	निवल पूंजीगत व्यय * # (प्रतिशतता)	संवितरित निवल ऋण एवं अग्रिम (प्रतिशतता)	राजस्व व्यय का अंश जो ऋण से वहन किया गया (प्रतिशतता)
2014-15	18,858.75	8,227.41 (44)	3,696.79 (20)	570.05 (3)	6,364.50 (33)
2015-16	37,998.43	7,214.68 (19)	6,878.35 (18)	12,922.01 (34)	10,983.39 (29)
2016-17	28,169.52	5,275.84 (19)	6,836.83 (24)	3,541.68 (13)	12,515.17 (44)
2017-18	21,489.76	6,338.85 (29)	8,308.03 (39)	243.96 (1)	6,598.92 (31)
2018-19	34,264.97	17,183.87 (50)	10,067.59 (30)	573.74 (1)	6,439.77 (19)
कुल	140,781.43	44,240.65 (31)	35,787.59 (25)	17,581.44 (13)	42,901.75 (31)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)


कोष्ठक में ऋण की राशि से प्रतिशतता इंगित की गई है।

* निवल पूंजीगत व्यय = कुल पूंजीगत व्यय - विविध पूंजीगत प्राप्तियां

निवल पूंजीगत व्यय में इक्विटी में बदले गए ₹ 5,190 करोड़ के ऋण शामिल नहीं हैं।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अतः राजस्व व्यय लिए भी सरकार उधार पर निर्भर रही। 2018-19 के दौरान, ₹ 6,440 करोड़ का राजस्व व्यय उधार ली गई निधियों से पूरा किया गया था, जो उधार ली गई धनराशि का 19 प्रतिशत है।



2014-19 की अवधि के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति को **चार्ट 1.22** में दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

लोक ऋण का स.रा.घ.उ. से अनुपात 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में अधिक से अधिक होता गया और 2017-19 के बीच इसमें कुछ गिरावट दर्ज की गई जैसा कि **चार्ट 1.23** में दर्शाया गया है।


राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान 2014-15 में 14.70 प्रतिशत था जोकि 2018-19 में बढ़कर 18.37 प्रतिशत (**चार्ट 1.24**) हो गया। यह दर्शाता है कि लोक ऋण पर ब्याज भुगतान की बढ़ती से विकास के लिए निधियों की उपलब्धता कम हो रही थी।



ऋण पुनर्भुगतान अनुसूची

ऋण परिपक्वता प्रोफाइल सरकार की ऋण पुनर्भुगतान या ऋण सर्विसिंग की प्रतिबद्धता का विवरण प्रदान करता है।


चार्ट 1.25: ऋण परिपक्वता प्रोफाइल



स्रोत: वित्त लेखे

मार्च 2019 तक कुल बकाया ऋण ₹ 1,56,950.31¹⁴ करोड़ था। 31 मार्च 2019 को लोक ऋण की बकाया राशियों का परिपक्वता प्रोफाइल यह दर्शाता है कि कुल बकाया ऋण का 62 प्रतिशत (₹ 97,549 करोड़) सात साल तक की अवधि में परिपक्व होने वाला है और बाकी ₹ 59,401 करोड़ (38 प्रतिशत) सातवें वर्ष के बाद की अवधि में परिपक्व होगा जैसा कि चार्ट 1.25 में दर्शाया गया है।

ब्याज सहित बाजार ऋणों एवं उदय बांड्स की पुनर्भुगतान अनुसूची चार्ट 1.26 में दी गई है।



टिप्पणी: बकाया बाजार ऋण एवं उदय बांड्स के लिए परिपक्वता प्रोफाइल 31 मार्च 2019 तक बकाया राशियों के आधार पर बनाई गई है और ब्याज की गणना ऋण पूर्ण होने वाले वित्तीय वर्ष तक की गई है।

राज्य को बाजार ऋणों एवं उदय बांड्स के लिए अगले तीन वित्तीय वर्षों में अर्थात् 2021-22 तक ₹ 18,267 करोड़ मूलधन का पुनर्भुगतान और ₹ 37,504 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना होगा। इसके बाद अगले दो वर्षों, 2023-24 तक, ₹ 31,656 करोड़ का मूलधन और ₹ 17,460 करोड़ का ब्याज देय होगा। अर्थात् अगले पाँच वर्षों, 2023-24 तक, ऋण पुनर्भुगतान और ब्याज के रूप में लगभग ₹ 20,997 करोड़ का वार्षिक भुगतान करना होगा।

¹⁴ मैच्योरिटी प्रोफाइल और ऋण शेषों में ₹ 115.57 करोड़ का अंतर है जो मिलान के अधीन था।

2024-25 से 2028-29 की अवधि में, ₹ 77,775 करोड़ के ऋण और ₹ 18,643 करोड़ के ब्याज देय होंगे। इस प्रकार राज्य को 2024-25 से 2028-29 की अवधि के दौरान लगभग ₹ 19,283 करोड़ का प्रतिवर्ष पुनर्भुगतान करना होगा।

पिछले पांच वर्षों में राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय क्रमशः 12.30 प्रतिशत और 11.42 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़े हैं। इस विकास दर को लागू करते हुए, और यह मानते हुए कि राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय इसी दर से बढ़ते रहेंगे, राज्य का राजस्व घाटा 2023-24 में बढ़कर ₹ 14,814 करोड़ और वर्ष 2028-29 तक ₹ 17,331 करोड़ हो जाएगा।


अतः राज्य को बाजार ऋणों एवं उदय बांड्स के ऋण दायित्वों के निर्वहन के लिए तथा बढ़े हुए संसाधन अंतर को भरने के लिए और अधिक ऋण लेने पड़ेंगे।


1.11 राजकोषीय असंतुलन

विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान सरकार के वित्तों में समग्र राजकोषीय असंतुलनों की गणना तीन मूल राजकोषीय मानक अर्थात् राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटों द्वारा की जाती है। यह खंड, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इन घाटों की प्रवृत्ति, स्वरूप, मात्रा और इन घाटों के वित्त पोषण की पद्धति को तथा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम/नियमों के अंतर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तर को प्रस्तुत करता है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियां

चार्ट 1.27 तथा चार्ट 1.28 द्वारा 2014-19 की अवधि में विभिन्न घाटों में प्रवृत्तियों को प्रस्तुत किया गया है।





(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- राजस्व घाटा**, जो राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य इंगित करता है, रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2005 के अनुसार 2011-12 तक शून्य करना था और 2014-15 तक शून्य पर स्थिर रखना था। 2017-18 के दौरान ₹ 10,562 करोड़ का राजस्व घाटा था जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर ₹ 11,270 करोड़ हो गया। ₹ 11,270 करोड़ का राजस्व घाटा ₹ 8,254 करोड़ के बजट प्रक्षेपणों से अधिक था और राजस्व प्राप्तियों का 17 प्रतिशत था।

₹ 11,270 करोड़ का राजस्व घाटा दर्शाता है कि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं और उधार ली गई धनराशि का उपयोग पूंजीगत सृजन की बजाय मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था।
- राजकोषीय घाटा**, जो 2017-18 में ₹ 19,114 करोड़ था, 2018-19 के दौरान बढ़कर ₹ 21,912 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा म.अ.वि.नी.वि. में नियत किए गए स.रा.घ.उ. के 2.82 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक 3.10 प्रतिशत था *(परिशिष्ट 1.6)*।
- प्राथमिक घाटा**, जो 2014-15 में 5,658 करोड़ था, 2015-16 में ₹ 23,195 करोड़ तक बढ़ गया और 2016-17 में घटकर ₹ 15,743 करोड़ हो गया (उदय स्कीम के अंतर्गत विद्युत ऋण आहरित करने के लिए 2015-16 में ₹ 17,300 करोड़ के बांड और 2016-17 में ₹ 8,650 करोड़ के बांड जारी करने का प्रभाव)। प्राथमिक घाटा 2017-18 के दौरान घटकर ₹ 7,153 करोड़ हो गया था परन्तु 2018-19 में बढ़कर ₹ 8,361 करोड़ हो गया। प्राथमिक घाटे का अर्थ है कि राज्य को अपने ऋणों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए भी ऋण लेने की आवश्यकता है।
- प्राथमिक राजस्व शेष** राज्य की राजस्व प्राप्तियों और ब्याज रहित राजस्व व्यय के अंतर को दर्शाता है। यह आकलन करता है कि राज्य की राजस्व प्राप्तियां किस हद तक ब्याज का भुगतान करने में सक्षम थीं। 2018-19 में, राज्य में ₹ 2,281 करोड़ का प्राथमिक राजस्व शेष दर्ज किया गया।

राजस्व और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राजस्व और राजकोषीय घाटों को क्रमशः ₹ 207.91 करोड़ और ₹ 3,537.96 करोड़ कम दिखाया गया था। इसका कारण नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत कम योगदान करना, खदान एवं खनिज विकास, पुनरुद्धार एवं पुनर्वास निधि के अन्तर्गत कम योगदान/ ब्याज का कम समायोजन, गारंटी फीस को लोक लेखा में हस्तांतरित न करना, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का अन्तर्गत शेषों पर कम ब्याज का समायोजन करना और निर्धारित निधियों को व्यय के लिए उपयोग करना है, जैसा कि **तालिका 1.37** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.37: प्रभावी राजस्व और राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व घाटा पर प्रभाव (अवकथित)	राजकोषीय घाटा पर प्रभाव (अवकथित)	बिना प्रभाव के अनुपात (प्रतिशत में)		प्रभाव के बाद अनुपात (प्रतिशत में)	
			आर.डी./ स.रा.घ.उ.	एफ.डी./ स.रा.घ.उ.	आर.डी./ स.रा.घ.उ.	एफ.डी./ स.रा.घ.उ.
नई पेंशन स्कीम में कम योगदान	31.58	31.58				
खदान एवं खनिज विकास, पुनरुद्धार एवं पुनर्वास निधि में कम योगदान	15.27	15.27				
खदान एवं खनिज विकास, पुनरुद्धार एवं पुनर्वास निधि में शेष राशि पर ब्याज का कम समायोजन	3.25	3.25				
गारंटी फीस को लोक लेखा में हस्तांतरित न करना	147.89	147.89	1.59	3.10	1.62	3.60
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में शेष राशि पर ब्याज का कम समायोजन	9.92	9.92				
निर्धारित निधियों का व्यय के लिए उपयोग	0	3,330.05				
कुल	207.91	3,537.96				

स्रोत: वित्त लेखे

उपर्युक्त कारणों से राज्य सरकार का राजस्व और राजकोषीय घाटा प्रभावित हुआ। राजकोषीय घाटा 0.03 प्रतिशत प्वाइंट तथा राजकोषीय घाटा 0.50 प्रतिशत प्वाइंट कम दर्शाया गया है।

1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में संघटनीय बदलाव आया है जैसा कि **तालिका 1.38** में दर्शाया गया है। 2018-19 के दौरान राजकोषीय घाटे को पोषित करने वाले घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण **तालिका 1.39** में दिए गए हैं।

तालिका 1.38: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजकोषीय घाटे के घटक	(-) 12,586	(-) 31,479	(-) 26,285	(-) 19,114	(-) 21,912
1 राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) 8,319	(-) 11,679	(-) 15,906	(-) 10,562	(-) 11,270
2 निवल पूंजीगत व्यय	(-) 3,697	(-) 6,878	(-) 6,837	(-) 13,498	(-) 15,258
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 570	(-) 12,922	(-) 3,542	4,946	4,616
राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति					
1 बाजार ऋण	12,372.99	13,168.29	15,358.98	15,839.49	17,970.00
2 भारत सरकार से ऋण	(-) 22.98	(-) 78.91	(-) 63.06	(-) 44.59	(-) 74.33
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	707.45	1,012.11	(-) 947.05	(-) 954.14	(-) 980.58
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	(-) 2,426.12	16,682.26	8,544.81	310.15	165.99
5 लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,041.05	1,048.64	1,114.88	1,226.32	1,167.71
6 आरक्षित निधि	38.97	70.72	1,646.31	673.72	553.47
7 जमा एवं अग्रिम	471.42	369.27	(-) 2.12	653.55	1,337.50
8 उचंत एवं विविध	1,145.54	(-) 1,583.19	1,734.84	518.78	1,296.28
9 प्रेषण	(-) 13.89	(-) 19.15	57.66	(-) 25.09	170.72
10 समग्र आधिक्य (-) घाटा (+)	13,314.43	30,670.04	27,445.25	18,198.19	21,606.76
11 रोकड़ शेष में अधिक (-) कमी (+)*	(-) 728.38	(+) 809.47	(-) 1,160.13	916.30	304.99
12 सकल राजकोषीय घाटा	12,586.05	31,479.51	26,285.12	19,114.49	21,911.75

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

* 8999-रोकड़ शेष (रिजर्व बैंक के पास जमा एवं कोषालय में प्रेषण)

तालिका 1.39: वित्तीय घाटे को पोषित करने वाले घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1 बाजार ऋण	21,265.00	3,295.00	17,970.00
2 भारत सरकार से ऋण	124.83	199.16	-74.33
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	980.58	-980.58
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	12,370.10	12,204.11	165.99
5 लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	3,512.08	2,344.37	1,167.71
6 जमा और अग्रिम	26,504.69	25,167.19	1,337.50
7 रिजर्व निधियां	944.98	391.51	553.47
8 उचंत एवं विविध	80,205.71	78,909.43	1,296.28
9 प्रेषण	8,911.01	8,740.29	170.72
10 समग्र आधिक्य (-) घाटा (+)	1,53,838.40	1,32,231.64	21,606.76
11 रोकड़ शेष में वृद्धि (-) कमी (+)	Cr.489.57	Cr.794.56	304.99
12 कुल राजकोषीय घाटा	1,53,348.83	1,31,437.08	21,911.75

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे)

2018-19 में राजकोषीय घाटा मुख्यतः बाजार ऋण (82 प्रतिशत), राज्य भविष्य निधि (पांच प्रतिशत) और बाकि अन्य स्रोतों से पोषित किया गया।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे में प्राथमिक राजस्व घाटे एवं पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) की राशि द्वारा राज्य के वित्तीय घाटे की गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। प्राथमिक घाटे के विभाजन (तालिका 1.40) से यह पता चलता है कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि का घाटे में कितना योगदान, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए वांछनीय है।

तालिका 1.40: प्राथमिक घाटा/आधिक्य-घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्ति	राजस्व प्राप्ति	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6	7= (4+5+6)	8=(3-4)	9=(2-7)
2014-15	41,091	40,799	42,190	3,716 (7.95)	843	46,749	(-) 1,391	(-) 5,658
2015-16	47,915	47,557	50,952	6,908 (9.71)	13,250	71,110	(-) 3,395	(-) 23,195
2016-17	53,496	52,497	57,861	6,863 (9.91)	4,515	69,239	(-) 5,364	(-) 15,743
2017-18	69,076	62,695	61,296	13,538 (17.76)	1,395	76,229	1,399	(-) 7,153
2018-19	71,306	65,885	63,604	15,307 (19.21)	756	79,667	2,281	(-) 8,361

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

(नोट: कोष्ठक में आंकड़े प्राथमिक व्यय से पूंजीगत व्यय का प्रतिशत इंगित करते हैं)

- राज्य की राजस्व प्राप्ति 2014-15 से 2018-19 के बीच 61.49 प्रतिशत बढ़ गई। 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्ति, प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी।
- प्राथमिक राजस्व घाटा 2014-15 में ₹ 1,391 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 5,364 करोड़ हो गया था और 2017-18 एवं 2018-19 में राजस्व अधिशेष में परिवर्तित हो गया। 2018-19 में प्राथमिक राजस्व अधिशेष ₹ 2,281 करोड़ था।
- प्राथमिक घाटा जो 2014-15 में ₹ 5,658 करोड़ था, बढ़कर 2015-16 में ₹ 23,195 करोड़ हो गया और उसके बाद घटकर ₹ 2017-18 में 7,153 करोड़ हो गया। हालांकि, चालू वर्ष के दौरान प्राथमिक घाटा 2017-18 में ₹ 7,153 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 8,361 करोड़ हो गया।

तालिका 1.41: राजकोषीय घाटे के घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) 8,319 (66)	(-) 11,679 (37)	(-) 15,906 (61)	(-) 10,562 (55)	(-) 11,270 (51)
निवल पूंजीगत व्यय	(-) 3,697 (29)	(-) 6,878 (22)	(-) 6,837 (26)	(-) 13,498 (71)	(-) 15,258 (70)
निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 570 (5)	(-) 12,922 (41)	(-) 3,542 (13)	(+) 4,946	(+) 4,616
राजकोषीय घाटा	(-) 12,586	(-) 31,479	(-) 26,285	(-) 19,114	(-) 21,912

कोष्ठकों में आंकड़े राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता इंगित करते हैं

राजकोषीय घाटा 2017-18 में ₹ 19,114 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 21,912 करोड़ हो गया। 2018-19 में राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का योगदान 51 प्रतिशत था। राजकोषीय घाटे में निवल पूंजीगत व्यय तथा निवल ऋण एवं अग्रिम का संयुक्त योगदान 49 प्रतिशत

था। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का उच्च अनुपात इंगित करता है कि राजस्व व्यय का एक बड़ा भाग उधार ली गई धनराशी से वहन किया जा रहा है।

चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा स.रा.घ.उ. का 3.10 प्रतिशत था।

1.12 निष्कर्ष

राज्य में राजस्व घाटे का प्रगामी उन्मूलन करके विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए रा.उ.ब.प्र. अधिनियम, 2005 पारित किया गया था। रा.उ.ब.प्र. हालांकि, अधिनियम का संशोधन, चोदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर नहीं किया गया है। राज्य राजस्व घाटे वाला राज्य बना हुआ है। 2016-17 में राजस्व प्राप्तियों के 30 प्रतिशत की तुलना में राजस्व घाटा 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 17 प्रतिशत था।

राज्य का प्राथमिक घाटा 2017-18 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1.14 प्रतिशत से बढ़कर चालू वर्ष में 1.18 प्रतिशत हो गया था।

हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत एकत्रित ₹ 3,766.64 करोड़ की प्राप्तियां 2011-18 के दौरान राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की गई थीं। इसी प्रकार सरकारी विभागों द्वारा निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत उपकर संग्रहित करके भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को राज्य की समेकित निधि में लिए बिना हस्तांतरित किया जा रहा है। 31 मार्च 2018 को बोर्ड के पास ₹ 2,744.34 करोड़ की निधियां थीं।

वर्ष के दौरान कुल व्यय का 83 प्रतिशत राजस्व व्यय था। 2018-19 के दौरान राजस्व व्यय का 65 प्रतिशत चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, पेंशन देयताओं, ब्याज भुगतान और सब्सिडी पर किया गया। इसके अतिरिक्त, कुल सब्सिडी (₹ 8,549 करोड़) का 87 प्रतिशत (₹ 7,415 करोड़) केवल ऊर्जा क्षेत्र के लिए दिया गया।

2018-19 के दौरान ₹ 15,307 करोड़ (कुल व्यय का 16.42 प्रतिशत) के पूंजीगत व्यय में उदय स्कीम के अंतर्गत प्रदत्त विद्युत क्षेत्र के ₹ 5,190 करोड़ राशि के ऋण भी शामिल थे जो कि इक्विटी में परिवर्तित कर दिए गए थे। 2017-18 तक तीन विद्युत कंपनियों की संचित हानियां ₹ 29,453 करोड़ थीं।

राजस्व घाटा 2017-18 में ₹ 10,562 से बढ़कर 2018-19 में ₹ 11,270 करोड़ हो गया था। अन्य राजकोषीय मानक अर्थात् राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटे जो कि 2017-18 में क्रमशः ₹ 19,114 करोड़ और ₹ 7,153 करोड़ थे, 2018-19 में बढ़कर क्रमशः ₹ 21,912 करोड़ (15 प्रतिशत) और ₹ 8,361 करोड़ (17 प्रतिशत) हो गए।

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 31 मार्च 2019 को ₹ 1,84,216 करोड़ थीं। राजकोषीय देयताएं 31 मार्च 2018 को स.रा.घ.उ. का 26.20 प्रतिशत की तुलना में स.रा.घ.उ. का 26.05 प्रतिशत थीं। राजकोषीय देयताएं 31 मार्च 2018 को राजस्व प्राप्तियों के 2.62 गुणा की तुलना में 31 मार्च 2019 को 2.80 गुणा थीं।

2018-19 की समाप्ति पर ₹ 2,985.55 करोड़ का रोकड़ शेष ₹ 6,315.60 करोड़ की निर्धारित आरक्षित निधि से कम था जो इंगित करता है कि ₹ 3,330.05 करोड़ की आरक्षित निधियां अभिप्रेत उद्देश्यों से अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग की गईं।

राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 2,787 करोड़ की निधियों का निवेश नहीं किया गया था। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर निधि में 31 मार्च 2018 को ₹ 2,744 करोड़ अप्रयुक्त पड़े थे।

सरकार के आंतरिक ऋण 2017-18 में ₹ 1,37,812 करोड़ से बढ़कर 2018-19 के दौरान ₹ 1,54,968 करोड़ (12.45 प्रतिशत) हो गए। 2018-19 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 11,988 करोड़ ब्याज का भुगतान किया गया था। 2018-19 के दौरान संसाधनों एवं व्यय का अंतर ऋणात्मक रहा तथा प्राथमिक व्यय का कुछ भाग ऋणों द्वारा वहन किया गया था।

अध्याय-2
वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण

अध्याय-2

वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोजन लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के प्रभारित और दत्तमत खर्च के लेखे हैं जिसकी तुलना विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोजनों की राशि के साथ की गई है, जो कि विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न सूचियों में विनिर्दिष्ट है। ये लेखे मूल बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों एवं पुनर्विनियोजनों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करते हैं और विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट की दोनों प्रभारित और दत्तमत मदों की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोजन लेखे, वित्तों के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की मॉनीटरिंग को सरल बनाते हैं और अतः वित्त लेखों के पूरक हैं।

विनियोजन लेखों में बजट बनाने की प्रक्रिया और इसके कार्यान्वयन (चार्ट 2.1) से संबंधित गतिविधियों का समावेश है।

चार्ट 2.1: बजट कार्यान्वयन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन



स्रोत: बजट मैनुअल और विनियोजन लेखे

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोजन अधिनियमों के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के भीतर है तथा यह कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार प्रभारित किए जाने हेतु अपेक्षित व्यय को ही इस प्रकार प्रभारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई बजट एवं व्यय के प्रबंधन की कमियां तथा बजट मैनुअल का उल्लंघन अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित किया गया है।

2.2 विनियोजन लेखों का संक्षेप

वर्ष 2018-19 के लिए कुल ₹ 1,41,732.90 करोड़ के व्यय का प्रावधान था। वर्ष के दौरान वास्तविक सकल व्यय ₹ 1,21,362.76 करोड़ हुआ। इसके परिणामस्वरूप 2018-19 में ₹ 20,370.14 करोड़ की बचत¹ हुई। विवरण नीचे **तालिका 2.1** में दिए गए हैं:

तालिका 2.1: मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	71,217.35	5,257.19	76,474.54	63,629.06	(-) 12,845.48
	II पूंजीगत	25,489.59	3,783.11	29,272.70	25,919.74	(-) 3,352.96
	III ऋण एवं अग्रिम	1,766.42	245.54	2,011.96	755.64	(-) 1,256.32
कुल दत्तमत		98,473.36	9,285.84	1,07,759.20	90,304.44	(-) 17,454.76
भारित	IV राजस्व	14,456.78	141.17	14,597.95	13,735.87	(-) 862.08
	V पूंजीगत	100.00	10.00	110.00	138.58	(+) 28.58
	VI लोक ऋण का पुनर्भुगतान	12,465.75	6,800.00	19,265.75	17,183.87	(-) 2,081.88
कुल भारित		27,022.53	6,951.17	33,973.70	31,058.32	(-) 2,915.38
आकस्मिक निधि से विनियोजन		-	-	-	-	-
कुल योग		1,25,495.89	16,237.01	1,41,732.90	1,21,362.76	(-) 20,370.14

नोट: ऊपर दर्शाए गए व्यय सकल आंकड़े हैं जिसमें लेखाओं में दर्शाई गई कटौती के रूप में वसूलियाँ - राजस्व शीर्षों (₹ 209.39 करोड़) और पूंजीगत शीर्षों (₹ 10,751.72 करोड़) - की परिगणना नहीं की गई है।

₹ 16,237.01 करोड़ के पूरक प्रावधान द्वारा मूल प्रावधान का 13 प्रतिशत संघटित किया गया जोकि गत वर्ष में 10 प्रतिशत था।

¹ बचत वह पारिभाषिक शब्द है जो उस राशि को इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है जो बजट प्रावधानों में से खर्च नहीं की जा सकी।

विनियोजन लेखा 2018-19 का विश्लेषण

चार्ट 2.2: बजट को कैसे कार्यान्वित किया गया था



स्रोत: विनियोजन लेखा

₹ 20,370.14 करोड़ की समग्र बचतें, राजस्व (दत्तमत) के अंतर्गत 44 अनुदानों तथा राजस्व (भारित) खंड के अंतर्गत 15 अनुदानों, पूंजीगत (दत्तमत) के अंतर्गत 24 अनुदानों और ऋण खंड के अंतर्गत एक विनियोजन (लोक ऋण का पुनर्भुगतान) में ₹ 20,411.68 करोड़ की बचतों तथा राजस्व (भारित) खंड के अंतर्गत अनुदान संख्या 42 (₹ 12.96 करोड़), पूंजीगत (भारित) खंड के अंतर्गत अनुदान संख्या 8 (₹ 18.37 करोड़) तथा अनुदान संख्या 24-सिंचाई (₹ 10.21 करोड़) में ₹ 41.54 करोड़ के आधिक्य से समायोजन के कारण थी। ₹ 41.54 करोड़ के आधिक्य का संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विनियमन अपेक्षित है।

तालिका 2.2: विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत कुल आधिक्य अथवा बचत

विवरण	अनुदानों/विनियोजन की संख्या					राशि (₹ करोड़ में)
	राजस्व (दत्तमत)	राजस्व (भारित)	पूंजीगत (दत्तमत)	पूंजीगत (भारित)	लोक ऋण पुनर्भुगतान	
बचत	44	15	24	-	1	20,411.68
अधिक व्यय	-	1	-	2	-	41.54

स्रोत: विनियोजन लेखा

₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाले अनुदान **परिशिष्ट 2.1** में सूचीबद्ध हैं।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन

2.3.1 प्रावधान के बिना व्यय

बजट मैनुअल के अनुसार, निधियों के प्रावधान के बिना, कोई व्यय स्कीम/सेवा पर नहीं किया जा सकता। फिर भी, यह देखा गया कि **परिशिष्ट 2.2** में दिए गए ब्यौरे के अनुसार नौ मामलों (₹ एक करोड़ से अधिक) में मूल अनुदानों/पूरक मांगों में बिना किसी प्रावधान के ₹ 86.49 करोड़ का व्यय किया गया।

2.3.2 प्रावधानों पर आधिक्य जिसे विनियमन की जरूरत है

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार इस अनुच्छेद के प्रावधानों की अनुपालना करते हुए विनियोजन अधिनियम पारित किये बिना राज्य की समेकित निधि से धन का निकास नहीं किया जायेगा। आगे, अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकारों के लिए यह जरूरी है कि अनुदानों/विनियोजनों पर आधिक्य राज्य विधायिका से विनियमित करवाए जाएं। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है; लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखाओं की चर्चा के पूरा होने के बाद अधिक व्यय विनियमित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान तीन विनियोजनों में राज्य विधायिका से प्राधिकृत राशि से ₹ 41.54 करोड़ का अधिक व्यय किया गया। वर्ष 2017-18 से सम्बंधित दो अनुदानों एवं एक विनियोजन में ₹ 540.60 करोड़ के अधिक व्यय को राज्य विधायिका द्वारा अभी विनियमित किया जाना है (नवम्बर 2019)। यह संविधान के अनुच्छेदों 204 तथा 205 का उल्लंघन है तथा बजटीय प्रणाली एवं वित्तीय नियंत्रण को निष्प्रभाव करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

2.3.3 आबंटनों की तुलना में बचतें

वर्ष 2018-19 में कुल ₹ 20,370.14 करोड़ की बचत थी, जिसमें से 35 मामलों में प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत के साथ ₹ 19,330.91 करोड़ की बचत दर्ज की गई (परिशिष्ट 2.1)। इन 35 मामलों में ₹ 1,30,605.66 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 1,11,274.75 करोड़ था तथा बचतें ₹ 19,330.91 करोड़ थीं। 10 अनुदानों, 9-शिक्षा (राजस्व-दत्तमत), 15-स्थानीय शासन (राजस्व-दत्तमत), 27-कृषि (राजस्व दत्तमत), 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (राजस्व दत्तमत), 36-गृह (राजस्व दत्तमत), 40-ऊर्जा एवं विद्युत (राजस्व दत्तमत), 6-वित्त (राजस्व भारित), 8-भवन एवं सड़कें (पूंजीगत-दत्तमत), 45-ऋण एवं अग्रिम (पूंजीगत-दत्तमत) तथा लोक ऋण में बचतें ₹ 500 करोड़ से अधिक थीं।

2.3.4 निरंतर बचतें

पिछले पांच वर्षों के दौरान 18 अनुदानों तथा एक विनियोजन में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें, जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या अधिक भी थीं, पाई गई (तालिका 2.3)।

तालिका 2.3: निरन्तर बचतें दर्शाने वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व (दत्तमत)						
1.	05-उत्पाद शुल्क और कराधान	29.40 (16)	45.48 (22)	35.12 (16)	65.89 (25)	48.40 (20)
2.	07-आयोजना एवं सांख्यिकी	333.58 (81)	237.74 (58)	283.17 (62)	10.76 (26)	22.00 (37)
3.	09-शिक्षा	1,369.49 (14)	2,317.26 (20)	3,436.36 (25)	2,345.71 (17)	1,799.79 (13)
4.	10-तकनीकी शिक्षा	137.08 (28)	93.47 (20)	98.19 (21)	92.61 (21)	68.17 (15)
5.	11-खेल एवं युवा कल्याण	58.82 (25)	84.43 (27)	105.84 (25)	211.20 (46)	114.86 (29)
6.	13-स्वास्थ्य	576.18 (21)	547.14 (18)	595.38 (18)	434.07 (12)	497.37 (12)
7.	14-शहरी विकास	32.64 (24)	63.06 (37)	12.47 (13)	53.95 (51)	38.93 (36)
8.	15-स्थानीय शासन	584.00 (28)	1,407.70 (43)	879.77 (25)	1,462.93 (27)	2,168.63 (43)
9.	17-रोजगार	25.15 (31)	29.62 (38)	16.12 (23)	56.52 (24)	45.37 (13)
10.	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	24.00 (11)	30.39 (12)	52.67 (19)	122.11 (29)	185.11 (37)
11.	19-एस.सी, एस.टी, ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यकों का कल्याण	95.10 (26)	323.20 (49)	213.79 (27)	357.63 (47)	325.97 (45)
12.	21-महिला एवं बाल विकास	195.08 (22)	268.23 (27)	368.88 (33)	232.26 (22)	476.58 (34)
13.	23-खाद्य एवं आपूर्ति	166.43 (45)	122.74 (33)	115.61 (14)	311.20 (54)	108.50 (28)
14.	27-कृषि	473.74 (37)	374.19 (27)	826.91 (43)	648.44 (34)	956.78 (35)
15.	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	580.95 (23)	815.54 (28)	366.90 (10)	1,193.68 (26)	1,261.75 (26)
पूँजीगत (दत्तमत)						
16.	21-महिला एवं बाल विकास	163.97 (74)	168.82 (79)	37.37 (34)	110.87 (64)	77.01 (48)
17.	34-परिवहन	29.13 (15)	79.85 (38)	149.58 (57)	45.64 (17)	163.57 (47)
18.	38-जन-स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	146.74 (13)	323.70 (28)	310.50 (25)	273.98 (19)	294.53 (17)
पूँजीगत (भारित)						
19.	लोक ऋण	5,622.44 (41)	2,820.83 (28)	4,401.67 (45)	3,606.12 (36)	2,081.88 (11)

* कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

2018-19 के दौरान 11 विकास योजनाओं (वेतन/स्थापनाओं से पृथक) में ऊपर उल्लिखित अनुदानों के अंतर्गत बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी (तालिका 2.4)।

तालिका 2.4: ₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाले मामलों के विवरण

क्र. सं.	अनुदान का नाम और स्कीम का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	बचत	बजट पर बचत प्रतिशतता
1	अनुदान संख्या 9-शिक्षा				
(i)	2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा, 109-सरकारी माध्यमिक विद्यालय, 86-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	500.00	298.00	202.00	40
2	15-स्थानीय शासन				
(i)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता, 96- स्टॉम्प शुल्क की आय से नगर निगमों तक स्थानीय निकायों में योगदान	532.40	364.49	167.91	32
(ii)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगर समितियों/परिषदों को सहायता, 92-स्टॉम्प शुल्क की आय से नगर समिति/परिषद तक स्थानीय निकायों में योगदान	346.00	146.61	199.39	58
(iii)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 91-शहरी स्थानीय निकायों के लिए वेट पर अनुसूचित जाति घटक के लिए अधिभार का हिस्सा	218.40	107.47	110.93	51
(iv)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 75-शहरी स्थानीय निकायों के लिए वेट पर अधिभार का हिस्सा	974.00	481.31	492.69	51
3	21-महिला एवं बाल विकास				
(i)	2236-पोषण, 02-पौष्टिक खाद्य और पेय पदार्थों का वितरण, 101-विशेष पोषण कार्यक्रम, 95-पूरक पोषण कार्यक्रम	238.44	68.32	170.12	71
4	27-कृषि				
(i)	2401-फसल पालन, 119-बागवानी और सब्जियों की फसलें, 54- फार्म पर और बागवानी किसानों को विपणन समर्थन	199.33	0	199.33	100
5	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास				
(i)	2505-ग्रामीण रोजगार, 02-ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, 99-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.)	295.00	150.08	144.92	49
(ii)	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 102-सामुदायिक विकास, 94-हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एच.एस.वी.वाई.)	400.00	199.98	200.02	50
6	लोक ऋण				
(i)	6003-राज्य सरकार के आंतरिक ऋण, 107-स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकों से ऋण	12,100.00	10,900.00	1200.00	10
(ii)	6003-राज्य सरकार के आंतरिक ऋण, 108-राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग से ऋण	1,239.08	636.39	602.69	49

विकास योजनाओं पर व्यय का एक विस्तृत विश्लेषण अनुच्छेद 2.5.3 में किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से कार्यान्वित नहीं की गई योजनाओं, संशोधित प्रावधानों में कमी, संशोधित प्रावधानों में वृद्धि परंतु कम व्यय, नई स्कीमों में प्रावधान के बावजूद कोई व्यय नहीं, आदि शामिल हैं।

2.3.5 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 37 मामलों में पूरक प्रावधानों द्वारा प्राप्त कुल ₹ 4,159.91 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं आया। 14 मामलों में ₹ 3,523.92 करोड़ का पूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 2.3** में वर्णित है। दूसरी ओर एक मामले में ₹ 10 करोड़ का पूरक अनुदान² अपेक्षाओं को वहन करने के लिए पर्याप्त नहीं था और 46 प्रतिशत तक कम पड़ गया (**चार्ट 2.3**)।

चार्ट 2.3: अनावश्यक, अधिक तथा अपर्याप्त पूरक प्रावधान



स्रोत: विनियोजन लेखे

सरकार द्वारा प्रभावी बजट अनुमान तैयार करने पर जोर देना चाहिए ताकि बृहद् बचतों तथा पूरक प्रावधानों से बचा जा सके।

2.3.6 व्यय का वेग

सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56 के अनुसार व्यय की अधिकता विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में वित्तीय औचित्य का उल्लंघन समझा जाना चाहिए और इसे टालना चाहिए। इसके विपरीत **परिशिष्ट 2.4** में सूचीबद्ध 13 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 17 शीर्षों में वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान ₹ 10 करोड़ से अधिक जो कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक था, का व्यय किया गया।

आगे संवीक्षा में पाया गया कि 2018-19 के दौरान 13 अनुदानों के अंतर्गत 17 मुख्य शीर्षों में किए गए कुल ₹ 4,537.83 करोड़ के व्यय में से ₹ 2,380.32 करोड़ (52 प्रतिशत) का व्यय

² अनुदान संख्या 8 पूंजीगत भारत

मार्च 2019 माह में किया गया। अंतिम तिमाही के दौरान विशेषतः मार्च माह में व्यय की अधिकता, वित्तीय नियमों की अनुपालन न करना दर्शाता है।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता को नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करने पर विचार करना चाहिए।

2.4 खजानों के कार्यचालन में पाई गई कमियां

2018-19 के लिए संकलन एवं निरीक्षण के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा द्वारा खजानों के कार्यचालन में निम्नलिखित प्रमुख कमियां पाई गईं:

2.4.1 खजानों द्वारा मासिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब

वर्ष के दौरान, 13³ खजानों से 18 मामलों में लेखे विलंब से प्राप्त हुए थे (आठ मामलों में भुगतान की पहली सूची तथा दस मामलों में भुगतान की दूसरी सूची)। यहाँ यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि 94.07 प्रतिशत लेखे समय पर प्राप्त हुए थे। हालांकि, कुछ मामलों में मामूली विलंब पाया गया था। प्रारंभिक लेखाओं के प्राप्ति में विलंब के कारण प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा मासिक सिविल लेखाओं के संकलन में विलंब हुआ।

2.4.2 खजानों से प्रतीक्षित वाउचरों की प्राप्ति में देरी

पंजाब वित्तीय नियम वॉल्यूम-1 का नियम 3.17 के अनुसार खजाना अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी वाउचर भुगतान और अनुसूची की सूचियों के साथ संलग्न कर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा के कार्यालय को भेजे जायें।

लेखाओं की वाउचरवार पोस्टिंग/सत्यापन (संकलन) करते समय, ₹ 8.17 करोड़ राशि के 385 वाउचर (वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2018-19 से सम्बंधित) विभिन्न खजाना कार्यालयों से अभी भी मार्च 2019 तक प्रतीक्षित थे। मिसिंग वाउचरों के कारण सर्पेंस हेड के अंतर्गत बकाया राशि का खजाना-वार विवरण **परिशिष्ट 2.5** में दिया गया है।

2.4.3 खजानों से प्रतीक्षित विस्तृत आकस्मिक बिल

पंजाब खजाना नियम और सहायक खजाना नियम (वॉल्यूम-1) के नियम 4.49(4) में निहित प्रावधानों के अनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा जिस माह में संक्षिप्त आकस्मिक बिल तैयार किए जाते हैं उसके अनुवर्ती आगामी माह के अंत तक विस्तृत आकस्मिक बिल जमा किए जाने अपेक्षित होते हैं। लेकिन ₹ 102.61 करोड़⁴ की राशि के 352 संक्षिप्त आकस्मिक बिलों से सम्बंधित विस्तृत आकस्मिक प्रस्तुत नहीं किये गए थे। अग्रिम लेने के बाद लेखाकृत न करने से अपव्यय/गबन/दुरुपयोग, आदि की संभावना बढ़ जाती है।

³ भिवानी, दिल्ली, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, नूंह (मेवात), पानीपत, रोहतक, सिरसा और सोनीपत।

⁴ 2016-17 तक (तीन ए.सी. बिल) - ₹ 2.60 करोड़, 2017-18 (10 ए.सी. बिल) - ₹ 2.29 करोड़, 2018-19 (339 ए.सी. बिल) - ₹ 97.72 करोड़।

2.4.4 वन अधिकारियों द्वारा प्रेषित राशियों के लिए समेकित खजाना प्राप्तियां प्रस्तुत न करना

पंजाब खजाना नियमों के नियम 2.16 और सहायक खजाना नियम (वॉल्यूम-1) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक खजाना अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के पहले दिन प्रत्येक मंडलीय वनाधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह के दौरान प्रेषित राशियों के लिए फॉर्म टी.ए.-12 में समेकित खजाना प्राप्तियां जारी करनी चाहिए।

तथापि, यह देखा गया था कि पिछले पांच वर्षों से, खजाना अधिकारी संबंधित मंडलीय वन अधिकारियों को अपेक्षित समेकित खजाना रसीदें जारी नहीं कर रहे थे। 31 मार्च 2019 तक विभिन्न वन मंडलों तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के लेखाओं में मौजूद निवल अंतरों को **परिशिष्ट 2.6** में दर्शाया गया है। इन निवल अंतरों का समाधान संबंधित खजाना अधिकारियों से समेकित खजाना प्राप्तियों की प्राप्ति पर ही किया जा सकता है। इसके कारण, जो चालान राशि मंडलीय रोकड़ बही में नहीं ली गई वह विभाग के उचित राजस्व शीर्ष की बजाय सस्पेंस शीर्ष के अंतर्गत ली जाती है।

2.5 बजटीय पूर्वानुमानों के विश्लेषण का परिणाम

2.5.1 अवास्तविक बजट अनुमान

वर्ष 2018-19 के लिए राज्य सरकार द्वारा ₹ 1,02,732.54 करोड़ का मूल बजट तैयार किया गया था और संशोधित ₹ 1,02,779.09 करोड़ का था। इसके विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 93,217.78 करोड़ हुआ। वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित अनुमान, वास्तविक व्यय के विवरण **तालिका 2.5** में दिए गए हैं:

तालिका 2.5: 2014-19 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
मूल बजट	59,451.23	69,140.29	88,781.96	92,384.38	1,02,732.54
संशोधित अनुमान	61,449.82	85,037.30	84,132.15	93,685.52	1,02,779.09
वास्तविक व्यय	53,676.27	79,394.32	79,781.44	88,190.15	93,217.78
बचत	7,773.55	5,642.98	4,350.71	5,495.37	9,561.31

इसी प्रकार, अनुमानित प्राप्तियां ₹ 88,333 करोड़ को संशोधित करके ₹ 82,246 करोड़ के अनुमानों के विरुद्ध वास्तविक प्राप्तियों ₹ 71,306 करोड़ थीं जैसा **तालिका 2.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: प्राप्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
मूल बजट	48,058	52,717	63,666	74,813	88,333
संशोधित अनुमान	45,821	54,642	60,784	76,445	82,246
वास्तविक प्राप्तियां	41,090	47,915	53,496	69,076	71,306
कमी	4,731	6,727	7,288	7,369	10,940

2.5.2 संसाधनों का वास्तविक पूर्वानुमान

पंजाब स्टेट बजट मैनुअल के नियम 4.2 के अनुसार संशोधित अनुमान वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों के यथासंभव सटीक पूर्वानुमान होते हैं कि वर्ष भर की वास्तविक प्राप्तियां क्या रहेंगी और इन पूर्वानुमानों की गणना का मत्वपूर्ण आधार, वर्ष के बीत चुके महीनों के दौरान हुई वास्तविक प्राप्तियां होती हैं। यदि कोई अधिकारी देखता है कि राजस्व के किसी स्रोत से वास्तविक प्राप्तियां पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि की तुलना में अधिक या कम हैं तो वह शेष महीनों के दौरान उसी दर पर वृद्धि या गिरावट की निरंतरता के पूर्वानुमानों के बारे में सही है। इस प्रकार, अनुमान हमेशा सरकार की प्राप्तियों और व्यय को प्रभावित करने वाले कारणों को ध्यान में रख कर ही बनाने चाहिए तथा जहां तक संभव हो सटीक होने चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि कर-भिन्न राजस्व के लिए 2018-19 का संशोधित अनुमान ₹ 17,627.51 करोड़ था जबकि वास्तविक प्राप्ति ₹ 15,049.18 करोड़ थी। अतः ₹ 2,578.33 करोड़ की कमी हुई। इसी प्रकार, वर्ष 2018-19 के लिए कर राजस्व का अनुमान ₹ 59,200.60 करोड़ था जबकि वास्तविक प्राप्ति ₹ 50,835.94 करोड़ थी जो कि पूर्वानुमान से ₹ 8,364.66 करोड़ कम थी। इस संबंध में गत पांच वर्षों के पूर्वानुमान नीचे तालिका 2.7 में दिए गए हैं।

तालिका 2.7: कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व के पूर्वानुमान एवं वास्तविक

(₹ करोड़ में)				
वर्ष	विवरण	संशोधित अनुमान	वास्तविक	अंतर
2014-15	कर राजस्व	33,402.75	31,182.66	2,220.09
	कर-भिन्न राजस्व	12,016.39	9,616.00	2,400.39
2015-16	कर राजस्व	40,436.10	36,425.31	4,010.79
	कर-भिन्न राजस्व	13,731.25	11,131.24	2,600.01
2016-17	कर राजस्व	45,087.63	40,623.15	4,464.48
	कर-भिन्न राजस्व	15,239.46	11,873.67	3,365.79
2017-18	कर राजस्व	53,061.52	48,396.90	4,664.62
	कर-भिन्न राजस्व	17,023.61	14,297.97	2,725.64
2018-19	कर राजस्व	59,200.60	50,835.94	8,364.66
	कर-भिन्न राजस्व	17,627.51	15,049.18	2,578.33

2.5.3 विकास योजनाओं की खामियां

2018-19 के दौरान विकास स्कीमों के लिए ₹ 42,784.08 करोड़ का संशोधित अनुमान आंका गया था। विकास स्कीमों पर ₹ 35,645.30 करोड़ की राशि खर्च की गई थी, जो प्रावधानों का 83.31 प्रतिशत था। निम्न तथ्यों के कारण परिवर्तन हुआ:

- i. 2018-19 के लिए ₹ 368.75 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय वाली कुल 20 योजनाएं कार्यान्वित नहीं की गई थी तथा संशोधित अनुमानों में पूर्ण रूप से वापिस ले ली गई (परिशिष्ट 2.7)।
- ii. 2018-19 के लिए अनुमोदित परिव्यय में 41 योजनाओं के अंतर्गत किया गया ₹ 1,648.47 करोड़ का प्रावधान कम करके संशोधित अनुमान में ₹ 590.19 करोड़ कर दिया गया था किंतु इन स्कीमों के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया था (परिशिष्ट 2.8) जिसके लिए कारण नहीं दिए गए थे।

- iii. अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित परिव्यय में 10 योजनाओं के अंतर्गत ₹ 28.69 करोड़ का प्रावधान किया गया था किंतु वर्ष 2018-19 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था (परिशिष्ट 2.9)।
- iv. सात योजनाओं के अंतर्गत किया गया ₹ 374.88 करोड़ का प्रावधान बढ़ा कर ₹ 573.61 करोड़ किया गया था जिसके विरुद्ध वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 233.81 करोड़ का व्यय किया गया जो कि मूल अनुमानों का 62 प्रतिशत था। अतः पूरक अनुदानों के माध्यम से निधियों में की गई वृद्धि अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि कुल व्यय मूल अनुमानों से भी कम था (परिशिष्ट 2.10)।
- v. 48 विकास योजनाओं, जिनके निष्पादन के लिए 2018-19 के दौरान ₹ 5,005.09 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित किया गया था, संशोधित अनुमानों में ₹ 3,213.01 करोड़ कर दिया गया था। इन योजनाओं पर केवल ₹ 1,745.04 करोड़ का व्यय किया गया था जोकि संशोधित प्रावधानों का 54 प्रतिशत था (परिशिष्ट 2.11)।
- vi. महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण की एक योजना, जिसके लिए 2018-19 के दौरान ₹ 28.50 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित किया गया था, संशोधित अनुमानों में ₹ 14 करोड़ कर दिया गया था, किंतु ₹ 17.77 करोड़ का व्यय किया गया था जोकि संशोधित अनुमान का 127 प्रतिशत था।
- vii. 35 योजनाएं, जिनके लिए मूल प्रावधान तथा संशोधित प्रावधान ₹ 852.89 करोड़ का था, किंतु ₹ 352.57 करोड़ (41 प्रतिशत) का व्यय किया गया जोकि किए गए प्रावधान से बहुत कम था जिसका विवरण परिशिष्ट 2.12 में दिया गया है।
- viii. दो योजनाओं⁵ में मूल बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया था और ₹ 4.55 करोड़ का प्रावधान संशोधित अनुमानों में किया गया था। ₹ 2.02 करोड़ (44 प्रतिशत) का व्यय किया गया था जो कि किए गए प्रावधान से कम था।
- ix. तीन नई योजनाएं⁶, जिनके लिए संशोधित अनुमानों में ₹ 52.95 करोड़ का प्रावधान किया गया था किंतु वर्ष 2018-19 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था।
- x. 10 योजनाओं के अंतर्गत किया गया ₹ 301.60 करोड़ का प्रावधान ₹ 1,029.24 करोड़ तक बढ़ाया गया था जिसके विरुद्ध वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 566.07 करोड़ का व्यय किया गया था। इस प्रकार पूरक अनुदानों के माध्यम से निधियों में की गई वृद्धि अत्यधिक सिद्ध हुई क्योंकि इन योजनाओं का कुल व्यय संशोधित अनुमानों का 55 प्रतिशत था (परिशिष्ट 2.13)।

⁵ (i) आयुष विभाग के अंतर्गत श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र तथा (ii) विकास और पंचायत विभाग के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए मैचिंग सहायता अनुदान (लोगों का हिस्सा)

⁶ (i) हरियाणा में कृषि और किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत गन्ना किसानों को भुगतान करने के लिए निजी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता, (ii) खाद्य और आपूर्ति विभाग के अंतर्गत केरोसीन मुक्त हरियाणा तथा (iii) जेल विभाग के अंतर्गत जेलों का आधुनिकीकरण।

2.6 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

दो चयनित अनुदानों, 04-राजस्व तथा 08-भवन एवं सड़कें में हुए व्यय पर बजटीय प्रक्रिया तथा नियंत्रण की समीक्षा (मई - सितंबर 2019) की गई थी। इस प्रक्रिया में मूल अनुदान, पूरक मांगों और वास्तविक व्यय में अंतर के परिमाण का विश्लेषण किया गया।

2.6.1 अनुदान संख्या 4-राजस्व

अनुदान संख्या 4-राजस्व में प्रमुख शीर्ष 2029-भू-राजस्व, 2030-स्टाम्प्स और पंजीकरण, 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 2245-प्राकृतिक आपदाओं पर राहत, 2506-भूमि सुधार, 2705-कमान क्षेत्र विकास, 3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं, 3454-जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी और 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं शामिल हैं।

(i) बजट तथा व्यय

पिछले तीन वर्षों (2016-17 से 2018-19) के लिए राजस्व (दत्तमत) खंड के अंतर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत की समग्र स्थिति **तालिका 2.8** में दी गई है।

तालिका 2.8: बजट प्रावधान तथा व्यय

वर्ष	मूल प्रावधान	पूरक	कुल	व्यय	बचत (प्रतिशत में)
	(₹ करोड़ में)				
2016-17	1,069.65	675.21	1,744.86	1,526.06	218.80(13)
2017-18	1,189.31	120.30	1,309.61	1,098.03	211.58(16)
2018-19	1,105.74	288.60	1,394.34	1,066.23	328.11(24)

स्रोत: विनियोजन लेखे

वर्ष 2016-19 के दौरान राजस्व (दत्तमत) में वास्तविक व्यय, बजट प्रावधान से कम रहा तथा 13 एवं 24 प्रतिशत के मध्य सतत् बचत दर्ज की गई। यह दर्शाता है कि बजट में किए गए प्रावधान अवास्तविक थे।

(ii) बचत

पंजाब बजट नियमावली जो कि हरियाणा में लागू है के पैरा 5.3 के अनुसार बजट के अनुमान यथासंभव सटीक होने चाहिए और प्रत्येक मद के संबंध में किए जाने वाले प्रावधान वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान करने अथवा खर्च होने की अपेक्षा के आधार पर किये जाने चाहिए।

राजस्व (दत्तमत) खंड के अंतर्गत 15 उप-शीर्षों में ₹ 264.85 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 130.58 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 134.27 करोड़ की बचत हुई। **परिशिष्ट 2.14** में दिए गए विवरणानुसार बचत कुल प्रावधान के 12 से 100 प्रतिशत के बीच थी।

(iii) सतत् बचत

आठ उप-शीर्षों में वर्ष 2016-19 के दौरान कुल प्रावधान की 12 से 100 प्रतिशत के बीच सतत् बचत दर्ज की गई (**परिशिष्ट 2.15**) जो संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की अप्राप्ति, अप्रभावी योजना और अवास्तविक आकलन की ओर संकेत कर रही थी।

(iv) अनावश्यक/अत्यधिक पूरक प्रावधान

वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की मध्यावधि समीक्षा के बाद अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत अपेक्षित अधिक व्यय के लिए पूरक अनुदान प्राप्त किए जाते हैं। प्रस्तुत अनुदान के अंतर्गत आठ योजनाओं में ₹ 254.12 करोड़ (मूल: ₹ 230.52 करोड़ और पूरक: ₹ 23.60 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 220.31 करोड़ का व्यय हुआ, परिणामस्वरूप ₹ 33.81 करोड़ (कुल प्रावधान का 13 प्रतिशत) की बचत हुई। अतः ₹ 23.60 करोड़ के पूरक प्रावधान अनावश्यक/अधिक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर पर भी नहीं आया था जैसा कि तालिका 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.9: योजनाओं के विवरण जिनमें अनावश्यक/अत्यधिक पूरक प्रावधान किए गए थे

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	मूल प्रावधान	पूरक	कुल प्रावधान	व्यय	बचत
मुख्यालय स्टॉफ (2029-51-103-99)	9.29	0.16	9.45	6.05	3.40
स्थापना (2053-51-093-99)	168.78	5.59	174.37	163.13	11.24
उप-मंडलीय स्थापना (2053-51-094-99)	29.44	2.15	31.59	25.04	6.55
स्थापना (2053-51-101-99)	13.53	1.85	15.38	12.01	3.37
जल निकासी का कार्य (2245-02-282-99)	5.00	2.00	7.00	5.00	2.00
सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण और सर्वेक्षण एवं निपटान अभिलेखों का अद्यतन (2506-51-103-98-99)	0.00	10.50	10.50	5.50	5.00
गेजेटियर्स (3454-02-110-99)	1.51	1.06	2.57	1.49	1.08
कृषि सुधार राजस्व (3475-51-201-99)	2.97	0.29	3.26	2.09	1.17
कुल	230.52	23.60	254.12	220.31	33.81

यह वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए निधियों की आवश्यकता के आकलन में कमियों और इस विभाग द्वारा व्यय के प्रवाह की निगरानी करने में विफलता को इंगित करता है। इस प्रकार, निधियों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना अनावश्यक/अत्यधिक प्रावधान किए गए थे।

2.6.2 अनुदान संख्या 8- भवन एवं सड़कें

अनुदान संख्या 8- भवन एवं सड़कें में प्रमुख शीर्ष 2059-लोक निर्माण, 2216-आवास, 3054-सड़क एवं पुल, 4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय, 4202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4401-फसल कृषि व्यवस्था पर पूंजीगत परिव्यय, 5053-नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय और 5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय शामिल हैं। जिसमें भवनों और सड़कों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव जैसे कि स्कूल भवन, माध्यमिक स्कूल भवन, कॉलेज भवन, पॉलिटेक्निक भवन आदि, औद्योगिक प्रशिक्षण के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अंतर्गत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण, राज्य योजना के अंतर्गत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण, केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण तथा चौड़ीकरण,

नाबार्ड योजना के अंतर्गत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण, नाबार्ड योजना के अंतर्गत सड़कों और बाईपास का निर्माण, सुदृढीकरण/चौड़ीकरण, आदि से सम्बंधित विभिन्न योजनाओं पर व्यय किया गया था।

(i) बजट तथा व्यय

पिछले तीन वर्षों (2016-17 से 2018-19) के लिए राजस्व (दत्तमत) खंड के अंतर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत की समग्र स्थिति तालिका 2.10 में दी गई है।

तालिका 2.10: बजट प्रावधान तथा व्यय

वर्ष	खंड	मूल प्रावधान	पूरक	कुल	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+) (प्रतिशत में)
		(₹ करोड़ में)				
2016-17	राजस्व (दत्तमत)	1,344.47	0.00	1,344.47	1,190.33	(-)-154.14 (11)
	राजस्व (भारित)	0.05	0.00	0.05	0.00	(-) 0.05 (100)
	पूँजीगत (दत्तमत)	3,609.09	112.66	3,721.75	1,996.38	(-)-1,725.37 (46)
	पूँजीगत (भारित)	25.00	8.00	33.00	34.98	(+) 1.98 (6)
2017-18	राजस्व (दत्तमत)	1,397.05	36.25	1,433.30	1,136.98	(-)-296.32 (21)
	राजस्व (भारित)	0.05	0.00	0.05	0.00	(-)-0.05 (100)
	पूँजीगत (दत्तमत)	3,484.30	272.31	3,756.61	2,602.27	(-)-1,154.34 (31)
	पूँजीगत (भारित)	30.00	0.00	30.00	16.49	(-)-13.51 (45)
2018-19	राजस्व (दत्तमत)	1,208.65	12.15	1,220.80	961.32	(-)-259.48 (21)
	राजस्व (भारित)	0.05	0.00	0.05	0.00	(-)-0.05 (100)
	पूँजीगत (दत्तमत)	3,474.14	256.30	3,730.44	2,848.31	(-)-882.13 (24)
	पूँजीगत (भारित)	30.00	10.00	40.00	58.37	(+)-18.37 (46)

स्रोत: विनियोजन लेखे

2016-17 से 2018-19 के दौरान, राजस्व (दत्तमत) के अंतर्गत कुल प्रावधान में 11 से 21 प्रतिशत बीच बचत दर्ज की गई और पूँजीगत खंड के अंतर्गत बचत 24 से 46 प्रतिशत के बीच थी। राजस्व (भारित) खंड के अंतर्गत 100 प्रतिशत बचत थी।

(ii) बचत

राजस्व शीर्ष के अंतर्गत, आठ उप-शीर्षों में ₹ 1,026.69 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 696.15 करोड़ का व्यय किया गया था और ₹ 330.54 करोड़ की बचत हुई। ये बचतें कुल प्रावधान के 17 एवं 96 प्रतिशत के बीच थीं। पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत, 41 उप-शीर्षों में ₹ 2,163.94 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,069.79 करोड़ का व्यय किया गया था अतः वर्ष के दौरान ₹ 1,094.15 करोड़ की बचत हुई। **परिशिष्ट 2.16** में दिए गए विवरणानुसार कुल प्रावधान के 18 तथा 100 प्रतिशत के बीच बचतें थीं।

(iii) सतत् बचत

सत्ताईस उप-शीर्षों में वर्ष 2016-19 के दौरान सतत् बचत कुल प्रावधान के 11 से 100 प्रतिशत के बीच थी (विवरण **परिशिष्ट 2.17** में दिए गए हैं) जो संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की अप्राप्ति, अप्रभावी योजना और अवास्तविक आकलन की ओर संकेत कर रही थी।

(iv) निधियों का अपर्याप्त पूरक प्रावधान

वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की मध्यावधि समीक्षा के बाद अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत अपेक्षित अधिक व्यय के लिए पूरक अनुदान प्राप्त किए जाते हैं। तालिका 2.11 में दिए गए विवरणों के अनुसार आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरक प्रावधान पर्याप्त नहीं थे और यह पाया गया कि कुल बजट प्रावधान (मूल प्रावधान + पूरक) से अधिक व्यय किया गया था। अतिरिक्त व्यय राज्य विधानसभा से विनियमित करवाया जाना वांछित था।

तालिका 2.11: योजनाओं के विवरण जिनमें पूरक प्रावधान पर्याप्त नहीं थे

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	मूल प्रावधान	पूरक	कुल प्रावधान	व्यय	आधिक्य
राजस्व (दत्तमत)					
रखरखाव और मरम्मत-(2059-80-053-99)	77.00	5.00	82.00	85.58	3.58
सामान्य रखरखाव और मरम्मत (2216-05-053-99-88)	22.01	4.40	26.41	26.54	0.13
पूँजीगत (दत्तमत)					
भूमि की खरीद और निर्माण कार्य - निदेशालय अग्नि शमन सेवाएं, हरियाणा (पंचकुला) की (4059-01-051-64)	0.00	2.00	2.00	7.00	5.00
न्यायिक परिसर का निर्माण, बावल (रेवाड़ी) (4059-60-051-60)	0.00	0.00 ⁷	0.00	1.70	1.70
निर्माण कार्य आवासीय परिसर और न्यायिक परिसर, सेक्टर 21 पिंजौर, कालका (4059-60-051-61)	0.00	0.00 ⁵	0.00	17.73	17.73
फ्री होल्ड आधार पर अंबाला शहर में न्यायिक अधिकारी के लिए आवासीय परिसर का निर्माण (4059-60-051-62)	0.00	0.00 ⁵	0.00	68.35	68.35
करनाल में वकीलों के चैंबरों का निर्माण (4059-60-051-63)	0.00	0.00 ⁵	0.00	5.87	5.87
भवन (4210-01-110-99)	100.00	50.00	150.00	182.88	32.88
औद्योगिक प्रशिक्षण के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण (4250-51-800-94)	40.00	5.00	45.00	51.93	6.93
पूँजीगत (भारत)					
अनुसंधान (5054-80-800-99)	30.00	10.00	40.00	58.37	18.37
कुल	269.01	76.40	345.41	505.95	160.54

यह वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए निधियों की आवश्यकता के आकलन में कमियों और इस विभाग द्वारा व्यय के प्रवाह को नियंत्रित करने में विफलता को इंगित करता है।

2.6.3 बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

वर्ष 2018-19 हेतु बजट अनुमान, प्रशासनिक विभाग तथा विभिन्न कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा 5 नवम्बर 2017 से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे। इसके विपरीत, अनुदान संख्या 4 और 8 की समीक्षा के दौरान पाया गया कि विभागाध्यक्षों ने वित्त विभाग को अपने अनुमान 14 दिनों से 56 दिनों तक की देरी के बाद प्रस्तुत किए (परिशिष्ट 2.18)।

⁷ पूरक प्रावधान के माध्यम से केवल ₹ 2,000 आवंटित।

2.7 निष्कर्ष

2018-19 के दौरान, ₹ 1,41,732.90 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरुद्ध ₹ 1,21,362.76 करोड़ का व्यय किया गया था। ₹ 20,370.14 करोड़ की समग्र बचतें, विभिन्न अनुदानों में ₹ 20,411.68 करोड़ की बचत तथा तीन अनुदानों के अंतर्गत ₹ 41.54 करोड़ के अधिक व्यय के कारण थीं। जिसे वर्ष 2017-18 से संबंधित ₹ 540.60 करोड़ के अधिक व्यय के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित करवाए जाने की आवश्यकता थी।

2014-19 के दौरान 18 अनुदानों और एक विनियोजन में सतत बचत दर्ज की गई। 37 मामलों में, पूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान से कम रहा। 13 अनुदानों के अंतर्गत 17 प्रमुख शीर्षों में 52 प्रतिशत व्यय मार्च 2019 में किया गया जो वर्ष के अंतिम माह में व्यय के आधिक्य को दर्शाता है तथा सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56 के प्रावधानों के विपरीत था। 2018-19 के दौरान ₹ 2,045.91 करोड़ के अनुमोदित अनुमान वाली 71 विकास योजनाएं कार्यान्वित नहीं की गई थीं।

अध्याय-3
वित्तीय रिपोर्टिंग

अध्याय-3

वित्तीय रिपोर्टिंग

एक मजबूत आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचनाओं सहित, राज्य सरकार द्वारा कुशल व प्रभावी अभिशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ इस प्रकार की अनुपालनाओं की स्थिति पर रिपोर्टिंग की सामयिकता व गुणवत्ता सुशासन की विशेषता है। अनुपालना एवं नियन्त्रणों पर रिपोर्टस, यदि प्रभावी व परिचालनात्मक हो तो सरकार को कुशल योजना व निर्णय लेने सहित इसकी आधारभूत प्रबन्धकीय जिम्मेवारियों को पूरा करने में सहायता करती हैं। यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व निर्देशों की अनुपालना का विहंगावलोकन व स्थिति दर्शाता है।

3.1 लेखांकन मानकों की अनुपालना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, संघ और राज्यों के लेखों को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित करेंगे। इस प्रावधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय सरकारी लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.) अधिसूचित किए हैं। वर्ष 2018-19 में हरियाणा सरकार द्वारा इन लेखांकन मानकों की अनुपालना और उनमें कमियां तालिका 3.1 में दी गई हैं।

तालिका 3.1: लेखांकन मानकों की अनुपालना

क्र. सं.	लेखांकन मानक	राज्य सरकार द्वारा अनुपालना	अनुपालना/कमियां
1	आई.जी.ए.एस. 1: सरकार द्वारा दी गई गारंटियां - प्रकटीकरण आवश्यकताएं	अनुपालना की गई (वित्त लेखों की विवरणियां 9 एवं 20)	प्रत्येक संस्थान के लिए विस्तृत जानकारी जैसे कि गारंटियों की संख्या प्रस्तुत की गई है।
2	आई.जी.ए.एस. 2: सहायतानुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	अनुपालना की गई (वित्त लेखों की विवरणी 10)	(i) कुछ सहायतानुदानों को पूंजीगत भाग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। (ii) राज्य सरकार द्वारा वस्तुरूप में दिए गए सहायतानुदान के संबंध में सूचना प्रस्तुत की गई है।
3	आई.जी.ए.एस. 3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम	अनुपालना नहीं की गई (वित्त लेखों की विवरणी 18)	राज्य सरकार द्वारा विवरण की पुष्टि नहीं की गई है। अतिदेय मूलधन और ब्याज की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी। प्रत्येक ऋणी की शेष राशि की पुष्टि प्रस्तुत नहीं की गई थी।

स्रोत: भारतीय सरकारी लेखांकन मानक तथा वित्त लेखे

3.2 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

पंजाब वित्तीय नियमावली का नियम 8.14, जैसा कि हरियाणा में लागू है, प्रावधान करता है कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रदान किए गए अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से प्राप्त किए जाने चाहिए। उपयोगिता प्रमाण-पत्र सत्यापन के बाद, उचित समय के अन्दर, यदि संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा कोई विशिष्ट समय सीमा निश्चित न की हो, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित किए जाने चाहिए। तथापि,

प्रस्तुतिकरण हेतु देय कुल ₹ 31,175.20 करोड़ के अनुदानों एवं ऋणों से सम्बंधित 25,792 उ.प्र.प. में से ₹ 8,469.46 करोड़ की राशि के 1,732 उ.प्र.प. बकाया थे। 31 मार्च 2019 को देय, प्राप्त एवं लम्बित उ.प्र.प. का विभाग-वार विघटन **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है। उ.प्र.प. के प्रस्तुतिकरण में वर्ष-वार विलंब **तालिका 3.2** में दिए गए हैं।

तालिका 3.2: वर्ष-वार बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2013-14 तक	1,022	5,897.44	279	1,707.65	69	243.88	210	1,463.77
2014-15	4,907	4,068.88	166	1,107.81	65	678.07	101	429.74
2015-16	5,810	5,086.97	454	1,483.64	181	665.78	273	817.86
2016-17	6,381	8,014.08	616	3,290.12	217	1,229.31	399	2,060.81
2017-18	7,672	8,107.84	7,672	8,107.84	6,923	4,410.53	749	3,697.31
कुल	25,792	31,175.20	9,187	15,697.06	7,455	7,227.57	1,732	8,469.49

वर्ष 2018-19 के दौरान देय, 25 विभागों द्वारा राज्य के निकायों और प्राधिकरणों को दिए गए ₹ 3,697.31 करोड़ के सहायतानुदानों से संबंधित 749 उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 2017-18 तक प्रस्तुत करने के लिए देय ₹ 4,772.18 करोड़ की राशि के 983 उ.प्र.प. भी 31 मार्च 2019 तक बकाया थे। इस प्रकार, ₹ 8,469.46 करोड़ की राशि से संबंधित कुल 1,732 उ.प्र.प. 31 मार्च 2019 तक प्रस्तुत करने के लिए देय थे। इसलिए, यह आशवस्त नहीं किया जा सकता कि ₹ 8,469.49 करोड़ की राशि वास्तव में उस प्रयोजन के लिए खर्च की गई है जिसके लिए इसे विधानसभा द्वारा अनुमोदित/अधिकृत किया गया था। इतने अधिक उ.प्र.प. का लंबित रहना निधियों के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है।

3.3 लेखों के अप्रस्तुतिकरण/प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

सरकार/विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षित है कि वे प्रत्येक वर्ष विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, सहायता का उद्देश्य और संस्थाओं के कुल व्यय के बारे में विस्तृत सूचना लेखापरीक्षा को प्रदान करें ताकि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तों) के अधिनियम 1971 [सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971] की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा के लिए पात्र संस्थाओं की पहचान हो सके।

87 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के कुल 166 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2019 तक प्रतीक्षित थे। इन लेखों का विवरण **परिशिष्ट 3.2** में दिया गया है और विलम्ब की आयु-वार स्थिति **तालिका 3.3** में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 3.3: निकायों/प्राधिकरणों के लंबित वार्षिक लेखों की आयु-वार स्थिति

क्र.सं.	विलम्ब वर्षों में	लेखों की संख्या	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
1	0-1	83	298.74
2	2-3	82	221.89
3	4 एवं अधिक	1	0.01
	कुल	166	520.64

(स्रोत: सरकारी विभागों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा से प्राप्त आंकड़े)

वार्षिक लेखों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या ये निकाय/प्राधिकरण सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधान के अंतर्गत लेखापरीक्षा आकर्षित करते हैं या नहीं। 2018-19 में अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा आकर्षित करने वाले 135 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों में से 43 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा की गई।

सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थानों से वर्ष के अन्त तक लेखों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय अपनाने पर विचार किया जाना चाहिए ताकि सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा को आकर्षित करने वाले संस्थानों की पहचान की जा सके।

3.4 प्रमाणीकरण के लिए स्वायत्त निकायों के लेखों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

शहरी विकास, आवास, श्रम कल्याण, कृषि और न्याय के क्षेत्रों में सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए गए हैं। राज्य में 30 निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा का कार्यभार सौंपने, लेखे लेखापरीक्षा को भेजने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को जारी करने और विधानसभा में इसके प्रस्तुतिकरण की स्थिति **परिशिष्ट 3.3** में दर्शाई गई है।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर ने 1996-97 से 2010-11 तक के वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे किन्तु इससे आगे के वर्षों के लिए वार्षिक लेखे प्रस्तुत कर दिये थे। सात स्वायत्त निकायों के संबंध में विलंब एक वर्ष तथा तीन वर्षों के मध्य रहा। लेखों के अंतिमकरण में विलंब से वित्तीय अनियमितताओं को न खोज पाने का जोखिम बढ़ जाता है तथा इसलिए आवश्यक है कि लेखों का अतिशीघ्र अंतिमकरण किया जाये एवं लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाये।

हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़ (2009-10 से 2017-18) से संबंधित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

सरकार द्वारा, स्वायत्त निकायों तथा विभागीय रूप से चलाए जा रहे उपक्रमों द्वारा उनकी वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए वार्षिक लेखों के संकलन तथा प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए समुचित प्रणाली स्थापित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

3.5 विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

अर्ध-वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियां निष्पादित करने वाले कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वह वित्तीय परिचालनों के कार्यकारी परिणामों को दर्शाते हुए निर्धारित फारमेट में प्रतिवर्ष प्रोफार्मा लेखे तैयार करें ताकि सरकार उनकी कार्य-कुशलता का अनुमान लगा सके। अंतिम लेखे उनकी समग्र वित्तीय स्थिति और व्यवसाय को चलाने में दक्षता को प्रदर्शित करते हैं। लेखों के समय पर अंतिमकरण न करने से, सरकार के निवेश, लेखापरीक्षा/राज्य विधान सभा की जांच से बाहर रहते हैं। परिणामस्वरूप जिम्मेवारी सुनिश्चित करने और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपाय, यदि कोई अपेक्षित हों, समय पर नहीं किए जा सकते। इसके अतिरिक्त, विलंब के कारण सार्वजनिक धन की जालसाजी और दुरुपयोग के जोखिम की संभावना है।

जून 2019 तक, ऐसे पांच उपक्रमों ने वर्ष 1986-87 से 2014-15 तक के लिए अपने लेखे तैयार नहीं किए थे। इन उपक्रमों में ₹ 8,113.30 करोड़ की सरकारी निधियां निवेशित थीं। यद्यपि बकाया लेखों को तैयार करने के बारे में बार-बार राज्य के वित्त पर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी टिप्पणियाँ की गई हैं, लेकिन इस संबंध में कोई सुधार नहीं हुआ था। प्रोफार्मा लेखों के तैयार करने में बकायों की विभाग-वार स्थिति और सरकार द्वारा किए गए निवेश **परिशिष्ट 3.4** में दिए गए हैं।

3.6 दुरुपयोग, हानियां, गबन, इत्यादि

पंजाब वित्तीय नियमावली का नियम 2.33, जैसा कि हरियाणा में लागू है, निर्धारित करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, उसके द्वारा किए गए धोखे अथवा लापरवाही के कारण सरकार को हुई हानि के लिए जिम्मेवार होगा। किसी अन्य कर्मचारी द्वारा किए गए धोखे अथवा लापरवाही के कारण हुई हानि के संबंध में भी उस सीमा तक, जितनी हानि उसकी लापरवाही या कमी के कारण हुई, जिम्मेवार ठहराया जाएगा। आगे, नियम 2.34 के अनुसार, गबन एवं हानियों के मामले महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सूचित किए जाने अपेक्षित हैं।

राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए ₹ 1.28 करोड़ के सरकारी धन से संबंधित दुरुपयोग तथा गबन के 75 मामलों में जून 2019 तक अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी। ये सभी 75 मामले संबंधित विभागों द्वारा पुलिस को प्राथमिकी (FIR) दर्ज करवा कर सूचित किये गए थे। लम्बित मामलों का विभाग-वार विघटन और आयु-वार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.5** में दिया गया है और इन मामलों का स्वरूप **परिशिष्ट 3.6** में दिया गया है। इन परिशिष्टों के विश्लेषण से प्रकट चोरी और दुर्विनियोजन/हानि की प्रत्येक श्रेणी में लम्बित मामलों की आयु-वार रूपरेखा तथा संख्या **तालिका 3.4** में संक्षेपित की गई हैं।

तालिका 3.4: दुरुपयोग, हानियां, गबन, इत्यादि की रूपरेखा

(₹ लाख में)

लंबित मामलों की आयु-वार रूपरेखा			लंबित मामलों की प्रकृति		
वर्षों में श्रृंखला	मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि		मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि
0 - 5	35	95.37	चोरी के मामले	60	110.75
5 - 10	4	1.61			
10 - 15	10	16.00	सरकारी सामान का दुरुपयोग/हानि	15	16.98
15 - 20	7	10.80			
20 - 25	3	0.24			
25 एवं अधिक	16	3.71			
कुल	75	127.73	जून 2019 को कुल लंबित मामले	75	127.73

मामलों के लम्बित रहने के कारण **तालिका 3.5** में सूचीबद्ध किए गए हैं।

तालिका 3.5: दुरुपयोग, हानि, गबन, इत्यादि के बकाया मामलों के कारण

लंबित मामले विलंबित/बकाया होने के कारण		मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
i	विभागीय कार्रवाई आरम्भ की गई परन्तु अंतिम रूप नहीं दिया गया	57	108.93
ii	आपराधिक कार्यवाहियां पूर्ण की गई किन्तु राशि की वसूली हेतु आपराधिक मामले का कार्यान्वयन लम्बित	3	1.09
iii	वसूली अथवा बट्टे खाते में डालने के लिए आदेशों की प्रतीक्षा में	9	3.88
iv	न्यायालयों में लम्बित	6	13.83
कुल		75	127.73

हानि के सभी मामलों में से 80 प्रतिशत मामले सरकारी धन/भण्डार की चोरी से संबंधित थे। आगे, हानियों के 76 प्रतिशत मामलों के संबंध में, विभागीय कार्रवाई को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था जबकि 12 प्रतिशत मामले, वसूली अथवा हानियों को बट्टे खाते में डालने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की प्रतीक्षा के कारण बकाया थे। यह भी देखा गया कि चोरी/दुरुपयोग के कारण हानियों के 75 मामलों में से 40 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे, इनमें से 19 मामले 20 वर्षों से भी अधिक पुराने थे। इन मामलों में अन्तिम रूप देने में विभागों के ढुल-मुल रवैये के कारण न केवल राज्य राजकोष को हानि हुई बल्कि अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय नहीं हुई।

सरकार द्वारा, चोरी, दुरुपयोग इत्यादि के मामलों में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए एक समयबद्ध ढांचा तैयार करने पर विचार किया जाना चाहिए।

3.7 लेखों का गलत वर्गीकरण

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 का परिचालन

लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' तथा '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुकिंग तभी की जानी चाहिए जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष नहीं दिया गया हो। लघु शीर्ष-800 के नियमित परिचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे लेखों की पारदर्शिता प्रभावित होती है।

2018-19 के दौरान विभिन्न राजस्व तथा पूंजीगत बृहद शीर्षों के अन्तर्गत कुल ₹ 8,581.76 करोड़ का व्यय (कुल व्यय¹ का 9.28 प्रतिशत) लघु शीर्ष-800 में वर्गीकृत किया गया था। विद्युत सप्लाइ, मध्यम सिंचाई, अन्य सामाजिक सेवाओं पर कुल राजस्व व्यय तथा पर्यटन पर पूंजीगत व्यय में से 90 प्रतिशत से अधिक के व्यय उपयुक्त शीर्ष में दर्शाने की बजाय बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अन्तर्गत वर्गीकृत किए गए थे।

यह मामला राज्य के वित्त पर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इंगित किया गया था। तथापि, बहुप्रयोजन लघु शीर्ष का परिचालन निरंतर समान स्तर पर है। बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय/प्राप्तियां' के अंतर्गत महत्वपूर्ण राशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

सरकार द्वारा, विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत किए गए व्यय की राशियों को मुख्य स्कीमों के व्यय में एकीकृत करके लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत न दिखाकर उपयुक्त रूप से दर्शाने पर विचार किया जाना चाहिए।

3.8 व्यक्तिगत जमा खाते

पंजाब वित्तीय नियम वॉल्यूम-1 (हरियाणा राज्य में यथा लागू) के नियम 12.16 एवं 12.17 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए समेकित निधि या अन्य निधियों से हस्तांतरण द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अनुमोदन से व्यक्तिगत जमा खाते खोलने के लिए अधिकृत है। निधियों का व्यक्तिगत जमा खातों में हस्तांतरण संबंधित सेवा प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत समेकित निधि से व्यय के रूप में लेखाकृत किया जाता है। उपर्युक्त नियमों के नियम 12.7 के अनुसार वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर अव्ययित शेष राशि को समेकित निधि में वापस हस्तांतरित कर व्यक्तिगत जमा खातों को बंद किया जाना आवश्यक

¹ ऋण एवं अग्रिम छोड़कर।

है और यदि आवश्यकता हो तो अगले वर्ष फिर से खोला जा सकता है। आगे यह प्रावधान भी है कि यदि व्यक्तिगत जमा खाता काफी समय तक संचालित नहीं किया गया हो तथा यह लगे कि जमा खाते की अब आवश्यकता नहीं है तो जिस अधिकारी के नाम पर खाता खोला गया था उससे परामर्श के बाद खाता बंद कर देना चाहिए।

राज्य में 31 मार्च 2019 को 143 व्यक्तिगत जमा खाते थे जिनमें ₹ 1,326.90 करोड़ के अंतिम शेष थे। इसमें से राज्य की समेकित निधि से खोले गए एक व्यक्तिगत जमा खाते में ₹ 1,018.44 करोड़ (76.75 प्रतिशत) की राशि शहरी विकास विभाग (प्रमुख शीर्ष 2217) से संबंधित है। यह खाता वित्तीय वर्ष के अंत तक बंद करना चाहिए था और अव्ययित शेष को समेकित निधि में हस्तांतरित किया जाना चाहिए था। अतः व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी राशियों की सीमा तक व्यय अधिक दिखाए गए। इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत जमा खातों के प्रबंधकों ने खजाने के आंकड़ों के साथ अपने शेषों का मिलान नहीं किया था। व्यक्तिगत जमा खातों का मिलान न करना और व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी अव्ययित शेष राशि को समेकित निधि में हस्तांतरित न करना, सार्वजनिक निधियों के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाता है।

3.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन

हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा अक्टूबर 1995 में जारी और जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किए गए सभी अनुच्छेदों और समीक्षाओं पर स्वतः सकारात्मक और निश्चित कार्रवाई आरंभ करनी चाहिए, बिना यह सोचे कि ये मामले लोक लेखा समिति द्वारा जांच हेतु लिए गए थे या नहीं। प्रशासनिक विभागों द्वारा विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के तीन माह के भीतर की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई संबंधी एक्शन टेकन नोट्स लोक लेखा समिति को प्रस्तुत करने आवश्यक हैं।

वर्ष 2008-09 से 2015-16 तक राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति द्वारा चयनात्मक आधार पर चर्चा की गई। वर्ष 2013-14 से संबंधित जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गोहाना में ₹ 1.61 लाख की राशि की दो मोटरों की चोरी के एक मामले पर अभी तक लोक लेखा समिति में चर्चा नहीं की गई थी (सितंबर 2019)। वर्ष 2017-18 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 06 अगस्त 2019 को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

3.10 निष्कर्ष

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण में काफी विलंब था, जो प्रशासनिक विभागों के आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है और सरकार द्वारा पूर्व अनुदानों का उचित उपयोग सुनिश्चित किये बिना नए अनुदान वितरित करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। वार्षिक लेखों के अभाव में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधानों को आकृष्ट करने वाले स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों का पता नहीं चल पाया। स्वायत्त निकायों और विभागीय तौर पर चलाये जा रहे वाणिज्यिक उपक्रमों ने लंबी अवधि से अंतिम लेखे तैयार नहीं किए थे। परिणामस्वरूप उनकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, सरकारी धन की चोरी, दुरुपयोग, सरकारी सामग्री की हानि तथा

गबन के मामलों में विभागीय कार्रवाई दीर्घावधि से लंबित थी। 2018-19 के दौरान कुल व्यय का 9.28 प्रतिशत बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। उपर्युक्त बिंदु हरियाणा सरकार को जनवरी 2020 में टिप्पणी एवं उत्तर के लिए भेजे गए थे। सरकार से उत्तर प्रतीक्षित थे (मई 2020)।

चण्डीगढ़
दिनांक: 14 जुलाई 2020

फैसल
(फैसल इमाम)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 21 जुलाई 2020

राजीव महर्षि
(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
राज्य प्रोफाइल
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1 पृष्ठ 1)

राज्य प्रोफाइल						
क. सामान्य डाटा						
क्र.सं.	विवरण				आंकड़े	
1	क्षेत्र				44,212 वर्ग कि.मी.	
2	जनसंख्या					
	क	2001 की जनगणना के अनुसार			2.11 करोड़	
	ख	2011 की जनगणना के अनुसार			2.54 करोड़	
3	जनसंख्या घनत्व ¹ (2011) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)				573 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
4	गरीबी रेखा ² से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 21.90 प्रतिशत)				11.20 प्रतिशत	
5	साक्षरता ³ (2011) (अखिल भारतीय औसत = 73 प्रतिशत)				75.60 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु-दर ⁴ (अखिल भारतीय औसत=33 प्रति 1000 सजीव जन्म)				30	
7	जन्म ⁵ पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=68.7 वर्ष)				69.4 वर्ष	
8	गिनी को-एफिशिएंट ⁶					
	क	ग्रामीण (अखिल भारतीय= 0.29)			0.30	
	ख	शहरी (अखिल भारतीय= 0.38)			0.36	
9	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2018-19 ⁷				₹ 7,07,126 करोड़	
10	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. की		हरियाणा	11.58 प्रतिशत		
11	सी.ए.जी.आर.		सामान्य श्रेणी राज्य	10.99 प्रतिशत		
12	(2011-12 से 2018-19)		अखिल भारतीय	10.35 प्रतिशत		
13	स.रा.घ.उ. की सी.ए.जी.आर.		हरियाणा	13.16 प्रतिशत		
14	(2011-12 से 2018-19)		सामान्य श्रेणी राज्य	12.23 प्रतिशत		
15	हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि (2009 से 2019)				16.12 प्रतिशत	
16	सामान्य श्रेणी राज्यों की जनसंख्या ⁸ वृद्धि (2009 से 2019)				12.46 प्रतिशत	
17	मानव विकास इंडेक्स ⁹		हरियाणा (रैंक 9)	0.552		
18.	(2007-08)		अखिल भारतीय	0.467		
ख वित्तीय आंकड़े						
विवरण			आंकड़े (प्रतिशत में)			
सी.ए.जी.आर			2009-10 से 2017-18		2017-18 से 2018-19	
			सामान्य श्रेणी राज्य	हरियाणा	सामान्य श्रेणी राज्य	हरियाणा
क	राजस्व प्राप्तियों का		15.03	14.66	12.77	5.09
ख	स्वयं के कर राजस्व का		14.84	15.23	12.72	3.61
ग	कर-भिन्न राजस्व का		9.88	16.20	19.78	(-) 12.48
घ	कुल व्यय का		14.20	13.82	12.73	5.70
ड	पूँजीगत व्यय का		13.53	12.66	11.93	13.07
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का		13.44	10.75	9.38	7.54
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का		16.50	14.76	11.09	19.65
ज	वेतन एवं मजदूरियों का		11.72	10.41	11.03	6.07
झ	पेंशन का		16.12	17.67	14.31	(-) 7.32

1 जनगणना सूचना भारत 2011 अंतिम जनसंख्या कुल।
2 आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 (जुलाई 2019), खण्ड-II पृष्ठ क 168-169
3 आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 (जुलाई 2019), खण्ड-II पृष्ठ क 164
4 आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 (जुलाई 2019), खण्ड-II पृष्ठ क 170-171
5 आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 (जुलाई 2019), खण्ड-II पृष्ठ क 170-171
6 http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data_2312/DatabookDec2014%20106.pdf.
7 सांख्यिकी विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा द्वारा आपूर्ति की गई जानकारी।
8 भारतीय जनगणना 2001 (जनसंख्या प्रसार 2001-2026, तालिका 14, पृष्ठ 104-115)
9 आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 (जुलाई 2019), खण्ड-II पृष्ठ क 168-169

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: अनुच्छेद प्रस्तावना; पृष्ठ 1)

भाग क: सरकारी लेखाओं का ढांचा एवं स्वरूप

सरकारी लेखे का ढांचा: राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिक निधि, एवं (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण (मार्केट ऋण, बॉण्ड्स, केंद्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि इत्यादि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां, आदि) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों के वसूली में प्राप्त सभी धन शामिल होते हैं। उपरोक्त निधि से विनियोजन केवल कानून के अनुसार तथा भारतीय संविधान में दिए गए प्रयोजनों तथा पद्धति के अनुसार किया जा सकता है। व्यय की कुछ मर्दे (उदाहरणार्थ-संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण पुनर्भुगतान इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर भारित रहती हैं (भारित व्यय) तथा विधानसभा द्वारा वोट के अधीन नहीं होतीं। अन्य सभी व्ययों (दत्तमत व्यय) के लिए विधानसभा द्वारा वोट अनिवार्य हैं।

समेकित फंड में दो सैक्शन शामिल होते हैं: राजस्व तथा पूंजीगत (ऋण सहित)। ये आगे 'प्राप्तियां' तथा 'व्यय' के अंतर्गत श्रेणीबद्ध हैं। राजस्व प्राप्तियां सैक्शन तीन सैक्टरों अर्थात् 'कर राजस्व', 'कर भिन्न राजस्व' और 'सहायतानुदान तथा अंशदानों' में बंटा हुआ है। ये तीन सैक्टर आगे सब-सैक्टरज में जैसे 'आय तथा व्यय पर कर', 'राजकोषीय सेवाएं', आदि में विभाजित हैं। पूंजीगत प्राप्तियां सैक्शन आगे सैक्टर या सब-सैक्टर में विभाजित नहीं है। राजस्व व्यय सैक्शन चार सैक्टरों में विभाजित है अर्थात्, 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं' तथा 'सहायतानुदान एवं अंशदान'। राजस्व व्यय सैक्शन से ये भाग आगे उप भागों में विभाजित हैं जैसे 'राज्य के अंग', 'शिक्षा', खेल, कला तथा संस्कृति', आदि। पूंजीगत व्यय सैक्शन आठ भागों में विभाजित है, अर्थात् 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं', 'सहायतानुदान तथा अंशदान' 'लोक ऋण', 'ऋण तथा अग्रिम', 'अंतर्राज्यीय समायोजन' तथा 'आकस्मिक निधि को हस्तांतरण'।

भाग II: आकस्मिक निधि: यह निधि अग्रदाय के रूप में होती है जो राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून द्वारा स्थापित है। यह निधि राज्यपाल की डिस्पोजल पर रहती है ताकि अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम जारी किये जा सकें, जो कि राज्य विधानसभा से प्राधिकृत करवाना वांछित होता है। फंड की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से संबंधित मुख्य शीर्ष में व्यय को डेबिट करके की जाती है। 2018-19 में हरियाणा सरकार की आकस्मिक निधि ₹ 200 करोड़ थी।

भाग III: लोक लेखा: अन्य सभी लोक धन जो सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त किया जाता है, जिसमें सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में काम करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। पब्लिक अकाउंट में पुनर्भुगतान योग्य जैसे लघु बचतें तथा भविष्य निधियां, डिपोजिटस (ब्याज वाली तथा बिना ब्याज वाली), अग्रिम, रिजर्व फंडस (ब्याज वाले तथा बिना ब्याज वाले) प्रेषण तथा उचंत शीर्ष (जिनमें से दोनों ही ट्रांजिटरी शीर्ष हैं फाइनेल बुकिंग के लिए लंबित है) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध नेट कैश बैलेंस भी पब्लिक अकाउंट में शामिल है। लोक लेखे में छः सैक्टर यानि 'लघु बचतें, भविष्य निधि आदि', 'रिजर्व फंड', 'जमा तथा अग्रिम', 'उचंत तथा विविध', 'प्रेषण' तथा 'कैश बैलेंस' शामिल हैं। ये सैक्टर आगे उप भागों में विभाजित हैं। पब्लिक अकाउंट विधायिका की वोट के अधीन नहीं है।

परिशिष्ट 1.2 भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास	
विवरण	विन्यास
	वित्त लेखे दो खंडों में प्रस्तुत किए जाते हैं। खंड-1 में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का सर्टिफिकेट, वित्त लेखाओं की गाइड, 13 विवरणियां जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा लेन-देनों पर संक्षेपित सूचना, लेखाओं पर टिप्पणियां तथा लेखाओं की टिप्पणियों पर एक परिशिष्ट शामिल होता है। खंड-1 में 13 विवरणियों के विवरण नीचे दिए गए हैं:
विवरण सं. 1	वित्तीय स्थिति की विवरणी: यह विवरणी राज्य सरकार की परिसंपत्तियों तथा देयताओं के वर्ष के अंत में आंकड़े चित्रित करती है तथा गत वर्ष की वित्तीय स्थिति से तुलना करती है।

परिशिष्ट 1.2 भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास	
विवरणी	विन्यास
विवरणी सं. 2	प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी: यह विवरणी, वर्ष के दौरान राज्य सरकार के सभी तीन भागों, जिनमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं अर्थात् समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा में सभी प्राप्तियों तथा संवितरणों का चित्रण करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार के कैश बैलेंसिज (निवेशों सहित) के चित्रण के लिए इसमें एक अतिरिक्त परिशिष्ट शामिल है। परिशिष्ट सरकार की अर्थापय स्थिति को भी विस्तार से प्रकट करता है।
विवरणी सं. 3	प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि): इस विवरणी में राज्य सरकार की राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों तथा उधारों की प्राप्तियां शामिल रहती हैं। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण वित्त लेखों के खंड-2 में विस्तृत विवरणी 14, 17 तथा 18 में शामिल रहते हैं।
विवरणी सं. 4	व्यय की विवरणी (समेकित निधि): वित्त लेखाओं के लघु शीर्ष स्तर के सामान्य चित्रण से पृथक, यह विवरणी, व्यय का विवरण गतिविधि की प्रकृति द्वारा (व्यय के उद्देश्य) के अनुसार देती है। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण वित्त लेखों के खंड-2 में विवरणी 15, 16, 17 तथा 18 में शामिल रहते हैं।
विवरणी सं. 5	प्रगतिशील पूंजीगत व्यय की विवरणी: यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी 16 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 6	उधारों तथा अन्य देयताओं की विवरणी: सरकार की उधारों में इसके द्वारा उठाए गए बाजार ऋण (आंतरिक डेब्ट) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम शामिल होते हैं। अन्य देयताओं में लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि 'रिजर्व फंड' तथा 'जमा' शामिल हैं। विवरणी में ऋण सेवा पर एक टिप्पणी भी शामिल है तथा भाग-II में विस्तृत विवरणी-17 का अनुरूप है।
विवरणी सं. 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की विवरणी: यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणियों जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता (सरकारी कर्मचारियों सहित) को दिए गए सभी ऋणों तथा अग्रिमों को चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी-18 का अनुरूप है।
विवरणी सं. 8	सरकार के निवेशों की विवरणी: यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की इक्विटी में राज्य सरकार के निवेशों को चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी-19 का अनुरूप है।
विवरणी सं. 9	सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विवरणी: यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रदान करती है जो सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उठाये गए ऋणों पर मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान पर दी गई हैं। यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी-20 का अनुरूप है।
विवरणी सं. 10	सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरणी: यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदानों को चित्रित करती है जो कि विभिन्न श्रेणियों के प्राप्तकर्ताओं जैसे सांविधिक निगम, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकाय/प्राधिकरण तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किये गए हैं। परिशिष्ट III प्राप्तकर्ता संस्थाओं के विवरण प्रस्तुत करता है।
विवरणी सं. 11	दत्तमत तथा भारित व्यय की विवरणी: यह विवरणी विनियोजन लेखाओं के सकल आंकड़ों और वित्त लेखाओं के निवल आंकड़ों के मिलान में सहायता करती है।
विवरणी सं. 12	राजस्व लेखे से पृथक व्यय हेतु निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग की विवरणी: यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से ही वहन किया जाना चाहिए और वार्षिक पूंजीगत व्यय राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा राशियों, वर्ष के आरंभ में नकद शेष तथा उधारों से वहन किया जाना चाहिए।
विवरणी सं. 13	समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे के अंतर्गत शेषों का सार: यह विवरणी लेखाओं को परिशुद्धता प्रदान करने में सहायता करती है। विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी-14, 15, 16, 17, 18 तथा 21 का अनुरूप है।

परिशिष्ट 1.2 भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास	
विवरणी	विन्यास
खंड-II में दो भाग शामिल हैं-भाग I में नौ विस्तृत विवरणियां तथा भाग II में 13 परिशिष्ट हैं जैसा कि नीचे दिए गए हैं:	
खंड-II का भाग-I	
विवरणी सं. 14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी वित्त लेखाओं के खंड-I में सार विवरणी-3 का अनुरूप है।
विवरणी सं. 15	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी जो खंड-I में सार विवरणी 4 का अनुरूप है, के अंतर्गत राज्य सरकार के राजस्व व्यय का विवरण प्रदान करती है, जिसमें राज्य की निधि से व्यय तथा केंद्रीय सहायता (केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों तथा केंद्रीय स्कीमों सहित), भारित तथा दत्तमत व्यय को अलग से दर्शाया जाता है।
विवरणी सं. 16	लघु शीर्षों तथा उपशीर्षों द्वारा पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी जो इस खंड के भाग-I में सार विवरणी 5 का अनुरूप है, राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयित) चित्रित करती है। इसमें राज्य की निधि से व्यय तथा केंद्रीय सहायता (केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों तथा केंद्रीय स्कीमों सहित), भारित तथा दत्तमत व्यय को अलग से दर्शाया जाता है। पूंजीगत व्यय के विवरण को लघु शीर्ष के स्तर तक निरूपित करने के अतिरिक्त यह विवरणी महत्वपूर्ण स्कीमों के संबंध में उपशीर्ष स्तरों तक के विवरण चित्रित करती है।
विवरणी सं. 17	उधारों तथा अन्य देयताओं की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी इस खंड के भाग-I में सार विवरणी-6 का अनुरूप है। इसमें राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋणों (मार्किट ऋण, बॉन्ड्स, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत फंड आदि को जारी विशेष प्रतिभूतियां) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिमों के विवरण शामिल हैं। यह विवरणी तीन श्रेणियों के अंतर्गत ऋणों पर सूचना प्रस्तुत करती है: (क) प्रत्येक ऋण का विवरण (ख) मैच्योरिटी प्रोफाइल यानि प्रत्येक श्रेणी ऋणों के संबंध विभिन्न वर्षों में पुनर्भुगतान की राशियां; तथा (ग) बकाया ऋणों की ब्याज दर प्रोफाइल।
विवरणी सं. 18	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी भाग-I में विवरणी-7 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 19	सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी साम्या-वार निवेश और मुख्य एवं लघु शीर्ष-वार विवरणी 16 तथा 19 के मध्य विसंगतियों, यदि कोई हो, को चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-I में विवरणी-8 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 20	सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी इकाई वार राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटी का विवरण प्रदान करती है। यह विवरणी भाग-I में विवरणी-9 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 21	आकस्मिक निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों पर विस्तृत विवरणी: यह विवरणी लघु शीर्ष स्तर तक आकस्मिक निधि के अंतर्गत अप्रतिपूरित राशियों के विवरण, वर्ष के दौरान लोक लेखा लेन-देनों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाया शेषों को चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-I में विवरणी-13 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 22	चिन्हित शेषों पर विस्तृत विवरणी: यह विवरणी रिजर्व फंडों (लोक लेखा) से निवेशों के विवरण चित्रित करती है।
खंड-II भाग-III में वेतनों, सबसीडियों, सहायता अनुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, मुख्य केंद्रीय प्रयोजित स्कीमों तथा राज्य स्कीमों आदि के संबंध में स्कीमवार व्यय, आदि विभिन्न मदों पर 13 परिशिष्ट शामिल हैं। ये विवरण लेखों में उप-शीर्ष स्तर या उससे नीचे (अर्थात् लघु-शीर्ष स्तर से नीचे) का विवरण प्रस्तुत करते हैं तथा इसीलिए सामान्य तौर पर वित्त लेखाओं में वर्णित नहीं किए जाते हैं। परिशिष्ट की एक विस्तृत सूची खंड-1 या 2 में 'विषय सूची' के रूप में दी गई है। विवरणियों के साथ परिशिष्टों अवलोकन राज्य सरकार के वित्तों की व्यापक स्थिति चित्रित करता है।	

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: अनुच्छेद प्रस्तावना; पृष्ठ 1)

राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति

बारहवें वित्त आयोग द्वारा विभिन्न राजकोषीय घटकों के लिए निर्धारित मानक/सीमाएं और इसके प्रक्षेपण तथा राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों और अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत की गई अन्य विवरणियों में की गई प्रतिबद्धतायें/प्रक्षेपण मुख्य राजकोषीय घटकों की प्रवृत्तियों एवं पद्धतियों के गुणात्मक अध्ययन हेतु प्रयोग किए जाते हैं। यह मानते हुए कि स.रा.घ.उ. राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का उत्तम सूचक है, मुख्य राजकोषीय घटकों जैसे कि कर एवं कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण तथा राजस्व एवं वित्तीय घाटे, वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। स.रा.घ.उ. को आधार मान कर विभिन्न घटकों की उत्प्लावकता की गणना की गई है ताकि यह पता लग सके कि संसाधनों का संघटन, व्यय की पद्धति इत्यादि में परिवर्तन आधार के अनुरूप है, अथवा राजकोषीय घटकों को स. रा. घ. उ. के अतिरिक्त अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं।

गत पांच वर्षों हेतु स.रा.घ.उ. में प्रवाह नीचे सूचित किए गए हैं:

वर्तमान दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृत्ति

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	4,37,145	4,95,249	5,56,325	6,26,054	7,07,126
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	9.49	13.29	12.33	12.53	12.95

स्रोत: निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विश्लेषण, हरियाणा

टिप्पणी : 2016-17 के लिए आंकड़े अनंतिम अनुमानों पर, 2017-18 के लिए त्वरित अनुमानों पर और 2018-19 के लिए अग्रिम अनुमानों पर आधारित हैं।

राजकोषीय घटकों की प्रवृत्तियों एवं पद्धति के निर्धारण में प्रयुक्त कुछ शब्दों की परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

शब्दावली	गणना के आधार
मानक की उत्प्लावकता	मानक की वृद्धि की दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि दर
अन्य मानक (ब) के संबंध में मानक (अ) की उत्प्लावकता	मानक (अ) की वृद्धि दर/मानक (ब) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	$[(\text{चालू वर्ष राशि/गत वर्ष राशि}) - 1] \times 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
कुल व्यय	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान} / [(\text{गत वर्षों की राजकोषीय देयताओं की राशि} + \text{चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं}) / 2] \times 100$
बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	$\text{प्राप्त ब्याज} / [(\text{ऋण एवं अग्रिमों का प्रारम्भिक शेष} + \text{अंतिम शेष}) / 2] \times 100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	वित्तीय घाटा - ब्याज भुगतान

परिशिष्ट 1.4
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.3; पृष्ठ 8)
राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम डाटा

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
भाग-क प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	40,799	47,557	52,497	62,695	65,885
(i) कर राजस्व	27,635(67)	30,929 (65)	34,026 (65)	41,099(66)	42,581 (65)
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	18,993(69)	21,060 (68)	23,488 (69)	15,609(38)	8,998 (21)
राज्य उत्पाद शुल्क	3,470(13)	4,371 (14)	4,613 (13)	4,966(12)	6,042 (14)
वाहनों पर कर	1,192(4)	1,401 (5)	1,583 (5)	2,778(7)	2,908 (7)
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	3,109(11)	3,191 (10)	3,283 (10)	4,193(10)	5,636 (13)
भू-राजस्व	15	15	16	18	19
माल एवं यात्रियों पर कर	527(2)	554 (2)	595 (2)	2,317(6)	21
बिजली पर कर एवं शुल्क	240(1)	257 (1)	276 (1)	306(1)	337 (1)
राज्य माल एवं सेवा कर	0	0	0	10,833(26)	18,613 (44)
अन्य कर	89	80	172	79	7
(ii) कर-भिन्न राजस्व	4,613(13)	4,753 (10)	6,196 (12)	9,113(14)	7,976 (12)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	3,548(9)	5,496 (12)	6,597 (12)	7,298(12)	8,255 (12)
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	5,003(13)	6,379 (13)	5,678 (11)	5,185(8)	7,073 (11)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	19	30	26	40	49
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	273	328	973	6,341	5,372
4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	41,091	47,915	53,496	69,076	71,306
5. लोक ऋण प्राप्तियां	18,859	37,998	28,170	21,490	34,265
आन्तरिक ऋण (अर्थापय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	18,728(99)	37,901(100)	28,047 (100)	21,270(99)	33,635 (98)
अर्थापय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	0	0	79	505 (2)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	131(1)	97	123	141(1)	125
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	59,950	85,913	81,666	90,566	1,05571
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	-	63	80	27	12
8. लोक लेखे प्राप्तियां	28,064	29,056	32,108	33,894	40,785
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	88,014	1,15,032	1,13,854	1,24,487	1,46,368
भाग- ख व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	49,118	59,236	68,403	73,257	77,155
योजनागत	12,760(26)	18,561 (31)	22,119 (32)	0	0
योजनेत्तर	36,358(74)	40,675 (69)	46,284 (68)	0	0
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित)	16,765(34)	18,713 (32)	21,631 (32)	26,699(36)	28,169 (36)
आर्थिक सेवाएं	13,088(27)	18,691 (32)	20,875 (30)	18,107(25)	19,021 (25)
सामाजिक सेवाएं	19,120(39)	21,539 (36)	25,473 (37)	28,061(38)	29,743(38)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	145	293	424(1)	390(1)	222(1)
11. पूंजीगत व्यय	3,716	6,908	6,863	13,538	15,307
योजनागत	4,837(130)	6,624 (96)	6,559 (96)	0	0
योजनेत्तर	(-)-1,121(-30)	284 (4)	304 (4)	0	0
सामान्य सेवाएं	291(8)	460 (7)	399 (6)	481(4)	715 (5)
आर्थिक सेवाएं	1,527(41)	4,908 (71)	4,877 (71)	9,884(73)	10,787 (70)
सामाजिक सेवाएं	1,898(51)	1,540 (22)	1,587 (23)	3,173(23)	3,805 (25)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण	843	13,250	4,515	1,395	756
13. कुल (10+11+12)	53,677	79,394	79,781	88,190	93,218
14. लोक ऋण के पुनर्भुगतान	8,227	7,215	5,276	6,339	17,184
आन्तरिक ऋण (अर्थापय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	8,073(98)	7,039 (98)	5,090 (96)	6,074(96)	16,480 (96)
अर्थापय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	79(1)	505 (3)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	154(2)	176 (2)	186 (4)	186(3)	199 (1)
15. आकस्मिक निधि के विनियोजन	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	61,904	86,609	85,057	94,529	1,10,402
17. आकस्मिक निधि संवितरण		63	80	27	12
18. लोक लेखे संवितरण	25,609	28,650	29,276	31,171	37,386
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	87,513	1,15,322	1,14,413	1,25,727	1,47,800

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
भाग ग-घाटा/आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)(1-10)	(-) 8,319	(-)11,679	(-)15,906	(-)10,562	(-) 11,270
21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)(4-13)	(-) 12,586	(-)31,479	(-)26,285	(-)19,114	(-) 21,912
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (21+23)	(-) 5,658	(-)23,195	(-)15,743	(-)7,153	(-) 8,361
भाग-घ अन्य डाटा					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	6,928	8,284	10,542	11,961	13,551
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	6,106	10,766	12,647	9,844	10,078
25. अर्थोपाय अग्रिम/प्राप्त ओवर ड्राफ्ट (दिनों में)	-	0	0	79(2)	505(4)
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	-	0	0	0.02	0.29
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ¹⁰	4,37,145	4,95,249	5,56,325	6,26,054	7,07,126
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	88,446	1,20,718	1,46,371	1,64,076	1,84,216
29. बकाया गारंटियां- ब्याज तथा गारंटी फीस सहित (वर्ष के अन्त में)	30,389	16,886	8,260	14,187	18,273
30. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	14	18	14	25	23
31. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी (₹ करोड़ में)	62.19	98.65	199.17	167.14	127.30
भाग-ई राजकोषीय स्थिति सूचक					
I संसाधन संघटन					
स्वयं का कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.063	0.062	0.061	0.066	0.060
स्वयं का कर-भिन्न राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.011	0.010	0.011	0.015	0.011
केन्द्रीय अन्तरण/स.रा.घ.उ.	0.008	0.011	0.012	0.012	0.012
II व्यय प्रबन्ध					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	0.123	0.160	0.143	0.141	0.132
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.316	1.669	1.520	1.407	1.415
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.915	0.746	0.857	0.831	0.828
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.392	0.291	0.339	0.354	0.360
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.272	0.297	0.323	0.317	0.320
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.069	0.087	0.086	0.154	0.164
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.064	0.081	0.081	0.148	0.157
III राजकोषीय असंतुलों का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा /स.रा.घ.उ.	(-)0.019	(-)0.024	(-)0.029	(-)0.017	(-)0.016
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	(-)0.029	(-)0.064	(-)0.047	(-)0.031	(-)0.031
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-)0.013	(-)0.047	(-)0.028	(-)0.011	(-)0.012
राजस्व घाटा/वित्तीय घाटा	0.661	0.371	0.605	0.553	0.514
प्राथमिक राजस्व शेष/स.रा.घ.उ.	(-)0.025	(-)0.033	(-)0.036	(-)0.021	(-)0.021
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ.	0.20	0.24	0.26	0.26	0.26
वित्तीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां	2.168	2.538	2.788	2.617	2.796
V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर रिटर्न	5.80	15.89	5.89	7.53	56.60
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.68	0.67	0.62	0.60	0.58

¹⁰ आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा द्वारा यथा संचारित वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. आंकड़े।

परिशिष्ट 1.5 भाग-क
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 3)
वर्ष 2018-19 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

	प्राप्तियां			संवितरण		
	2017-18	2018-19		2017-18	2018-19	2018-19
भाग क: राजस्व						
I. राजस्व प्राप्तियां	62,694.87		65,885.12	I. राजस्व व्यय	73,257.36	77,155.54
कर राजस्व	41,099.38	42,581.34		सामान्य सेवाएं	26,698.68	28,168.97
कर भिन्न राजस्व	9,112.85	7,975.64		सामाजिक सेवाएं	28,061.34	29,743.19
संघीय करों में राज्यांश	7,297.52	8,254.60		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	11,782.92	12,671.67
नॉन प्लान अनुदान	-	-		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,074.26	3,678.33
राज्य प्लान स्कीमों हेतु अनुदान	-	-		जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	5,770.38	4,804.46
केन्द्रीय एवं केन्द्रीय प्रायोजित प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	-	-		सूचना एवं प्रसारण	129.99	216.16
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों	2,326.62	2,843.09		अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	396.31	398.71
वित्त आयोग अनुदान	1,316.68	1,274.26		श्रम एवं श्रम कल्याण	517.30	659.36
राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	1,541.82	2,956.19		समाज कल्याण एवं पोषण	6,381.69	7,301.44
				अन्य	8.49	13.06
				आर्थिक सेवाएं	18,106.82	19,021.58
				कृषि एवं सहायक गतिविधियां	2,734.71	3,392.03
				ग्रामीण विकास	2,980.84	3,417.60
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,463.09	1,470.54
				ऊर्जा	7,631.52	7,447.42
				उद्योग एवं खनिज	317.69	402.78
				परिवहन	2,902.44	2,791.38
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	26.53	30.89
				अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	50.00	68.94
				सहायता अनुदान तथा अंशदान	390.52	221.80
II. भाग ख को अग्रणीत राजस्व घाटा	10,562.49		11,270.42	II. भाग ख को अग्रणीत राजस्व आधिक्य		
योग भाग क	73257.36		77,155.54		73,257.36	77,155.54
भाग ख- अन्य						
III. स्थायी अग्रिमों एवं नकद शेष निवेश सहित आरम्भिक नकद शेष	5,658.26		4,417.46	III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरम्भिक ओवरड्राफ्ट		
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	39.87		49.01	IV. पूंजीगत परिव्यय	13,537.90	15,306.60
				सामान्य सेवाएं	480.90	714.55
				सामाजिक सेवाएं	3,172.70	3,804.65
				शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	403.65	396.27
				स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	302.22	332.83
				जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	2,222.42	2,853.79
				सूचना एवं प्रसारण	49.38	22.06
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3.50	6.03
				समाज कल्याण एवं पोषण	65.40	98.20
				अन्य	126.13	95.47

प्राप्तियां			संवितरण				
	2017-18		2018-19		2017-18		2018-19
				आर्थिक सेवाएं	9,884.30		10,787.40
				कृषि एवं सहायक गतिविधियां	1,350.81	1,816.09	
				ग्रामीण विकास		3.86	
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	973.55	1,274.38	
				ऊर्जा	5,454.44	5,500.25	
				उद्योग एवं खनिज	2.24	2.11	
				परिवहन	1,782.31	1,766.80	
				विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	-	-	
				सामान्य आर्थिक सेवाएं	320.95	423.91	
V. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	6,340.93		5,371.90	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	1,394.89		755.64
बिजली परियोजनाओं से	6,007.50	5,271.09		बिजली परियोजनाओं हेतु	887.48	52.83	
सरकारी कर्मचारियों से	93.19	58.38		सरकारी कर्मचारियों को	121.07	54.81	
अन्यों से	240.24	42.43		अन्यों को	386.34	648.00	
VI राजस्व आधिक्य भाग क से अग्रणीत	-	-		VI. राजस्व घाटा भाग क से अग्रणीत	10,562.49		11,270.42
VII. लोक ऋण प्राप्तियां	21,489.76		34,264.97	VII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	6,338.85		17,183.87
बाह्य ऋण				बाह्य ऋण			
आन्तरिक ऋण (अर्थापय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अतिरिक्त)	21,269.27	33,635.11		आन्तरिक ऋण (अर्थापय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अतिरिक्त)	6,073.77	16,479.68	
अर्थापय अग्रिमों के अधीन निवल संपादन	79.48	505.03		अर्थापय अग्रिमों के अन्तर्गत निवल संपादन	79.48	505.03	
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	141.01	124.83		केन्द्रीय सरकार के ऋणों एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान	185.60	199.16	
VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन				VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन	26.77		12.18
IX. आकस्मिक निधि से अंतरित राशि	26.77		12.18	IX. आकस्मिक निधि से व्यय			
X. लोक लेखा प्राप्तियां	33,894.25		40,785.08	X. लोक लेखा संवितरण	31,171.48		37,386.35
लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि.	3,342.50	3,512.08		लघु बचत, भविष्य निधियां, इत्यादि.	2,116.18	2,344.37	
आरक्षित निधियां	973.29	944.98		आरक्षित निधियां	153.65	156.46	
उचन्त एवं विविध	900.54	912.33		उचन्त एवं विविध	852.20	978.04	
प्रेषण	8,098.05	8,911.01		प्रेषण	8,123.14	8,740.29	
निक्षेप एवं अग्रिम	20,579.87	26,504.68		डिपोजिटस एवं अग्रिम	19,926.31	25,167.19	
XI. रिजर्व बैंक आफ इंडिया से संवरण ओवरड्राफ्ट				XI. अंतिम रोकड़ शेष	4,417.46		2,985.55
				कोषालयों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद राशी	0.54	0.54	
				रिजर्व बैंक के साथ निक्षेप	(-490.11)	(-795.10)	
				स्थायी अग्रिमों इत्यादि सहित	2.93	3.91	
				विभागीय नकद शेष			
				नकद शेष निवेश	2,084.53	721.57	
				उद्दिष्ट निवेश	2,819.57	3,054.63	
योग भाग-ख	67,449.84		84,900.61	योग	67,449.84		84,900.61

परिशिष्ट 1.5 भाग ख
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.2; पृष्ठ 35)
31 मार्च 2019 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2018 को	देयताएं	31 मार्च 2019 को
1,37,812.37	आन्तरिक ऋण	1,54,967.80
	97,017.33 ब्याज युक्त बाजार ऋण	1,14,987.33
	2.26 ब्याज रहित बाजार ऋण	2.26
	0.15 जीवन बीमा निगम से ऋण	0.00
	29,442.54 अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण	29,608.70
	11,350.09 केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभृतियां	10,369.51
1,941.27	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,866.94
	1984-85 से पूर्व के ऋण	
	41.87 योजनेत्तर ऋण	40.25
	1,758.39 स्टेट प्लान स्कीमों हेतु ऋण	1,560.85
	141.01 विधाई स्कीमों सहित राज्यों के अन्य ऋण	265.84
200.00	आकस्मिक निधि	200.00
14,547.52	लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	15,715.23
7,067.03	डिपोजिटस	8,404.55
5,527.08	आरक्षण निधियां	6,315.60
-	उचंत तथा विविध शेष	
156.77	प्रेषण शेष	327.48
1,67,252.04		1,87,797.60
31 मार्च 2018 को	परिसम्पत्तियां	31 मार्च 2019 को
79,358.89	स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय	94,616.48
	17,374.35 कम्पनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश	30,747.91
	61,984.54 अन्य पूंजीगत परिव्यय	63,868.57
16,089.94	ऋण एवं अग्रिम	11,473.68
	11,689.47 बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण	6,471.21
	4,320.79 अन्य विकास ऋण	4,926.36
	79.68 सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	76.11
0.72	अग्रिम	0.74
10.80	उचन्त एवं विविध शेष	57.23
-	प्रेषण शेष	-
4,417.46	नकद	2,985.55
	0.54 कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	0.54
	(-)490.11 रिजर्व बैंक में डिपोजिटस	(-)795.10
	2.81 विभागीय नकद शेष	3.79
	0.12 स्थायी अग्रिम	0.12
	2,084.53 नकद शेष निवेश	721.57
	2,819.57 आरक्षण निधि निवेश	3,054.63
67,374.23	सरकारी लेखाओं पर घाटा	78,663.92
	10,562.49 (i) चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य/घाटा	11,270.42
	56,811.74 (ii) गत वर्ष तक संचित घाटा	67,374.23
	विविध सरकारी लेखे	19.27
1,67,252.04	कुल	1,87,797.60

परिशिष्ट 1.3 तथा 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी: विवरणियों में दिए गए संक्षिप्त लेखों का आकलन, वित्त लेखाओं में दी गई विस्तृत टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के साथ किया जाना चाहिए। मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण, सरकारी लेखे पर घाटा, जैसा कि परिशिष्ट 1.5 में दर्शाया गया है, नकद आधार पर स्थिति से अवगत करवाता है तथा वाणिज्यिक लेखों के अर्जन आधार से पृथक है। परिणामस्वरूप, कई मर्दे जैसे कि देय या प्राप्य अथवा हास या स्टाक आंकड़ों भिन्नता लेखों में नहीं ली जाती। उचन्त एवं विविध शेषों में शामिल रहते हैं - जारी बैंक जिनका भुगतान अभी नहीं हुआ था, राज्य के पक्ष में किए गए भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन, इत्यादि। लेखों में दर्शाई गई राशी तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित 31 मार्च 2019 को "भारतीय रिजर्व बैंक में जमा राशी" में ₹ 12.97 करोड़ (निवल डेबिट) का अंतर था। अंतर मिलान अधीन था (अगस्त 2019)।

परिशिष्ट 1.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.2; पृष्ठ 5)

वर्ष 2018-19 के लिए चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति
विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) के अन्तर्गत निर्धारणों/प्रक्षेपणों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	चौ.वि.आ. द्वारा निर्धारण	म.अ.रा.नी.वि. में प्रक्षेपण	वास्तविक
स्वयं का कर राजस्व	66,779	49,132	42,581
स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	4,814	11,303	7,976
स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	71,593	60,435	50,557
कुल राजस्व व्यय	64,340	85,187	77,155
वेतन	-	20,597	19,763
ब्याज भुगतान	12,310	14,037	13,551
पेंशन	6,588	8,301	8,140
सब्सिडी-विद्युत	-	6,478	7,415
राजस्व सरप्लस (+)/घाटा (-)	(+) 7,253	(-) 8,254	(-) 11,270
राजकोषीय घाटा (स.रा.घ.उ. का प्रतिशत)	3.25 प्रतिशत	2.82 प्रतिशत	3.10 प्रतिशत
बकाया ऋण (स.रा.घ.उ. का प्रतिशत)	20.92 प्रतिशत	23.44 प्रतिशत	26.05 प्रतिशत

परिशिष्ट 1.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.3; पृष्ठ 32)

सांविधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति जो लेखों के प्रस्तुतिकरण वाले वर्ष तक हानियों में चल रहे थे

क्र. सं.	सरकारी कम्पनियां	निवेश (2017-18 तक)	निवेश (2018-19 के दौरान)	निवेश (2018-19 तक)	संचित हानि	लेखा वर्ष
		(₹ करोड़ में)				
1	हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	42.87	2.27	45.14	12.76	2013-14
2	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	10.89	0.00	10.89	354.28	2016-17
3	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2,873.46	15.63	2,889.09	48.53	2017-18
4	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	5,613.75	6,521.24	12,134.99	15,614.12	2017-18
5	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	4,626.66	6,114.85	10,741.51	13,790.39	2017-18
6	हरियाणा वित्तीय निगम	202.01	0.00	202.01	113.51	2017-18
7	हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड	0.24	0.00	0.24	5.08	2017-18
8	हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन	25.00	0.00	25.00	1.14	2014-15
9	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	2.54	0.00	2.54	122.76	2014-15
10	हरियाणा कॉन्कास्ट लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	27.18	1997-98
11	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं लिमिटेड	5.00	0.00	5.00	1.50	2014-15
12	हरियाणा महिला विकास निगम	15.51	0.00	15.51	2.23	2012-13
कुल		13,417.93	12,653.99	26,071.92	30,093.48	

परिशिष्ट 1.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.4; पृष्ठ 33)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों की सारांशित वित्तीय विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	गत खाते के अनुसार नियोजित पूंजी	साधन सरकारी पूंजी	हास मूल्य पर ब्लाक परिसम्पत्तियां	वर्ष के दौरान किया गया हास प्रावधान	टर्नओवर	निवल लाभ/हानि	पूंजी पर ब्याज	कुल रिटर्न (9+10)	पूंजी पर रिटर्न प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कृषि विभाग (बीज डिपो स्कीम)	1988-89	-	-	-	-	0.03	(-) 0.01	-	(-) 0.01	-
2	कृषि विभाग (कीटनाशियों का क्रय एवं वितरण)	1986-87	0.82	1.68	-	-	1.67	0.13	-	0.13	7.74
3	मुद्रण एवं लेखन (राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम)	2007-08	17.97	21.59	0.09	0.01	7.24	1.74	1.43	3.17	14.68
4	खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम)	2015-16	6,908.27	6,772.51	-	-	7,056.08	(-) 263.84	207.76	(-) 56.08	-
5	परिवहन विभाग हरियाणा रोडवेज़	2014-15	1,186.24	1,118.34	873.28	38.28	1,153.70	(-) 517.04	35.00	(-) 482.04	-
कुल			8,113.30	7,914.12	873.37	38.29	8,218.72	(-) 779.02	244.19	(-) 534.83	-

परिशिष्ट 1.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.5; पृष्ठ 33)

कार्यान्वयनाधीन सार्वजनिक निजी साझेदारी मूलभूत संरचना परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग/ एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तारीख	पूर्णता की संभावित तारीख/स्थिति
1	मुंडका से बहादुरगढ़ तक मेट्रो का विस्तार	एच.एम.एस. सी.एल.	2,028.96 (हरियाणा का अंश ₹ 787.96 करोड़)		फरवरी 2013	वाणिज्यिक संचालन की तिथि 24 जून 2018
2	झज्जर पॉवर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट	एच.वी.पी. एन.एल.	382.00	डी.बी.एफ.ओ.टी.	-	12 मार्च 2012, प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुका है।
3	सिकंदरपुर स्टेशन से एन.एच.-8 गुडगांव तक मेट्रो लिंक	एच.एम.आर. टी.एल.एल.	1,088.00	बी.ओ.टी.	-	14 नवंबर 2013, प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुका है।
4	सिकंदरपुर से सैक्टर-56 गुडगांव तक मेट्रो लिंक	एच.एम.आर. टी.एल.एल.	2,143.00	डी.बी.एफ.ओ.टी.	-	31 मार्च 2017, प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुका है।
5	कुण्डली-मानेसर-पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रेस-वे का निर्माण	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	1,863.00	बी.ओ.टी. (वार्षिकी)	अगस्त 2016	अंतिम पूर्णता प्रमाण-पत्र दिसंबर 2018 में जारी किया गया। सड़क की गुणवत्ता में सुधार और पंच सूची दी गई मई सितंबर 2019 तक पूरा नहीं हुई थी।
6	हरियाणा राज्य में एकीकृत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के विकास के लिए 14 परियोजनाएं	शहरी स्थानीय निकाय	1,627.62	बी.ओ.ओ.टी.	--	14 परियोजनाओं में से, दो परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन और सितंबर 2019 में पूरा होने की संभावना है। एक परियोजना के लिए निविदाएं खोली गईं और परियोजना कार्य जल्दी ही आर्बिट किया जायेगा। अगले तीन महीनों में परियोजनाओं के संबंध में निविदाएं आमंत्रित की जायेंगी। जनवरी 2018 में चार परियोजनाओं में निविदाएं आमंत्रित की गईं और प्रत्येक परियोजना में एकल बोली प्राप्त हुई। पुनः टेंडरिंग पर निर्णय अनुमोदन के लिए लंबित है।
7	रेडियोलॉजिकल सर्विसिज	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	जिला अस्पतालों के लिए जुलाई 2014	चार जिला अस्पताल में सी.टी. और एम.आर.आई. कार्यात्मक और नौ जिलों में केवल सी.टी. स्कैन कार्यात्मक है।
8	हीमोडायलिसिस सर्विसिज	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	14 जिला अस्पतालों के लिए दिसंबर 2015	10 जिला अस्पतालों में सेवाएं प्रारम्भ हो गई हैं।
9	कैथ लैब सर्विसिज	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	4 जिला अस्पतालों के लिए मार्च 2016	सभी चार जिला अस्पतालों में कार्यात्मक।
10	हरियाणा राज्य में फिरोजपुर झिरका बीवन रोड़ (0.00 से 14.28 कि.मी.) के पेवड सोल्डर द्वारा 2 लेनिंग का विकास	पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.)	94.00	डी.बी.एफ.ओ.टी. (टोल) 23.06.2016	--	पूरा कर लिया है
11	1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन	औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा	130.00	--	2007 से 2012	2037-2042 (दस वर्षों की अधिस्थगन अवधि सहित)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग/ एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तारीख	पूर्णता की संभावित तारीख/स्थिति
12	मनोरंजन पार्क गुडगांव का निर्माण	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	230.00	संयुक्त उद्यम	02 जून 2000	
13	गुडगांव, फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़ सोहाना रोड की मरम्मत (लम्बाई 66.185 किलोमीटर)	पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.)	180.00	बी.ओ.टी.	--	परियोजना परिचालन चरण में है
14	बस स्टैंड एन.आई.टी., फरीदाबाद	डी.जी.एस.टी.	110.94	डी.बी.ओ.एफ.टी.	14 जून 2018	योजना के अनुमोदन और साइट सौंपने के दो साल बाद, जो प्रक्रियाधीन थी
कुल			9,877.52			

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2; पृष्ठ 53)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 100 करोड़ से अधिक थीं

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	पूरक	कुल	वास्तविक	बचत/आधिक्य
राजस्व (दत्तमत)						
1	4-राजस्व	1,105.74	288.60	1,394.34	1,066.23	(-) 328.11
2	6- वित्त	8,381.79	0.76	8,382.55	8,211.30	(-) 171.25
3	8-भवन एवं सड़कें	1,208.65	12.15	1,220.80	961.32	(-) 259.48
4	9-शिक्षा	13,587.44	175.00	13,762.44	11,962.65	(-) 1,799.79
5	11-खेल एवं युवा कल्याण	394.17	0.00	394.17	279.31	(-) 114.86
6	13-स्वास्थ्य	4,050.41	125.15	4,175.56	3,678.19	(-) 497.37
7	15-स्थानीय शासन	4,223.60	800.49	5,024.09	2,855.46	(-) 2,168.63
8	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	504.78	0.00	504.78	319.67	(-) 185.11
9	19-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा श्रेणी और अल्पसंख्यकों का कल्याण	722.51	2.17	724.68	398.71	(-) 325.97
10	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	6,054.80	5.79	6,060.59	5,796.07	(-) 264.52
11	21-महिला एवं बाल विकास	1,217.97	197.20	1,415.17	938.59	(-) 476.58
12	23-खाद्य एवं आपूर्ति	388.97	0.20	389.17	280.67	(-) 108.50
13	24-सिंचाई	1,645.20	0.00	1,645.20	1,430.88	(-) 214.32
14	25-उद्योग	316.90	250.73	567.63	224.05	(-) 343.58
15	27-कृषि	2,667.85	65.00	2,732.85	1,776.07	(-) 956.78
16	28-पशुपालन एवं डेरी विकास	893.28	30.00	923.28	815.72	(-) 107.56
17	30-वन एवं वन्यजीवन	425.67	20.00	445.67	301.71	(-) 143.96
18	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	4,510.11	349.45	4,859.56	3,597.81	(-) 1,261.75
19	34-परिवहन	2,329.59	195.00	2,524.59	2,117.83	(-) 406.76
20	36-गृह	4,307.89	251.14	4,559.03	3,900.19	(-) 658.84
21	38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,952.23	76.60	2,028.83	1,834.34	(-) 194.49
22	39-सूचना एवं प्रचार	193.07	217.81	410.88	216.16	(-) 194.72
23	40-एनर्जी एवं पावर	6,614.73	1,751.01	8,365.74	7,473.36	(-) 892.38
24	42-न्याय प्रशासन	692.48	92.07	784.55	590.07	(-) 194.48
	कुल	68,389.83	4,906.32	73,296.15	61,026.36	(-) 12,269.79
राजस्व (दत्तमत)						
25	6- वित्त	14,289.39	129.60	14,418.99	13,551.46	(-) 867.53
	कुल	14,289.39	129.60	14,418.99	13,551.46	(-) 867.53
पूजीगत (दत्तमत)						
26	7-आयोजना एवं सांख्यिकी	410.00	300.00	710.00	399.86	(-) 310.14
27	8-भवन एवं सड़कें	3,474.14	256.30	3,730.44	2,848.31	(-) 882.13
28	13-स्वास्थ्य	522.50	45.00	567.50	144.70	(-) 422.80
29	23-खाद्य एवं आपूर्ति	9,451.21	3,000.00	12,451.21	12,266.09	(-) 185.12
30	24-सिंचाई	1,537.07	100.00	1,637.07	1,194.17	(-) 442.90
31	34-परिवहन	287.10	60.00	347.10	183.53	(-) 163.57
32	36-गृह	410.00	0.00	410.00	255.80	(-) 154.20
33	38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,759.49	0.00	1,759.49	1,464.96	(-) 294.53
34	45-ऋण एवं अग्रिम	1,766.42	245.54	2,011.96	755.64	(-) 1,256.32
	कुल	19,617.93	4,006.84	23,624.77	19,513.06	(-) 4,111.71
पूजीगत (भारित)						
35	लोक ऋण भारत	12,465.75	6,800.00	19,265.75	17,183.87	(-) 2,081.88
	कुल	12,465.75	6,800.00	19,265.75	17,183.87	(-) 2,081.88
	सकल कुल	1,14,762.90	15,842.76	1,30,605.66	1,11,274.75	(-) 19,330.91

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 53)

बजट प्रावधान के बिना किए गए व्यय का विवरण (₹ एक करोड़ से अधिक)

क्र. स.	व्यय का मुख्य शीर्ष/लघु/उप-शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
अनुदान संख्या 24-सिंचाई		
1	2700-मुख्य सिंचाई, 02-पश्चिम जमुना नहर परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता	2.19
2	2700-मुख्य सिंचाई, 04-लोहारू नहर परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	1.35
3	2700-मुख्य सिंचाई, 05-जवाहर लाल नेहरू नहर परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	1.86
4	2700-मुख्य सिंचाई, 18-गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व	2.03
5	2700-मुख्य सिंचाई, 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व	5.33
6	2700-मुख्य सिंचाई, 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	56.65
7	2700-मुख्य सिंचाई, 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षक अभियंता	4.64
अनुदान संख्या 25-उद्योग		
8	2852-उद्योग-08-उपभोगता उद्योग, 600-अन्य, 98- खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.एफ.पी.)	2.19
अनुदान संख्या 40-एनर्जी एवं पावर		
9	4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय- 05-पारेषण और वितरण, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश, 95-उदय स्कीम के अंतर्गत डिसकोमज को इक्विटी पूंजी 96-उदय स्कीम के अंतर्गत उ.ह.ब.व.नि.लि. की हानि का अधिग्रहण करने के लिए इक्विटी पूंजी	10.25
	कुल	86.49

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.5; पृष्ठ 57)

**मामलों के विवरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक)
अनावश्यक सिद्ध हुए**

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक	प्रावधानों में से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
1	4-राजस्व	1,105.74	288.60	1,066.23	(-) 328.11
2	5-आबकारी एवं कराधान	238.03	5.35	194.98	(-) 48.40
3	6-वित्त	8,381.79	0.76	8,211.30	(-) 171.25
4	8-भवन एवं सड़कें	1,208.65	12.15	961.32	(-) 259.48
5	9-शिक्षा	13,587.44	175.00	11,962.65	(-) 1,799.79
6	10-तकनीकी शिक्षा	437.95	25.00	394.78	(-) 68.17
7	13-स्वास्थ्य	4,050.41	125.15	3,678.19	(-) 497.37
8	14-शहरी विकास	104.99	1.86	67.92	(-) 38.93
9	15-स्थानीय शासन	4,223.60	800.49	2,855.46	(-) 2,168.63
10	16-श्रम	50.10	0.51	45.86	(-) 4.75
11	19-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा श्रेणी और अल्पसंख्यकों का कल्याण	722.51	2.17	398.71	(-) 325.97
12	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	6,054.80	5.79	5,796.07	(-) 264.52
13	21-महिला एवं बाल विकास	1,217.97	197.20	938.59	(-) 476.58
14	25-उद्योग	316.90	250.73	224.05	(-) 343.58
15	27-कृषि	2,667.85	65.00	1,776.07	(-) 956.78
16	28-पशुपालन एवं डेरी विकास	893.28	30.00	815.72	(-) 107.56
17	30-वन एवं वन्यजीवन	425.67	20.00	301.71	(-) 143.96
18	31-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	12.42	0.67	4.95	(-) 8.14
19	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	4,510.11	349.45	3,597.81	(-) 1,261.75
20	34-परिवहन	2,329.59	195.00	2,117.83	(-) 406.76
21	36-गृह	4,307.89	251.14	3,900.19	(-) 658.84
22	37-चुनाव	62.41	13.43	45.21	(-) 30.63
23	38-लोक स्वास्थ्य और जल आपूर्ति	1,952.23	76.60	1,834.34	(-) 194.49
24	42-न्याय प्रशासन	148.66	5.00	88.30	(-) 65.36
25	42-न्याय का प्रशासन	692.48	92.07	590.07	(-) 194.48
26	43-जेलें	273.13	7.16	209.80	(-) 70.49
27	44-छपाई और लेखन सामग्री	33.92	5.38	30.46	(-) 8.84
	कुल	60,010.52	3,001.66	52,108.57	(-) 10,903.61
राजस्व (भारित)					
28	6-वित्त	14,289.39	129.60	13,551.46	(-) 867.53
	कुल	14,289.39	129.60	13,551.46	(-) 867.53

क्र. स.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक	प्रावधानों में से बचत
पूँजीगत (दत्तमत)					
29	7-योजना और सांख्यिकी	410.00	300.00	399.86	(-) 310.14
30	8-भवन एवं सड़कें	3,474.14	256.30	2,848.31	(-) 882.13
31	13-स्वास्थ्य	522.50	45.00	144.70	(-) 422.80
32	24-सिंचाई	1,537.07	100.00	1,194.17	(-) 442.90
33	34-परिवहन	287.10	60.00	183.53	(-) 163.57
34	39-सूचना एवं प्रचार	50.00	1.00	22.06	(-) 28.94
35	40-एनर्जी एवं पावर	5,515.86	19.43	5,500.25	(-) 35.04
36	44-छपाई और लेखन सामग्री	1.00	1.38	0.09	(-) 2.29
37	45-ऋण एवं अग्रिम	1,766.42	245.54	755.64	(-) 1,256.32
	कुल	13,564.09	1,028.65	11,048.61	(-) 3,544.13
	सकल कुल	87,864.00	4,159.91	76,708.64	(-) 15,315.27

**मामलों के विवरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक)
अपर्याप्त सिद्ध हुए**

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक	आधिक्य
राजस्व (दत्तमत)					
1	1-विधानसभा	65.09	9.40	70.81	(-) 3.68
2	2-राज्यपाल और मंत्रिपरिषद	158.15	4.00	158.48	(-) 3.67
3	3-सामान्य प्रशासन	316.49	66.24	324.93	(-) 57.8
4	12-कला और संस्कृति	21.74	12.18	23.72	(-) 10.2
5	17-रोजगार	236.19	103.44	294.26	(-) 45.37
6	22-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	149.32	42.74	162.29	(-) 29.77
7	26-खान और भूविज्ञान	70.53	35.88	93.84	(-) 12.57
8	35-पर्यटन	3.98	12.00	14.87	(-) 1.11
9	39-सूचना और प्रचार	193.07	217.81	216.16	(-) 194.72
10	40-ऊर्जा शक्ति	6,614.73	1,751.01	7,473.36	(-) 892.38
राजस्व (भारित)					
11	2-राज्यपाल और मंत्रिपरिषद	18.17	5.29	19.82	(-) 3.64
12	3-सामान्य प्रशासन	11.58	6.27	15.84	(-) 2.01
पूँजीगत (दत्तमत)					
13	23-खाद्य और आपूर्ति	9,451.21	3,000.00	12,266.09	(-) 185.12
पूँजीगत (भारित)					
14	लोक ऋण भारित	12,465.75	6,800.00	17,183.87	(-) 2081.88
	कुल	29,776.00	12,066.26	38,318.34	(-) 3,523.92

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.6; पृष्ठ 57)

वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में अधिक व्यय दर्शाने वाले ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2018 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1	04-राजस्व	2506-भूमि सुधार	41.40	33.15	80	31.26	76
2	07- आयोजना एवं सांख्यिकी	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	399.86	342.31	86	276.64	69
3	08- भवन एवं	2216-आवास	48.06	29.43	61	23.93	50
4	सड़क	3054-सड़कें और पुल	729.81	455.50	62	401.48	55
5	18- औद्योगिक प्रशिक्षण	4250-अन्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	14.83	12.21	82	10.42	70
6	21-महिला और बाल विकास	2236-पोषण	105.29	55.58	53	26.19	25
7	24-सिंचाई	2701-मध्यम सिंचाई	209.24	194.76	93	188.16	90
8		4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	550.89	318.24	58	261.46	47
9		4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	536.71	365.34	68	280.64	52
10		4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजी परिव्यय	186.79	108.22	58	86.04	46
11	26- खदान तथा भू-विज्ञान	2853-नॉन फेरस मिनिंग एंड मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज	93.84	63.12	67	52.47	56
12	27-कृषि	2401-फसल की पैदावार	1,332.53	737.55	55	550.20	41
13	33-सहकारिता	4425-सहकारिता पर पूंजी परिव्यय	124.48	117.51	94	116.89	94
14	37-चुनाव	2015-चुनाव	45.21	27.67	61	21.94	49
15	39-सूचना और प्रचार	4220-सूचना और प्रचार पर पूंजी परिव्यय	22.06	22.06	100	20.64	94
16	40-एनर्जी एवं पावर	2810-नई और नवीकरणीय ऊर्जा	77.14	65.37	85	28.00	36
17	44-छपाई और लेखन सामग्री	2058-छपाई और लेखन सामग्री	19.69	10.30	52	3.96	20
		कुल	4,537.83	2,958.32	65	2,380.32	52

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.2; पृष्ठ 58)

भुगतान के समर्थन में वाऊचरों को प्रस्तुत न करने के खजानावार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	खजाने का नाम	वाऊचरों की संख्या	राशि
1	अंबाला	33	0.30
2	भिवानी	34	1.30
3	चण्डीगढ़	2	0.01
4	फरीदाबाद	50	0.51
5	फतेहाबाद	3	0.00 ¹
6	गुरुग्राम	16	0.35
7	हिसार	21	0.24
8	जगाधरी	15	0.20
9	झज्जर	12	2.10
10	जींद	6	0.04
11	कैथल	6	0.07
12	करनाल	90	1.54
13	कुरुक्षेत्र	4	0.04
14	नारनौल	8	0.09
15	नूंह (मेवात)	5	0.21
16	पंचकूला	10	0.21
17	पानीपत	9	0.13
18	रेवाड़ी	11	0.10
19	रोहतक	8	0.03
20	सिरसा	18	0.28
21	सोनीपत	24	0.41
कुल		385	8.17

¹ ₹ 41,697/-

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.4; पृष्ठ 59)

मुख्य शीर्ष 8782-रेमिटेंसिस 103-वन रेमिटेंसिस के संबंध में शुद्ध अंतर दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंडल का नाम	डेबिट	क्रेडिट
1	हरियाणा के प्रधान मुख्य संरक्षक, पंचकूला	4.20	-
2	संरक्षक उत्तर परिमंडल, पंचकूला	-	0.01
3	मंडल अधिकारी (टी) मोरनी (पिंजौर)	-	0.44
4	मंडल अधिकारी (टी) यमुनानगर	0.03	-
5	मंडल अधिकारी (टी) अंबाला शहर	1.43	-
6	मंडल अधिकारी (टी) कुरुक्षेत्र	-	0.49
7	मंडल अधिकारी (टी) करनाल	-	0.20
8	मंडल अधिकारी (टी) सोनीपत	-	0.57
9	मंडल अधिकारी (टी) कैथल	-	0.05
10	संरक्षक दक्षिण परिमंडल, गुरुग्राम	-	0.00 ²
11	मंडल अधिकारी (टी) महेन्द्रगढ़	0.17	-
12	मंडल अधिकारी (टी) फरीदाबाद	-	3.77
13	मंडल अधिकारी रोहतक	0.54	-
14	मंडल अधिकारी गुरुग्राम	2.51	-
15	संरक्षक पश्चिम परिमंडल, हिसार	-	0.03
16	मंडल अधिकारी (टी) सिरसा	0.32	-
17	मंडल अधिकारी (टी) जींद	0.78	-
18	मंडल अधिकारी (टी) हिसार	0.12	-
19	मंडल अधिकारी (टी) भिवानी	-	0.37
20	मंडल अधिकारी (पी) करनाल	1.19	-
21	मंडल अधिकारी (पी) कुरुक्षेत्र	0.40	-
22	मंडल अधिकारी (पी) यमुनानगर	1.16	-
23	संरक्षक प्रशिक्षण परिमंडल, पिंजौर, पंचकूला	-	0.00 ²
24	संरक्षक अनुसंधान परिमंडल, पिंजौर, पंचकूला	-	0.06
25	संरक्षक केंद्रीय परिमंडल, रोहतक	0.05	-
26	मंडल अधिकारी सामुदायिक वानिकी परियोजना पानीपत	-	0.62
27	मंडल अधिकारी सामुदायिक वानिकी परियोजना फरीदाबाद	-	0.06
28	मंडल अधिकारी (टी) पानीपत	-	0.13
29	मंडल अधिकारी झज्जर	-	0.93
30	मंडल अधिकारी (टी एंड ई) करनाल	0.21	-
31	मंडल अधिकारी (टी) मेवात नूह	-	0.26
32	मंडल अधिकारी (टी) रेवाड़ी	0.45	-
33	मंडल अधिकारी (टी) फतेहाबाद	-	2.14
34	मुख्य वाइल्ड लाइफ वार्डन पंचकूला	-	0.01
35	मंडलीय वन्य जीव अधिकारी पंचकूला	0.01	-
36	मंडलीय वन्य जीव अधिकारी रोहतक	-	0.83
37	सामुदायिक वानिकी परियोजना संरक्षक अंबाला	-	0.01
38	मंडल अधिकारी सामुदायिक वानिकी परियोजना कुरुक्षेत्र	0.34	-
39	सामुदायिक वानिकी परियोजना संरक्षक परिमंडल हिसार	-	0.00 ²

² ₹ 50,000/- से कम राशि

क्र.सं.	मंडल का नाम	डेबिट	क्रेडिट
40	मंडल अधिकारी सामुदायिक वानिकी परियोजना भिवानी	0.01	-
41	मंडल अधिकारी सामुदायिक वानिकी परियोजना जटुसाना, रेवाड़ी	-	0.02
42	मंडल अधिकारी सामुदायिक वानिकी परियोजना हिसार	-	0.03
43	संरक्षक अधिकारी (एम. एंड ई.) परिमंडल करनाल	-	0.00 ³
44	मंडल अधिकारी (टी) पलवल	3.14	-
45	मंडलीय वन्य जीव अधिकारी गुरुग्राम	-	0.01
46	मंडलीय वन्य जीव अधिकारी हिसार	0.03	-
47	मंडल अधिकारी प्रशिक्षण प्रभाग सोहाना	0.01	-
48	कार्य योजना संरक्षक परिमंडल गुरुग्राम	-	0.44
49	मंडल अधिकारी प्रशिक्षण प्रभाग पिंजौर	-	0.00 ³
50	मंडल अधिकारी अनुसंधान प्रभाग पिंजौर	0.04	-
51	मंडल अधिकारी बीज संग्रह प्रभाग पिंजौर	-	0.04
52	डी.एफ.ओ. (पी) हिसार	-	0.30
53	मंडल अधिकारी (एम. एंड ई.) हिसार	-	0.01
54	मंडल अधिकारी इको टूरिज्म पंचकूला	0.00 ³	-
55	साइबर ट्रेजरी	-	1.00
56	सी.एफ., एस.एफ. अंबाला	-	0.05
57	मंडल अधिकारी समुदाय अंबाला	0.00 ³	-
58	संरक्षक (पी) परिमंडल करनाल		0.00 ³
59	डी.एफ.ओ. इको टूरिज्म गुरुग्राम		0.00 ³

³ ₹ 50,000/- से कम राशि

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (i); पृष्ठ 60)

स्कीमों के विवरण (₹ एक करोड़ तथा अधिक) जिनके लिए बजट अनुमानों में प्रावधान किए गए परंतु संशोधित अनुमानों में वापिस ले लिए गए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले
1	आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण, हरियाणा	हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान	10.00	-
2	शिक्षा (माध्यमिक)	माध्यमिक स्तर पर निःशक्तजन समावेशी शिक्षा (आई.ई.डी.एस.एस.)	17.10	-
3		शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण और संचालन	17.43	-
4		साक्षर भारत योजना	1.00	-
5	मछली पालन	मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए डाटाबेस और सूचना नेटवर्किंग का सुदृढीकरण / डाटा आधार के सुदृढीकरण और मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए सूचना नेटवर्किंग-स्थापना व्यय के रूप में पुनर्नामांकित	1.40	-
6	स्वास्थ्य	गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों के लिए आरोग्य कोष	2.10	-
7	बागवानी	बागवानी किसानों को कृषि और विपणन सहायता	199.33	-
8	जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी	डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम	30.00	-
9		त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति - एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.-स्थिरता (केंद्रीय)	10.00	-
10		अनुसूचित जाति के लिए डी.डी.पी. के तहत विशेष घटक योजना	10.00	-
11	लोक निर्माण (भवन और सड़कें)	पॉलिटेक्निक में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण	10.00	-
12	राजिस्ट्रार, सहकारी समितिया, हरियाणा	शेयर कैपिटल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक	2.00	-
13		हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, चंडीगढ़	1.00	-
14		प्राथमिक सहकारी और कृषि ग्रामीण विकास में शेयर कैपिटल के लिए सरकार का योगदान	1.00	-
15		आवास सहकारी समितियों को ऋण	1.00	-
16	कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण	हरियाणा कौशल विकास मिशन की स्थापना	17.00	-
17		आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. में उन्नयन	1.00	-
18		आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. में उन्नयन	4.00	-
19		प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	32.33	-
20		आई.टी.आई. में आतिथ्य शिक्षा	1.06	-
		कुल	368.75	

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (ii); पृष्ठ 60)

स्कीमों के विवरण (₹ पांच करोड़ तथा उससे अधिक) जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान कम किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले
1	आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण, हरियाणा	राज्य और जिला स्तर पर राज्य रणनीतिक सांख्यिकी योजना (एस.एस.एस.पी.) - स्थापना पर व्यय	10.00	1.00
2	विकास और पंचायत	हरियाणा राज्य ग्रामीण स्वच्छता पुरस्कार योजना	5.00	1.00
3		हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की सहायता के लिए योजना	5.00	0.01
4		हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता के लिए योजना	10.00	0.01
5	शिक्षा (माध्यमिक)	नाबार्ड के तहत उच्चतर माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के भवन का निर्माण	100.00	0.10
6	वन	सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.एस.ए) केंद्र प्रायोजित योजना के तहत कृषि- वानिकी	6.00	3.00
7		राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन)	20.00	0.01
8		राज्य वन विकास एजेंसी (एस.एफ.डी.ए.) द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण और वानिकी/वनीकरण गतिविधियाँ	15.00	0.01
9	बागवानी	हरियाणा राज्य में नाबार्ड की सिंचाई दक्षता योजना के तहत अति शोषित और महत्वपूर्ण ब्लॉकों में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए योजना	11.84	0.01
10	सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना	15.97	2.00
11	सिंचाई और जल संसाधन	नहर का निर्माण (एस.वाई.एल.)	100.00	0.10
12		भाखड़ा मेन लाइन की मरम्मत क्षमता	7.00	1.50
13		नाबार्ड के अंतर्गत सिंचाई दक्षता योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई	110.00	0.01
14	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान	राज्य में नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूलों / कॉलेजों के निर्माण कार्य - भवन का निर्माण	20.00	5.00
15		नालहर में डेंटल कॉलेज का निर्माण कार्य - भवन का निर्माण	5.00	2.00
16	पुलिस	क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला स्टाफ	7.00	0.01
17	विद्युत	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को ऋण	500.00	390.00
18		आर.आई.डी.एफ. योजनाओं के तहत नाबार्ड से एच.पी.जी.सी. एल. को ऋण	220.11	0.01

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले
19	लोक निर्माण (भवन और सड़कें)	राज्य सतर्कता ब्यूरो के लिए कार्यालय भवन का निर्माण	20.00	14.00
20		ट्रेजरी और लेखा प्रशासन	5.00	2.00
21		स्वर्ण जयंती योजना के तहत भवनों का निर्माण	10.00	3.00
22	ग्रामीण विकास	राष्ट्रीय सम विकास योजना / पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष का नाम बदलकर स्वर्ण जयंती उत्थान योजना - सामान्य योजना	67.00	3.00
23		अनुसूचित जाति के लिए पिछड़ा अनुदान क्षेत्र कोष के लिए योजना का नाम बदलकर स्वर्ण जयंती उत्थान योजना किया गया	33.00	1.00
24		एकीकृत बंजर भूमि विकास / प्रबंधन परियोजना	66.00	24.00
25		एकीकृत बंजर भूमि विकास / प्रबंधन परियोजना	10.00	6.00
26		अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	55.00	36.00
27		विज्ञान और तकनीक	अंबाला कैंट में विज्ञान केंद्र की स्थापना	5.85
28	सोनीपत में साइंस सिटी की स्थापना		20.00	3.80
29	खेल और युवा कल्याण	पंचायती युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पी.वाई.के.के.ए.) का नाम बदलकर खेलो इंडिया-स्पोर्ट्स के विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम - केंद्रीय क्षेत्र योजना सहायता अनुदान	20.00	5.00
30		इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम	10.25	5.25
31	तकनीकी शिक्षा	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.), किलोहार्ड, सोनीपत की स्थापना	10.00	1.00
32	शहरी स्थानीय निकाय	दूध डेयरी की शिपिंग	6.00	0.01
33		राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	36.00	24.00
34	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा श्रेणी और अल्पसंख्यकों का कल्याण	गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल	5.00	3.00
35		ओ.बी.सी. छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण	5.00	2.50
36		पिछड़े वर्ग के छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	6.00	4.00
37		अनुसूचित जाती के छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	35.00	15.00
38		बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	5.50	3.50
39		कौशल विकास कार्यक्रम अनुसूचित जाति के लिए विभिन्न क्षेत्र	12.00	6.40
40		पारंपरिक योजनाओं के लिए सब्सिडी जैसे डेयरी, पिगरी और अन्य योजनाएं	7.95	0.95
41	पिछड़े वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	30.00	20.00	
		कुल	1,648.47	590.19

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (iii); पृष्ठ 61)

स्कीमों के विवरण (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) जिनके लिए अनुमोदित परिव्यय और संशोधित अनुमानों में प्रावधान किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले
1	कृषि और किसान कल्याण विभाग	बायो-गैस प्लांट लगाना	6.00	6.00
2	पशुपालन	डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय योजना	2.20	2.20
3	सिंचाई और जल संसाधन	कार्यकारी अभियंता	3.59	3.59
4		नहरों का निर्माण	1.00	1.00
5		नहरों (मेवात) का निर्माण	1.00	1.00
6	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान	निर्माण कार्य एम्स, मनेठी (रेवाड़ी)	1.00	1.00
7	लोक निर्माण (भवन और सड़कें)	ऑफिस-बिल्डिंग (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) के निर्माण के लिए भूमि की खरीद	2.00	2.00
8	ग्रामीण विकास	सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जे.वाई.)	2.50	2.50
9	शहरी स्थानीय निकाय	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	5.40	5.40
10	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा श्रेणी और अल्पसंख्यकों का कल्याण	डी-नोटिफाइड ट्राइब्स (डी.एन.टी.) के लिए अंबेडकर प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	4.00	4.00
	कुल		28.69	28.69

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (iv); पृष्ठ 61)

स्कीमों के विवरण (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) जहां बजट अनुमानों में वृद्धि की गई परन्तु व्यय मूल प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	अनुमोदित आउटले की प्रतिशतता
1	शिक्षा (प्राथमिक)	सर्व शिक्षा अभियान	148.28	193.83	90.74	61
2	शिक्षा (माध्यमिक)	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रा.म.शि.अभि.)	80.00	81.96	54.86	69
3	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान	स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य, करनाल - भवन का निर्माण	50.00	62.15	21.73	43
4	जनसंपर्क	फिल्मों का निर्माण- सूचना प्रौद्योगिकी	2.45	4.00	1.92	78
5	तकनीकी शिक्षा	राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, झज्जर	2.50	3.00	1.07	43
6	ट्रेजरी और लेखा	एकीकृत वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी	3.65	4.67	1.89	52
7	शहरी स्थानीय निकाय	अनुसूचित जाति के लिए राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान	88.00	224.00	61.60	70
		कुल	374.88	573.61	233.81	62

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (v); पृष्ठ 61)

स्कीमों के विवरण (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) जिनके लिए संशोधित बजट कम किया गया था परन्तु वास्तविक व्यय संशोधित प्रावधान के 80 प्रतिशत से भी कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	संशोधित आउटले की प्रतिशतता
1	कृषि और किसान कल्याण विभाग	संस्थागत एजेंसियों द्वारा उर्वरक के स्टॉकिंग और वितरण के लिए योजना	25.00	20.00	13.09	65
2		कृषि विस्तार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए योजना	7.00	6.99	4.70	67
3		कृषि के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (रा.ई.ग.यो.-कृषि)	9.00	6.00	2.68	45
4		आई.एस.ओ.पी.ओ.एम. - जिसका नाम अब नेशनल मिशन ऑफ ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाल्म है (एन.एम.ओ.ओ.पी.)	5.00	1.64	1.15	70
5		कृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशन	215.71	196.50	72.73	37
6	विकास और पंचायत	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आर.जी.पी.एस.ए.) - अब राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)	40.25	15.02	11.65	78
7		स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत स्वच्छता योजना - सामान्य योजना	125.00	120.00	70.94	59
8	शिक्षा (प्राथमिक)	I-VIII कक्षाओं में बी.पी.एल. छात्रों को मासिक स्टाइपेंड	12.00	10.00	5.17	52
9		स्वर्ण जयंती कार्यक्रम - स्वच्छ प्रांगण	30.00	12.00	6.00	50
10		सर्व शिक्षा अभियान	741.38	621.14	432.93	70
11	शिक्षा (माध्यमिक)	स्कूल में कंप्यूटर साक्षरता और अध्ययन	100.08	48.00	38.08	79
12	पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन	गुरुग्राम में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	5.00	1.02	0.01	1
13	परिवार कल्याण	राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो	5.83	4.00	3.08	77
14	मछली पालन	सजावटी मछली पालन के लिए योजना	10.00	6.00	3.32	55
15		ताजे पानी में मछलीपालन का विकास	20.35	17.60	8.63	49
16		खारे पानी का मछली पालन के लिए उपयोग योजना - अब नामांकित 'खारे/क्षारीय पानी का मछली पालन के लिए सदुपयोग'	5.10	3.09	1.01	33
17	वन	चिड़ियाघर और हिरण पार्कों का विस्तार	5.50	4.50	3.31	74

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	संशोधित आउटले की प्रतिशतता
18	स्वास्थ्य	बी.पी.एल. परिवारों के लिए राष्ट्रीय मजदूर स्वास्थ्य बीमा योजना	200.00	5.00	2.00	40
19	सूचना	हरियाणा के लिए आई.टी. योजना	67.50	60.00	47.25	79
20	प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार	कंप्यूटर नेटवर्क	32.60	29.00	22.82	79
21	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना पं. बी.डी.शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक	25.00	14.00	8.38	60
22		कार्यालय निदेशक, अनुसंधान और चिकित्सा शिक्षा, हरियाणा की स्थापना	8.00	7.28	5.25	72
23		बी. डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक का निर्माण कार्य- भवन का निर्माण	60.00	38.00	24.29	64
24	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान	जींद में नये सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य	30.00	4.00	1.42	36
25		बी.पी.एस. महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां (सोनीपत) का निर्माण - भवन का निर्माण (राज्य का योगदान)	97.00	4.00	2.53	63
26		नालहर में मेवात मेडिकल कॉलेज का निर्माण - भवन का निर्माण (राज्य का योगदान)	70.00	26.36	15.38	58
27		भिवानी में नये सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य	108.50	68.50	1.13	2
28	पुलिस	पुलिस स्टेशन	300.00	292.00	202.29	69
29		कार्यालय भवन	110.00	68.58	53.51	78
30	विद्युत	बिजली परियोजना के लिए हरियाणा डिस्कॉम को ऋण- द.ह.बि.वि.नि.लि. को ऋण	204.00	100.00	41.94	42
31		बिजली परियोजना के लिए हरियाणा डिस्कॉम को ऋण- उ.ह.बि.वि.नि.लि. को ऋण	350.53	191.90	10.90	6
32	जेल	जेलों का आधुनिकीकरण	35.00	18.59	1.48	8
33	जन स्वास्थ्य यांत्रिकी	ग्रामीण स्वच्छता- ग्राम में सीवरेज प्रणाली प्रदान करने के लिए महाग्राम योजना	103.50	24.07	9.72	40
34	विभाग	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति- एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.- कवरेज सेंट्रल	180.00	150.00	111.32	74
35	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को शेयर पूंजी	5.00	2.00	0.87	44

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	संशोधित आउटले की प्रतिशतता
36	ग्रामीण विकास	इंदिरा आवास योजना, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में नामांकित किया गया है, के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए आवासों के निर्माण/उन्नयन की योजना	120.00	90.00	28.65	32
37	कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कौशल प्रशिक्षण	15.00	6.48	2.44	38
38	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	अल्पसंख्यक बहुल जिलों मेवात और सिरसा के विकास के लिए योजना	50.00	13.00	1.90	15
39	खेल और युवा कल्याण	खेल पुरस्कार और प्रोत्साहन योजना- सामान्य योजना	5.00	4.55	3.54	78
40	शहरी स्थानीय निकाय	प्राकृतिक आपदा के कारण छोटे दुकानदारों की वाणिज्यिक संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजे की योजना	5.00	0.20	0.08	40
41		नया शहरी नवीकरण मिशन (AMRUT)	540.00	384.00	193.44	50
42		स्मार्ट सिटी	400.00	200.00	101.00	51
43		स्वच्छ भारत मिशन	128.00	75.00	5.65	8
44		प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी	160.00	155.00	117.44	76
45	एस.सी., एस.टी., और अन्य ओ.बी.सी. का कल्याण	अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	200.00	70.00	48.41	69
46	महिला बाल विकास	आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना (UDISHA प्रोजेक्ट)	5.00	3.00	1.00	33
47		किशोरियों के लिए योजना	18.26	10.00	0.49	5
48		अनुसूचित जाति की किशोरियों को वित्तीय सहायता - राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना (सबला) के अंतर्गत	10.00	5.00	0.04	1
		कुल	5,005.09	3,213.01	1,745.04	54

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (vii); पृष्ठ 61)

स्कीमों के ब्यौरे (₹ एक करोड़ और अधिक) जिनके लिए अनुमोदित बजट तथा संशोधित अनुमानों में समान प्रावधान रखा गया था परंतु वास्तविक व्यय प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	मूल/ संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय	आऊटले की प्रतिशतता
1	कृषि और किसान कल्याण	वर्ष 2010-11 के दौरान मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता के प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना पर योजना	1.00	0.61	61
2		किसानों को मृदा और जल परीक्षण सेवाएँ प्रदान करना- सामान्य योजना	4.00	0.69	17
3		कृषि इंजीनियरिंग सेवा के लिए योजना	5.00	3.29	66
4		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	32.00	8.65	27
5		अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	8.00	1.15	14
6	पुरातात्व और संग्रहालय	पुरातात्विक उत्खनन अन्वेषण कार्यक्रम	1.21	0.37	31
7	विकास और पंचायत	सामुदायिक विकास-हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी की स्थापना जिसका नाम बदलकर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण योजना - हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी कर दिया गया	3.10	2.00	65
8	खाद्य और आपूर्ति	गोदामों का निर्माण - नाबार्ड अंशदान	9.50	4.50	47
9	वन	अभयारण्यों का सुदृढीकरण, विस्तार और सुधार	5.00	1.46	29
10	जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी	स्टॉक - स्टॉक को क्रेडिट	5.00	1.76	35
11		जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अधिग्रहित भूमि की वार्षिकी	4.00	3.16	79
12		त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति-एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. (जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग और सर्विलांस - डब्ल्यू.क्यू.एम.एस.)	12.00	2.87	24
13		त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति-एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.-(सहायक गतिविधियाँ)	12.00	4.97	41
14		राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	15.87	7.90	50
15		नीति आयोग के अंतर्गत सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों की स्थापना	2.00	0.21	11
16	जनसंपर्क	पंचकूला में सूचना भवन के निर्माण के लिए आवंटित प्लॉट के लिए भुगतान	10.00	0.42	4
17		अंबाला कैंट में युद्ध स्मारक का निर्माण	40.00	20.64	52
18	लोक निर्माण (भवन और सड़कें)	हरियाणा राज्य में पुलों का निर्माण-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण योजना	2.00	1.40	70

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	मूल/ संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय	आऊटले की प्रतिशतता
19	लोक निर्माण (भवन और सड़कें)	हरियाणा राज्य में पुल और रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के तहत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण	60.00	41.69	69
20		अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र में सड़कों का निर्माण/ चौड़ीकरण और सुदृढीकरण/विशेष मरम्मत - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अंशदान	20.20	14.14	70
21	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों की विभिन्न शाखाओं तथा मुख्यालय के लिए - सूचना प्रौद्योगिकी स्कीम	1.50	0.74	49
22	ग्रामीण विकास	इंदिरा आवास योजना (एन.आर.) जिसका नाम बदलकर प्रधान मंत्री आवास योजना कर दिया गया के तहत एस.सी./एस.टी. मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए मकानों का निर्माण/उन्नयन - सामान्य योजना	80.00	23.05	29
23	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	राजीव गांधी परिवार बीमा योजना जिसका नाम बदलकर राजीव गांधी परिवार बीमा योजना (एस.सी.) कर दिया गया के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों को वित्तीय सहायता	1.25	0.89	71
24	खेल और युवा कल्याण	अनुसूचित जातियों के लिए बुनियादी ढाँचा योजना	20.00	12.96	65
25	तकनीकी शिक्षा	राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज नीलोखेड़ी जिला करनाल की स्थापना	5.00	3.91	78
26		चौधरी देवी लाल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना	7.00	5.21	74
27		राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रेवाड़ी की स्थापना	2.50	1.31	52
28		मौजूदा पॉलिटेक्निक का आधुनिकीकरण	1.50	1.00	67
29	परिवहन	केंद्रीय कार्यालय - सूचना प्रौद्योगिकी	2.00	0.85	43
30		हरियाणा रोडवेज डिपो	1.00	0.08	8
31	शहरी स्थानीय निकाय	केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर नगर निगमों को सहायता अनुदान	301.61	107.48	36
32		केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता अनुदान	172.65	70.39	41
33	एस.सी., एस.टी., और अन्य ओ.बी.सी. का कल्याण	मुख्यालय स्टाफ - सूचना प्रौद्योगिकी	1.00	0.44	44
34		कंप्यूटर के माध्यम से एस.सी./बी.सी. बेरोजगार युवाओं के टाइपिंग और डेटा एंट्री कौशल का उन्नयन	1.50	0.53	35
35		हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम को शेयर पूंजी	2.50	1.85	74
		कुल	852.89	352.57	41

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (x); पृष्ठ 61)

स्कीमों के ब्यौरे (₹ एक करोड़ और अधिक) जिनके लिए बजट अनुमान बढ़ाए गए थे परंतु व्यय, संशोधित अनुमानों के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आऊटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय	संशोधित आऊटले की प्रतिशतता
1	कृषि और किसान कल्याण	हैफेड को मूल्य समर्थन प्रणाली के तहत वैंट/ जी.एस.टी. प्लस मार्केट फीस की प्रतिपूर्ति	20.00	97.04	75.00	77
2		गन्ना पर प्रौद्योगिकी मिशन के लिए योजना	6.00	131.15	95.98	73
3	जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का संस्थागत सुदृढीकरण	4.00	13.80	5.34	39
4		त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति - एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.- आपदाएं	2.00	3.20	2.44	76
5	लोक निर्माण (भवन और सड़कें)	हरियाणा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय (पंचकूला) का निर्माण कार्य	1.00	12.00	6.00	50
6	ग्रामीण विकास	विधायक आदर्श ग्राम योजना	50.20	180.20	42.00	23
7		डी.आर.डी.ए. प्रशासन	5.00	10.00	5.92	59
8	शहरी स्थानीय निकाय	राज्य की नगर पालिकाओं में नगर पालिका केंद्रों में चौपालों/सामुदायिक केंद्रों के उन्नयन के लिए योजना	2.40	3.00	2.33	78
9		राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर नगरपालिका समिति को सहायता अनुदान	187.00	476.00	256.40	54
10		राजीव आवास योजना के तहत अनुसूचित जाति घटक - नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना अनुसूचित जाति कर दिया गया	24.00	102.85	74.66	73
		कुल	301.60	1,029.24	566.07	55

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1 (ii); पृष्ठ 62)

स्कीमों के विवरण जिनमें बचत ₹ एक करोड़ से अधिक थी

क्र. सं.	स्कीम का नाम तथा लेखा शीर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
	राजस्व (दत्तमत)				
1	मुख्यालय स्टाफ भू-अभिलेख कृषि जनगणना (2029-51-103-96)	1.96	0.62	1.34	68
2	स्थापना व्यय (2029-51-103-97-98)	1.46	0.25	1.21	83
3	मुख्यालय स्टाफ (2029-51-103-99)	9.45	6.05	3.40	36
4	नए पटवार खाना का निर्माण (2029-51-800-97-51)	76.08	2.19	73.89	97
5	स्थापना व्यय (2052-51-099-99-98)	38.51	33.93	4.58	12
6	उप-मंडल स्थापना (2053-51-094-99)	31.59	25.04	6.55	21
7	आयुक्त स्थापना (2053-51-101-99)	15.38	12.01	3.37	22
8	ग्रामीण क्षेत्र में मानव निर्मित/प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त संपत्तियों के लिए वित्तीय सहायता/अनुग्रह राहत/क्षतिपूर्ति (2235-01-200-99)	3.00	0.00	3.00	100
9	चकबंदी का समेकन (2506-51-102-98)	13.24	10.91	2.33	18
10	सर्वेक्षण/पुनःसर्वेक्षण और सर्वेक्षण एवं निपटान रिकॉर्ड का अद्यतनीकरण (2506-51-103-98-99)	10.50	5.50	5.00	48
11	मेवात क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए योजना (2705-51-101-99)	36.00	16.20	19.80	55
12	शिवालिक क्षेत्र के विकास के लिए सहायता अनुदान (2705-51-102-99)	17.85	12.50	5.35	30
13	मेवात क्षेत्र की अनुसूचित जातियों के एकीकृत विकास के लिए सहायता अनुदान (2705-51-789-99)	4.00	1.80	2.20	55
14	गज़ेटियर्स (3454-02-110-99)	2.57	1.49	1.08	42
15	कृषि सुधार राजस्व (3475-51-201-99)	3.26	2.09	1.17	36
	कुल	264.85	130.58	134.27	51

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1 (iii); पृष्ठ 62)

पिछले तीन वर्षों की सतत् बचतों से संबंधित शीर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष स्कीम-वार (लेखा शीर्ष)	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	मुख्यालय स्टाफ भू-अभिलेख कृषि जनगणना (2029-51-103-96)	2016-17	1.09	0.83	0.26	24
		2017-18	1.35	0.41	0.94	70
		2018-19	1.96	0.62	1.34	68
2	मुख्यालय स्टाफ (2029-51-103-99)	2016-17	13.99	6.80	7.19	51
		2017-18	3.21	1.80	1.41	44
		2018-19	9.45	6.05	3.40	36
3	चेकिंग स्टाफ (2030-02-001-99-51)	2016-17	1.44	1.07	0.37	26
		2017-18	1.47	1.30	0.17	12
		2018-19	1.69	1.23	0.46	27
4	चेकिंग स्टाफ (2030-02-102-99-51)	2016-17	4.00	1.75	2.25	56
		2017-18	2.66	1.76	0.90	34
		2018-19	2.20	1.76	0.44	20
5	अनुलेखन एजेंसी स्थापना (2053-51-094-98)	2016-17	2.81	2.01	0.80	28
		2017-18	2.75	1.72	1.03	37
		2018-19	2.29	1.64	0.65	28
6	ग्रामीण क्षेत्र में मानव निर्मित/प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त संपत्तियों के लिए वित्तीय सहायता/ अनुदान राहत/क्षतिपूर्ति (2235-01-200-99)	2016-17	11.44	0.00	11.44	100
		2017-18	3.00	0.06	2.94	98
		2018-19	3.00	0.00	3.00	100
7	स्थापना शुल्क और पुनर्वास योजनाएं जिला और राजस्व स्टाफ (2235-01-202-99)	2016-17	2.45	1.53	0.92	37
		2017-18	2.25	1.60	0.65	29
		2018-19	1.93	1.68	0.25	13
8	कृषि सुधार राजस्व (3475-51-201-99)	2016-17	3.32	2.14	1.18	35
		2017-18	3.36	2.28	1.08	32
		2018-19	3.26	2.09	1.17	36

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (ii); पृष्ठ 64)

स्कीमों के विवरण जिनमें बचत ₹ एक करोड़ से अधिक थी

क्र. सं.	स्कीम का नाम तथा लेखा शीर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	स्थापना व्यय (2059-80-001-95-98)	11.20	8.71	2.49	22
2	कार्यान्वयन (2059-80-001-96)	378.99	313.23	65.76	17
3	न्याय प्रशासन (2216-05-053-99-99)	4.00	0.80	3.20	80
4	हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए टोल शुल्क के लिए राहत (3054-01-337-98)	2.50	0.93	1.57	63
5	राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों का रखरखाव और मरम्मत (3054-01-337-99)	4.97	0.22	4.75	96
6	सड़क कार्य -एन.ए.- (3054-03-337-51)	55.01	19.42	35.59	65
7	ग्रामीण सड़कें (3054-04-337-98)	530.01	332.48	197.53	37
8	जिला सड़कें (3054-04-337-99)	40.01	20.36	19.65	49
	कुल राजस्व	1,026.69	696.15	330.54	32
1	रोज़गार भवन का निर्माण (4059-01-051-68)	5.00	0.08	4.92	98
2	राज्य सतर्कता ब्यूरो के लिए कार्यालय भवन का निर्माण (4059-01-051-69)	20.00	0.00	20.00	100
3	जिला प्रशासन (4059-01-051-99)	232.30	148.62	83.68	36
4	कार्यालय भवन (गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा) के निर्माण के लिए भूमि की खरीद (4059-01-201-99)	2.00	0.00	2.00	100
5	ट्रेजरी और लेखा प्रशासन (4059-60-051-72)	5.00	0.00	5.00	100
6	जेलें (4059-60-051-96)	70.00	53.72	16.28	23
7	आबकारी एवं कराधान (4059-60-051-97)	20.00	15.33	4.67	23
8	न्याय प्रशासन (4059-60-051-98)	93.80	61.29	32.51	35
9	माध्यमिक विद्यालय भवन (4202-01-202-99)	130.00	99.56	30.44	23
10	पॉलिटेक्निकों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण (4202-02-789-99)	10.00	0.00	10.00	100
11	भवन (युवा छात्रावास) (4202-03-101-99)	10.00	1.86	8.14	81
12	भवन (पुरातत्व) (4202-04-106-99)	10.00	3.91	6.09	61
13	स्वर्ण जयंती योजना के तहत भवनों का निर्माण (4210-03-101-90)	10.00	0.00	10.00	100
14	सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेजों/अस्पतालों के भवनों का निर्माण (4210-03-101-91)	80.00	4.19	75.81	95
15	सरकारी आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक औषधालयों के भवन का निर्माण/मरम्मत (4210-03-101-92)	5.00	0.94	4.06	81
16	उप-मंडल स्तर पर आवासीय परिसर/ट्रांजिट फ्लैटों के लिए स्वर्ण जयंती योजना (4216-01-106-76)	20.00	1.00	19.00	95
17	लोक निर्माण कार्य (4216-01-106-96)	15.00	8.91	6.09	41
18	जेलें (4216-01-106-97)	51.20	39.25	11.95	23
19	जिला प्रशासन (4216-01-106-98)	60.00	15.73	44.27	74
20	न्याय प्रशासन (4216-01-106-99)	55.00	23.94	31.06	56

क्र. सं.	स्कीम का नाम तथा लेखा शीर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
21	हरियाणा में निदेशालय और फील्ड कार्यालयों के निर्माण के लिए संस्थागत भूखंड की खरीद संस्थागत की खरीद के रूप में नामांकित (4235-02-101-93)	5.00	0.21	4.79	96
22	युवतियों/महिलाओं और निराश्रित महिलाओं तथा विधवाओं के लिए गृह-सह-व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र (4235-02-103-99)	8.00	0.03	7.97	100
23	अनाथ और वृद्ध के कल्याण के लिए घर जिसका नाम बदलकर वृद्ध और शिशु के लिए घर रेवाड़ी (स्वर्ण जयंती परियोजना) कर दिया गया (4235-02-104-99)	6.00	0.08	5.92	99
24	श्रम न्यायालय परिसर का निर्माण (4250-51-201-96)	3.00	1.28	1.72	57
25	अनुसूचित जाति विंग के लिए प्रशिक्षण भवन (4250-51-789-98)	17.00	12.24	4.76	28
26	नई आई.टी.आई. (स्वर्ण जयंती) का निर्माण (4250-51-800-90)	30.00	14.29	15.71	52
27	कृषि कार्यालय भवनों का निर्माण (4401-51-113-97)	10.44	2.09	8.35	80
28	हिसार में स्वर्ण जयंती इंटीग्रेटेड एविएशन हब (5053-60-800-96)	120.00	38.23	81.77	68
29	एयरोड्रोम का रखरखाव (5053-60-800-99)	50.00	1.28	48.72	97
30	राज्य योजना के तहत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण (5054-03-101-81-99)	10.00	5.87	4.13	41
31	सी.आर.एफ. के तहत सड़कों का निर्माण/चौड़ीकरण और उन्नयन (5054-03-337-87)	200.00	95.14	104.86	52
32	नाबार्ड योजना के तहत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण (5054-04-101-84-97)	30.00	19.11	10.89	36
33	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के तहत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण (5054-04-101-84-98)	60.00	41.69	18.31	31
34	नाबार्ड योजना के लिए सड़कों का सुदृढीकरण/चौड़ीकरण और बाईपास का निर्माण (5054-04-337-98-97)	170.00	134.32	35.68	21
35	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के लिए सड़कों का सुदृढीकरण/चौड़ीकरण और बाईपास का निर्माण (5054-04-337-98-98)	70.00	49.04	20.96	30
36	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के तहत निर्माण सुदृढीकरण/चौड़ीकरण (5054-04-337-99-98)	70.00	49.53	20.47	29
37	राज्य योजना के लिए सड़कों का निर्माण/चौड़ीकरण और सुधार (5054-04-337-99-99)	70.00	57.61	12.39	18
38	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अंशदान (5054-04-789-99-97)	20.20	14.14	6.06	30
39	नाबार्ड अंशदान (5054-04-789-99-98)	50.00	40.47	9.53	19
40	राज्य अंशदान (5054-04-789-99-99)	60.00	8.68	51.32	86
41	हरियाणा राज्य में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए राज्य शेयर प्रदान करना (5054-80-800-98)	200.00	6.13	193.87	97
	कुल पूंजी	2,163.94	1,069.79	1,094.15	51

परिशिष्ट 2.17

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (iii); पृष्ठ 64)

पिछले तीन वर्षों की सतत् बचतों से संबंधित शीर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष स्कीम-वार (लेखा शीर्ष)	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	वास्तुकला इकाई - स्थापना व्यय - (2059-80-001-95-98)	2016-17	11.59	8.73	2.86	25
		2017-18	10.50	8.32	2.18	21
		2018-19	11.20	8.71	2.49	22
2	कार्यान्वयन (2059-80-001-96)	2016-17	414.32	310.10	104.22	25
		2017-18	398.47	310.51	87.96	22
		2018-19	378.99	313.23	65.76	17
3	मशीनरी (2059-80-052-96)	2016-17	9.32	7.40	1.92	21
		2017-18	9.51	6.03	3.48	37
		2018-19	5.29	4.68	0.61	12
4	हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए टोल शुल्क हेतु राहत (3054-01-337-98)	2016-17	4.00	1.60	2.40	60
		2017-18	3.00	1.46	1.54	51
		2018-19	2.50	0.93	1.57	63
5	राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों का रखरखाव और मरम्मत (3054-01-337-99)	2016-17	7.00	1.56	5.44	78
		2017-18	4.79	2.40	2.39	50
		2018-19	4.97	0.22	4.75	96
6	ग्रामीण सड़कें - (3054-04-337-98)	2016-17	528.15	470.22	57.93	11
		2017-18	510.05	449.36	60.69	12
		2018-19	530.01	332.48	197.53	37
7	रोज़गार भवन का निर्माण (4059-01-051-68)	2016-17	1.40	0.00	1.40	100
		2017-18	2.50	0.00	2.50	100
		2018-19	5.00	0.08	4.92	98
8	जिला प्रशासन - (4059-01-051-99)	2016-17	140.00	38.88	101.12	72
		2017-18	150.00	53.63	96.37	64
		2018-19	232.30	148.62	83.68	36
9	माध्यमिक विद्यालय भवन - (4202-01-202-99)	2016-17	25.00	11.76	13.24	53
		2017-18	186.00	111.71	74.29	40
		2018-19	130.00	99.56	30.44	23
10	पॉलिटेक्निकों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण - (4202-02-789-99)	2016-17	10.00	1.32	8.68	87
		2017-18	5.00	0.66	4.34	87
		2018-19	10.00	0.00	10.00	100
11	भवन (युवा छात्रावास) (4202-03-101-99)	2016-17	10.00	2.40	7.60	76
		2017-18	10.00	2.48	7.52	75
		2018-19	10.00	1.86	8.14	81
12	सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेजों/अस्पतालों का निर्माण (4210-03-101-91)	2016-17	9.20	1.12	8.08	88
		2017-18	50.50	4.78	45.72	91
		2018-19	80.00	4.19	75.81	95
13	जेलें (4216-01-106-97)	2016-17	25.00	10.22	14.78	59
		2017-18	25.00	5.96	19.04	76
		2018-19	51.20	39.25	11.95	23
14	जिला प्रशासन (4216-01-106-98)	2016-17	45.00	24.77	20.23	45
		2017-18	75.00	16.72	58.28	78
		2018-19	60.00	15.73	44.27	74

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष स्कीम-वार (लेखा शीर्ष)	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
15	न्याय प्रशासन (4216-01-106-99)	2016-17	60.00	26.26	33.74	56
		2017-18	60.00	19.75	40.25	67
		2018-19	55.00	23.94	31.06	56
16	श्रम न्यायालय परिसर का निर्माण (4250-51-201-96)	2016-17	3.50	1.90	1.60	46
		2017-18	3.00	2.43	0.57	19
		2018-19	3.00	1.28	1.72	57
17	नई आई.टी.आई. (स्वर्ण जयंती) का निर्माण (4250-51-800-90)	2016-17	28.00	10.85	17.15	61
		2017-18	47.00	28.67	18.33	39
		2018-19	30.00	14.29	15.71	52
18	हिसार में स्वर्ण जयंती इंटीग्रेटेड एविएशन हब (5053-60-800-96)	2016-17	50.00	1.82	48.18	96
		2017-18	50.00	4.08	45.92	92
		2018-19	120.00	38.23	81.77	68
19	एयरोड्रोम का रखरखाव (5053-60-800-99)	2016-17	20.00	9.00	11.00	55
		2017-18	20.00	5.18	14.82	74
		2018-19	50.00	1.28	48.72	97
20	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के लिए पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण (5054-03-101-81-98)	2016-17	140.40	19.21	121.19	86
		2017-18	15.00	7.38	7.62	51
		2018-19	2.00	1.40	0.60	30
21	नाबार्ड योजना के तहत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण (5054-04-101-84-97)	2016-17	22.00	8.89	13.11	60
		2017-18	30.00	22.24	7.76	26
		2018-19	30.00	19.11	10.89	36
22	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के तहत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण (5054-04-101-84-98)	2016-17	162.00	22.17	139.83	86
		2017-18	100.00	64.77	35.23	35
		2018-19	60.00	41.69	18.31	31
23	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के लिए सड़कों का सुदृढीकरण/चौड़ीकरण और बाईपास का निर्माण (5054-04-337-98-98)	2016-17	178.40	24.42	153.98	86
		2017-18	40.00	5.00	35.00	88
		2018-19	70.00	49.04	20.96	30
24	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के तहत निर्माण सुदृढीकरण/चौड़ीकरण (5054-04-337-99-98)	2016-17	179.40	24.55	154.85	86
		2017-18	40.00	4.00	36.00	90
		2018-19	70.00	49.53	20.47	29
25	राज्य योजना के लिए सड़कों का निर्माण/चौड़ीकरण और सुधार (5054-04-337-99-99)	2016-17	60.00	49.93	10.07	17
		2017-18	70.00	55.93	14.07	20
		2018-19	70.00	57.61	12.39	18
26	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अंशदान (5054-04-789-99-97)	2016-17	219.60	30.05	189.55	86
		2017-18	35.00	18.51	16.49	47
		2018-19	20.20	14.14	6.06	30
27	नाबार्ड अंशदान (5054-04-789-99-98)	2016-17	124.00	81.45	42.55	34
		2017-18	50.00	40.55	9.45	19
		2018-19	50.00	40.47	9.53	19

परिशिष्ट 2.18

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.3; पृष्ठ 65)

चयनित अनुदानों के बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण में देरी का विवरण

क्र. सं.	मांग संख्या और नामकरण	कार्यालय का नाम	वित्त विभाग के मानदंडों के अनुसार नियत तारीख	प्रस्तुत अनुमान की वास्तविक तिथि	दिन में देरी
1	4/2053	अपर मुख्य सचिव और वित्तीय आयुक्त, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग	15 अक्टूबर 2017 से 05 नवंबर 2017	19 नवंबर 2017	14
2	4/3475			22 दिसंबर 2017	47
3	4/3454			27 नवंबर 2017	22
4	4/2245			27 नवंबर 2017	22
5	4/2029			27 नवंबर 2017	22
6	4/2075			27 दिसंबर 2017	52
7	4/2052			27 नवंबर 2017	22
8	4/3451			27 नवंबर 2017	22
9	4/2030			01 दिसंबर 2017	26
10	4/2075			20 नवंबर 2017	15
11	4/2029	निदेशक भू-अभिलेख		21 दिसंबर 2017	46
12	4/2506			01 जनवरी 2018	56
13	8/5053	प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय सलाहकार, नागरिक उड्डयन हरियाणा		11 दिसंबर 2017	36
14	8/2059	वास्तुकला विभाग		06 दिसंबर 2017	31
15	8/5054	प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग		11 दिसंबर 2017	37
16	8/4216	(बी एंड आर)		11 दिसंबर 2017	37

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.2; पृष्ठ 68)

31 मार्च 2019 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
1	पुलिस (2055)	2017-18	3	71.22	3	71.22	1	18.15	2	53.07
2	सामान्य शिक्षा (2202)	2014-15	739	1,382.54	8	1.02	-	-	8	1.02
		2015-16	1,063	1,542.62	37	93.15	4	15.92	33	77.23
		2016-17	1,332	1,618.88	67	195.12	41	146.83	26	48.29
		2017-18	1,385	1,656.36	1385	1,656.36	1,363	1,579.16	22	77.19
3	तकनीकी शिक्षा (2203)	2016-17	102	227.06	10	43.47	7	26.97	3	16.50
		2017-18	90	218.18	90	218.18	81	181.38	9	36.80
4	खेल एवं युवा सेवाएं (2204)	2015-16	130	124.02	69	32.78	44	27.47	25	5.31
		2016-17	56	90.69	51	82.66	30	74.39	21	8.27
		2017-18	229	73.14	229	73.14	212	58.80	17	14.34
5	कला एवं संस्कृति (2205)	2015-16	7	3.51	4	3.31	3	3.01	1	0.30
		2016-17	4	10.00	4	10.00	2	4.50	2	5.50
		2017-18	5	4.95	5	4.95	2	0.40	3	4.55
6	चिकित्सा (2210)	2016-17	78	935.68	2	1.11	1	0.36	1	0.75
		2017-18	82	1,031.67	82	1,031.67	56	694.22	26	337.45
7	परिवार कल्याण (2211)	2017-18	1	0.03	1	0.03	-	-	1	0.03
8	शहरी विकास (2217)	2012-13	96	1,274.01	27	363.13	3	22.48	24	340.65
		2013-14	73	1,120.80	24	436.30	4	62.41	20	373.89
		2014-15	87	1,115.43	46	458.31	18	273.11	28	185.20
		2015-16	122	1,478.70	76	614.93	15	192.62	61	422.31
		2016-17	219	2,227.25	177	1,494.29	21	161.76	156	1,332.54
		2017-18	395	2,781.01	395	2,781.01	54	1,017.42	341	1,763.59
9	सूचना एवं प्रचार (2220)	2017-18	70	16.25	70	16.25	11	0.55	59	15.70
10	एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यकों का कल्याण (2225)	2017-18	1,272	107.66	1272	107.66	1271	107.64	1	0.02
11	श्रम एवं रोजगार (2230)	2017-18	4	23.07	4	23.07	2	16.35	2	6.72
12	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (2235)	2014-15	33	43.71	4	12.28	2	0.75	2	11.53
		2015-16	355	50.55	8	4.77	2	1.42	6	3.35
		2016-17	137	4.84	2	0.12	-	-	2	0.12
		2017-18	38	34.20	38	34.20	19	19.52	19	14.68
13	फसल पालन (2401)	2017-18	16	153.98	16	153.98	-	-	16	153.98
14	मृदा और जल संरक्षण (2402)	2016-17	2	0.59	2	0.59	-	-	2	0.59
		2017-18	84	1.20	84	1.20	73	1.00	11	0.20
15	पशु पालन (2403)	2016-17	74	88.02	33	1.16	29	0.96	4	0.20
		2017-18	86	74.08	86	74.08	72	50.30	14	23.78

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
16	मछली पालन (2405)	2017-18	21	1.42	21	1.42	17	1.28	4	0.14
17	वानिकी और वन्यजीव (2406)	2017-18	3	10.71	3	10.71	-	-	3	10.71
18	सहकारिता (2425)	2017-18	5	155.80	5	155.80	-	-	5	155.80
19	विशेष प्रोग्राम एवं ग्रामीण विकास (2501)	2015-16	103	64.19	26	8.17	22	7.07	4	1.10
		2016-17	87	69.16	51	58.22	31	11.13	20	47.09
		2017-18	112	135.06	112	135.06	57	29.23	55	105.83
20	ग्रामीण रोजगार (2505)	2014-15	165	333.36	3	1.47	-	-	3	1.47
		2015-16	48	285.52	22	110.68	11	19.88	11	90.80
		2016-17	7	218.78	2	119.22	-	-	2	119.22
		2017-18	15	211.07	15	211.07	-	-	15	211.07
21	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2515)	2009-10	68	366.26	1	10.85	-	-	1	10.85
		2010-11	48	267.83	9	42.83	-	-	9	42.83
		2011-12	222	722.40	62	182.72	21	45.72	41	137.00
		2012-13	266	882.65	63	172.06	24	84.04	39	88.02
		2013-14	249	1,263.49	93	499.76	17	29.24	76	470.52
		2014-15	3,871	1,191.66	104	634.63	45	404.22	59	230.40
		2015-16	3,845	1,261.94	169	583.90	67	376.10	102	207.80
		2016-17	4,166	2,262.96	187	1,238.33	45	781.49	142	456.84
22	कमांड एरिया डेवलपमेंट (2705)	2015-16	21	212.59	2	1.57	-	-	2	1.57
		2016-17	20	154.10	3	2.33	-	-	3	2.33
		2017-18	19	75.45	19	75.45	18	67.95	1	7.50
23	ग्राम और लघु उद्योग (2851)	2016-17	20	29.70	3	6.17	1	0.50	2	5.67
24	उद्योग (2852)	2015-16	28	31.02	6	22.30	5	18.61	1	3.69
		2016-17	36	61.70	16	34.88	6	18.88	10	16.00
		2017-18	23	126.50	23	126.50	17	54.61	6	71.89
25	ऊर्जा का गैर-पारंपरिक स्रोत (2810)	2017-18	12	0.71	12	0.71	11	0.70	1	0.01
26	नागर विमानन (3053)	2017-18	2	1.00	2	1.00	1	0.30	1	0.70
27	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान (3425)	2015-16	52	21.94	5	4.65	1	0.51	4	4.14
		2016-17	37	13.05	2	0.83	1	0.52	1	0.31
		2017-18	31	14.13	31	14.13	22	9.71	9	4.42
28	पारिस्थितिकी और पर्यावरण (3435)	2014-15	12	2.17	1	0.10	-	-	1	0.10
		2015-16	8	2.15	4	0.35	2	0.15	2	0.20
		2016-17	4	1.62	4	1.62	2	1.02	2	0.60
		2017-18	3	1.37	3	1.37	-	-	3	1.37
29	नागरिक आपूर्ति (3456)	2015-16	28	8.22	26	3.08	5	3.02	21	0.06
		2017-18	14	0.04	14	0.04	13	0.03	1	0.01
कुल			25,792	31,175.2	9,187	15,697.06	7,455	7,227.57	1,732	8,469.49

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3; पृष्ठ 68)

निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
	सहायता प्राप्त निजी कॉलेज		
1	जी.एम.एन. कॉलेज, अंबाला कैंट	2017-18	1.03
2	एस.डी. कॉलेज, अंबाला कैंट	2016-17	5.87
		2017-18	10.31
3	आर्य गर्ल्स कॉलेज, अंबाला कैंट	2017-18	3.22
4	डी.ए.वी. कॉलेज, अंबाला शहर	2016-17	6.08
5	एस.ए. जैन कॉलेज, अंबाला शहर	2016-17	4.85
		2017-18	6.94
6	एम.डी.एस.डी. कॉलेज, अंबाला शहर	2016-17	2.23
		2017-18	2.57
7	एस.एल.डी.ए.वी. शिक्षा कॉलेज, अंबाला शहर	2016-17	1.55
		2017-18	1.87
8	एस.एम. लुबाना खालसा गर्ल्स कॉलेज, बरारा, अंबाला	2016-17	2.09
		2017-18	2.94
9	डी.ए.वी. कॉलेज, नैनौला, अंबाला	2016-17	1.03
		2017-18	1.07
10	एम.पी.एन. कॉलेज, मुलाना (अंबाला)	2016-17	2.35
		2017-18	3.17
11	डी.ए.वी. कॉलेज, करनाल	2015-16	2.45
		2017-18	2.34
12	डॉ. गणेश दास डी.ए.वी. शिक्षा कॉलेज, करनाल	2014-15	0.01
		2017-18	0.45
13	के.वी.डी.ए.वी. महिलाओं के लिए कॉलेज, करनाल	2016-17	3.44
		2017-18	5.10
14	दयाल सिंह कॉलेज, करनाल	2016-17	6.23
		2017-18	9.08
15	गुरु नानक खालसा कॉलेज, करनाल	2016-17	2.36
		2017-18	1.86
16	आईबी कॉलेज, पानीपत	2016-17	3.66
		2017-18	4.86
17	आर्य कॉलेज, पानीपत	2016-17	4.01
		2017-18	5.86
18	गांधी आदर्श कॉलेज, समालखा, पानीपत	2016-17	0.28
		2017-18	0.70
19	वैश्य गर्ल्स कॉलेज, समालखा (पानीपत)	2016-17	1.04
		2017-18	1.44
20	सी.आर. किसान कॉलेज, जींद	2016-17	3.30
		2017-18	3.62
21	हिंदू कन्या महाविद्यालय जिंद	2016-17	2.08
22	एस.डी. महिला महाविद्यालय, नरवाना, जींद	2016-17	1.11
		2017-18	1.35
23	एम.एल.एन. कॉलेज, यमुनानगर	2016-17	6.76
		2017-18	8.51
24	डी.ए.वी. गर्ल्स कॉलेज, यमुनानगर	2016-17	4.16
		2017-18	5.62

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
	सहायता प्राप्त निजी कॉलेज		
25	हिंदू गर्ल्स कॉलेज, जगाधरी, यमुनानगर	2016-17	2.46
		2017-18	2.93
26	डी.ए.वी. कॉलेज, साढौरा	2016-17	1.73
27	आई.जी. नेशनल कॉलेज, लाडवा, कुरुक्षेत्र	2016-17	2.53
		2017-18	2.94
28	भगवान परशु राम कॉलेज, कुरुक्षेत्र	2016-17	3.35
		2017-18	3.68
29	एम.एन. कॉलेज, शाहाबाद, कुरुक्षेत्र	2016-17	2.01
		2017-18	2.82
30	आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहबाद, कुरुक्षेत्र	2016-17	2.95
		2017-18	3.83
31	डी.ए.वी. कॉलेज, पिहोवा	2016-17	3.23
		2017-18	3.70
32	एस.एन.आर.एल. जय राम गर्ल्स कॉलेज, लोहार माजरा, कुरुक्षेत्र	2016-17	0.68
		2017-18	2.33
33	आर.के.डी.ए.वी. कॉलेज, कैथल	2016-17	5.57
		2017-18	6.57
34	आई.जी. महिला महाविद्यालय., कैथल	2016-17	1.13
		2017-18	1.26
35	डी.ए.वी. कॉलेज, पुंडरी	2016-17	1.82
		2017-18	1.80
36	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, फतेहपुर पुंडरी	2016-17	2.83
		2017-18	3.53
37	बी.ए.आर. जनता कॉलेज कौल, कैथल	2016-17	2.02
		2017-18	2.08
38	डी.ए.वी. कॉलेज, चीका	2016-17	2.65
		2017-18	2.75
39	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, ढंड डडवान, कैथल	2016-17	2.54
		2017-18	3.53
40	एम.एम. कॉलेज, फतेहाबाद	2017-18	3.28
41	सी.एम.के. नेशनल गर्ल्स कॉलेज, सिरसा	2016-17	2.40
		2017-18	3.41
42	गुरु हरि सिंह महाविद्यालय, जीवन नगर, सिरसा	2016-17	1.20
		2017-18	1.49
43	एम.पी. लड़कियों के लिए कॉलेज, डबवाली	2016-17	1.87
		2017-18	2.51
44	बी.एस.के. शिक्षा कॉलेज, मंडी डबवाली	2016-17	0.58
		2017-18	0.97
45	सी.आर.एम. जाट कॉलेज, हिसार	2016-17	5.29
		2017-18	6.30
46	डी.एन. कॉलेज, हिसार	2016-17	4.97
		2017-18	8.38
47	एफ.सी. कॉलेज फॉर विमेन, हिसार	2016-17	3.10
		2017-18	2.85
48	सी.आर. शिक्षा कॉलेज, हिसार	2016-17	1.21
		2017-18	1.51
49	डी.ए.वी. महिला महाविद्यालय, हांसी	2016-17	1.08
		2017-18	1.22

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
	सहायता प्राप्त निजी कॉलेज		
50	सी.आर.ए. कॉलेज, सोनीपत	2016-17	3.47
		2017-18	3.40
51	हिंदू कॉलेज, सोनीपत	2016-17	5.21
		2017-18	6.80
52	हिंदू गर्ल कॉलेज, सोनीपत	2016-17	5.56
		2017-18	7.58
53	टी.आर. शिक्षा कॉलेज, सोनीपत	2016-17	0.75
		2017-18	1.07
54	गीता विद्या मंदिर के.एम.वी., सोनीपत	2016-17	5.38
		2017-18	8.12
55	टी.आर. गर्ल्स कॉलेज, सोनीपत	2016-17	1.59
		2017-18	1.73
56	कन्या महाविद्यालय, खरखौदा, सोनीपत	2016-17	1.47
		2017-18	2.24
57	वैश्य कॉलेज, भिवानी	2016-17	4.69
		2017-18	6.08
58	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी	2016-17	3.76
		2017-18	4.56
59	जे.वी.एम. जी.आर.आर. कॉलेज, चरकरी दादरी	2016-17	3.97
		2017-18	5.80
60	ए.पी.जे. सरस्वती कन्या महाविद्यालय, चरखी दादरी	2016-17	
		2017-18	1.50
61	बी.एल.जे. सुइवाला कॉलेज, तोशाम	2016-17	1.80
		2017-18	2.54
62	महिला महाविद्यालय, झोझू कलां, भिवानी	2016-17	0.73
		2017-18	1.02
63	वाई.एम. डिग्री कॉलेज, नूंह	2016-17	0.99
		2017-18	1.72
64	निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज, सोहना, गुरुग्राम	2016-17	1.53
		2017-18	1.72
65	आर.एस.एल. शिक्षा कॉलेज, सिधरावली, गुरुग्राम	2016-17	1.29
		2017-18	1.58
66	वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय, बहादुरगढ़	2016-17	0.94
		2017-18	2.42
67	एम.ए. महिला कॉलेज, झज्जर	2016-17	2.19
		2017-18	3.41
68	जी.जी.डी.डी.ए.वी. कॉलेज, पलवल	2016-17	3.85
		2017-18	5.86
69	अग्रवाल कॉलेज, बल्लभगढ़	2016-17	2.95
		2017-18	3.87
70	डी.ए.वी. सेंटनरी कॉलेज, फरीदाबाद	2016-17	2.63
		2017-18	4.31
71	सरस्वती महिला महाविद्यालय, पलवल	2016-17	1.75
		2017-18	2.98
72	के.एल.पी. कॉलेज, रेवाड़ी	2016-17	5.58
		2017-18	8.71
73	एस.पी. शिक्षा कॉलेज, रेवाड़ी	2016-17	0.85
		2017-18	0.66

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
	सहायता प्राप्त निजी कॉलेज		
74	अहीर कॉलेज, रेवाड़ी	2016-17	2.98
		2017-18	3.79
75	आर.बी.एस. शिक्षा कॉलेज, रेवाड़ी	2016-17	0.42
		2017-18	0.58
76	आर.डी.एस. पब्लिक गर्ल्स कॉलेज, रेवाड़ी	2016-17	2.58
		2017-18	4.46
77	डी.ए.वी. गर्ल्स कॉलेज, कोसली, रेवाड़ी	2016-17	0.61
		2017-18	0.73
78	ऑल इंडिया जाट हीरो मेमोरियल कॉलेज, रोहतक	2016-17	10.38
		2017-18	15.17
79	जी.बी. डिग्री कॉलेज, रोहतक	2016-17	1.82
		2017-18	3.25
80	श्री एल.एन. हिंदू कॉलेज, रोहतक	2016-17	1.88
		2017-18	2.68
81	वैश्य कॉलेज, रोहतक	2016-17	3.61
		2017-18	5.76
82	जी.बी. शिक्षा कॉलेज, रोहतक	2016-17	0.63
83	वैश्य शिक्षा कॉलेज, रोहतक	2016-17	0.63
		2017-18	1.04
84	वैश्य गर्ल्स कॉलेज, रोहतक	2016-17	2.84
		2017-18	3.36
85	एस.जे.के. कॉलेज, कलानौर, रोहतक	2017-18	3.31
86	सी.आर. शिक्षा कॉलेज, रोहतक	2016-17	1.17
		2017-18	1.81
87	एम.के. जाट कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2016-17	3.28
		2017-18	3.54
कुल			520.64

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4; पृष्ठ 69)

स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय हैं	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2019 तक)
1	हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, पंचकूला	2017-18 से 2021-22	2016-17	2016-17	2014-15	2017-18	एक वर्ष
2	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	2018-19 से 2022-23	2017-18	2017-18	2017-18	--	--
3	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.), पंचकुला	2017-18 से 2021-22	2017-18	2015-16	2014-15	--	--
4	हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड, पंचकूला	2014-15 से 2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	--	--
5	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला	2015-16 से 2019-20	2017-18	2017-18	2015-16	--	--
6	हरियाणा वक्फ बोर्ड, अंबाला छावनी	2018-19 से 2022-23	2017-18	2017-18	प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं	--	--
7	हरियाणा राज्य कानून सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2015-16	2015-16	2013-14	2016-17 व 2017-18	दो वर्ष
8	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा.), भिवानी	-सम-	2017-18	2016-17	1996-97	--	--
9	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, फरीदाबाद	-सम-	2017-18	2016-17	1996-97	--	--
10	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, फतेहाबाद	-सम-	2017-18	2015-16	1996-97	--	--
11	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, गुरुग्राम	-सम-	2016-17	2016-17	1996-97	2017-18	एक वर्ष
12	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, झज्जर	-सम-	2016-17	-	2011-12	2017-18	एक वर्ष ¹
13	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, कैथल	-सम-	2017-18	2016-17	1996-97	--	--
14	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, पंचकूला	-सम-	2017-18	2015-16	1999-2000	--	--
15	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, पानीपत	-सम-	2016-17	2016-17	1996-97	2017-18	एक वर्ष
16	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, रेवाड़ी	-सम-	2017-18	2015-16	1996-97	--	--

¹ निकाय द्वारा वर्ष 1996-97 से 2010-11 तक के वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2019 तक)
17	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, रोहतक	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2017-18	2016-17	1996-97	-	-
18	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, सोनीपत	-सम-	2017-18	2015-16	1996-97	--	--
19	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, यमुनानगर	-सम-	2015-16	2015-16	1996-97	2016-17 व 2017-18	दो वर्ष
20	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, हिसार	-सम-	2017-18	2015-16	1996-97	--	--
21	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, नारनौल	-सम-	2017-18	2016-17	1996-97	--	--
22	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, सिरसा	-सम-	2017-18	2017-18	1996-97	--	--
23	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, अंबाला	-सम-	2017-18	2016-17	1996-97	--	--
24	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, जींद	-सम-	2016-17	2016-17	1996-97	2017-18	एक वर्ष
25	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, करनाल	-सम-	2017-18	2016-17	1996-97	--	--
26	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, कुरुक्षेत्र	-सम-	2017-18	2016-17	1996-97	--	--
27	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, मेवात (नूंह)	-सम-	2017-18	2014-15	2009-10	--	--
28	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, पलवल	-सम-	2017-18	2016-17	2012-13	--	--
29	हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	-सम-	2017-18	2016-17	2008-09	--	--
30	हरियाणा विद्युत नियामक आयोग	-सम-	2017-18	2017-18	2015-16	--	--

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 70)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	विभाग	विभाग के अधीन उपक्रम/स्कीमों के नाम	तक लेखे अन्तिमकृत किए गए	पिछले अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेखाओं को तैयार करने में विलम्ब हेतु टिप्पणियां/कारण
1	कृषि	बीज डिपो स्कीम ²	1988-89	-	1988-89 के पश्चात् कोई लेखे तैयार नहीं किए गए हैं।
2	कृषि	कीटनाशकों का क्रय एवं वितरण	1986-87	0.82	विभाग द्वारा 1986-87 के पश्चात् कीटनाशकों/ खरपतवारनाशक का कोई क्रय नहीं किया गया था।
3	मुद्रण एवं स्टेशनरी	राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम	2007-08	17.97	-
4	खाद्य एवं आपूर्ति	अनाज आपूर्ति स्कीम	2015-16	6,908.27	-
5	परिवहन	हरियाणा रोडवेज	2014-15	1,186.24	स्टॉफ की कमी के कारण विलम्ब हुआ
कुल				8,113.30	

² ये स्कीमें 1986-87 (कीटनाशकों का क्रय एवं वितरण) तथा 1984-85 (बीज डिपो स्कीम) से बंद हैं।

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.6; पृष्ठ 70)

दुरुपयोग, गबन इत्यादि के मामलों का विभाग-वार/अवधि-वार विघटन, जिनमें अन्तिम कार्रवाई
30 जून 2019 तक लम्बित थी

(कोष्ठक में आंकड़े इंगित करते हैं ₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष तक	20 से 25 वर्ष तक	25 वर्ष तथा अधिक	कुल
1	पंचायत का विकास	0	0	1 (6.50)	0	0	0	1 (6.50)
2	पशुपालन और डेयरी	1 (0.08)	-	-	-	-	-	1 (0.08)
3	आर्थिक और सांख्यिकीय	2 (0.03)	-	-	-	-	-	2 (0.03)
4	शिक्षा	15 (34.72)	-	1 (0.09)	3 (1.11)	-	3 (2.04)	22 (37.96)
5	वन विभाग	1 (0.25)	-	-	-	-	-	1 (0.25)
6	हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	2 (0.87)	-	-	-	-	-	2 (0.87)
7	श्रम एवं रोजगार	2 (0.15)	-	-	-	-	-	2 (0.15)
8	चिकित्सा	2 (0) ³	-	-	-	-	-	2 (0)
9	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	1 (3.00)	-	-	-	-	-	1 (3.00)
10	पुलिस	-	-	1 (3.79)	-	-	-	1 (3.79)
11	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	3 (8.63)	-	-	-	-	-	3 (8.63)
12	खेल एवं युवा कल्याण	1 (39.58)	-	-	-	-	-	1 (39.58)
13	तकनीकी शिक्षा	-	-	-	1 (6.52)	-	-	1 (6.52)
14	नगर एवं ग्राम आयोजना	1 (1.44)	-	-	-	-	-	1 (1.44)
15	परिवहन	-	-	-	1 (3.17)	-	1 (0.60)	2 (3.77)
16	खजाना एवं लेखा	1 (6.27)	-	-	-	-	-	1 (6.27)
17	महिला एवं बाल विकास	1 (0) ¹	-	-	-	-	-	1 (0)
18	सिंचाई	0	3 (0.00)	7 (5.62)	2 (0.00)	3 (0.24)	12 (1.07)	27 (6.93)
19	जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग	1 (0.35)	1 (1.61)	-	-	-	-	2 (1.96)
20	भवन एवं सड़कें	1 (0.00)	-	-	-	-	-	1 (0.00)
	कुल	35 (95.37)	4 (1.61)	10 (16.00)	7 (10.80)	3 (0.24)	16 (3.71)	75 (127.73)

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.6; पृष्ठ 70)

सरकारी सामग्री की चोरी, दुरुपयोग/हानि के कारण सरकार को हानि के मामलों के विभाग/श्रेणीवार ब्यौरे

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुरुपयोग/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
विकास एवं पंचायत	1	6.50	-	-	1	6.50
पशुपालन और डेयरी	1	0.08	-	-	1	0.08
आर्थिक और सांख्यिकीय	1	0.03	1	0.00	2	0.03
शिक्षा	19	36.57	3	1.39	22	37.96
वन विभाग	1	0.25	-	-	1	0.25
हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	2	0.87	-	-	2	0.87
श्रम एवं रोजगार	2	0.15	-	-	2	0.15
चिकित्सा	2	0.00	-	-	2	0.00
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	1	3.00	-	-	1	3.00
पुलिस	-	-	1	3.79	1	3.79
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	3	8.63	-	-	3	8.63
खेल एवं युवा कल्याण	1	39.58	-	-	1	39.58
तकनीकी शिक्षा	1	6.52	-	-	1	6.52
नगर एवं ग्राम आयोजना	-	-	1	1.44	1	1.44
परिवहन	-	-	2	3.77	2	3.77
खजाना एवं लेखा	-	-	1	6.27	1	6.27
महिला एवं बाल विकास	1	0.00	-	-	1	0.00
सिंचाई	22	6.61	5	0.32	27	6.93
जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग	2	1.96	-	-	2	1.96
भवन एवं सड़कें	-	-	1	0.00	1	0.00
कुल	60	110.75	15	16.98	75	127.73

शब्दावली

पारिभाषिक शब्दावली

राजस्व प्राप्तियां	राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार से सहायतानुदान शामिल हैं।
पूंजीगत प्राप्तियां	पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि विनिवेश से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से ऋण प्राप्तियां तथा भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों के साथ लोक लेखा से उपार्जन शामिल हैं।
राज्य कार्यान्वयन एजेंसीज	राज्य कार्यान्वयन एजेंसीज में गैर-सरकारी संगठनों सहित ऐसे संगठन/संस्थाएं शामिल होते हैं जो राज्य में विशेष कार्यक्रमों, को कार्यान्वित करने हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जाते हैं। जैसे सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.) के लिए राज्य कार्यान्वयन सोसायटी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि।
उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात, मूल परिवर्ती में दिये गये परिवर्तन के संबंध में वित्तीय परिवर्ती की लचक अथवा उत्तरदायित्वता की डिग्री इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.5 पर राजस्व उत्प्लावकता सूचित करती है कि यदि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत तक बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियां 0.5 प्रतिशतता प्वाइंट्स तक बढ़ जाएगी।
कोर पब्लिक गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिनका सभी नागरिक एक साथ इस समझ के साथ लाभ उठाते हैं कि ऐसी वस्तु की प्रत्येक व्यक्ति द्वारा खपत उस वस्तु की अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली खपत को कम नहीं करती उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का लागू करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण रहित वायु और अन्य पर्यावरणीय वस्तुएं एवं सड़क मूलभूत संरचना आदि।
मैरिट गुड्स	मैरिट गुड्स वे आवश्यक वस्तुएं हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा रियायती दरों पर प्रदान करता है क्योंकि योग्यता और सरकार को अदा करने की इच्छा के बजाय वे प्रत्येक व्यक्ति या समाज को उनकी जरूरत की धारणा के आधार पर प्राप्त होनी चाहिए ऐसी वस्तुओं के उदाहरण में पोषण के प्रोत्साहन हेतु गरीबों को मुफ्त अथवा सब्सिडाइज्ड आहार का प्रबन्ध और रूग्णता को कम करने एवं जीवन स्तर में सुधार के लिये स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदानगी, सबको मौलिक शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता आदि प्रदान करना शामिल है।

विकास व्यय	व्यय आंकड़े का विश्लेषण विकास एवं गैर-विकास व्यय में बांटा गया है। राजस्व लेखे, पूंजीगत परिव्यय और ऋण एवं अग्रिम से सम्बन्धित सभी व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मोटे तौर पर, सामाजिक और आर्थिक सेवाएं, विकास व्यय का हिस्सा हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकास व्यय समझा जाता है।
ऋण पोषण सक्षमता	ऋण पोषण सक्षमता, काफी समय तक लगातार ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात कायम रखने के लिए राज्य की योग्यता और अपने ऋणों की पूर्ति करने की योग्यता के मामले को सम्मिलित करके परिभाषित किया गया है। इसलिए ऋण पोषण सक्षमता वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्वों की पूर्ति के लिये अस्थिर परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत एवं ऐसे उधारों से प्रतिलाभ के मध्य संतुलन बनाने की क्षमता को भी परिभाषित करता है। इससे अभिप्राय है कि राजकोषीय घाटे की बढ़ोतरी, ऋण की पूर्ति की क्षमता में वृद्धि से मेल खानी चाहिए।
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता	राज्य की वर्धित गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता वर्धित ब्याज देयताओं और वर्धित प्राथमिक व्यय को आवृत करने से है। ऋण पोषण क्षमता को महत्वपूर्ण ढंग से सहायता मिलेगी यदि वर्धित गैर-ब्याज प्राप्तियां, वर्धित ब्याज भार और वर्धित प्राथमिक व्यय की पूर्ति कर दें।
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण माफी (मूलधन जमा ब्याज अदायगियां) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को इंगित करते हुए उस सीमा को इंगित करता है जिसमें ऋण प्राप्तियों को ऋण माफी में उपयोग किया जाता है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय से अभिप्राय ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय से है।

संकेताक्षरों की शब्दावली

अ.भा.औ.	अखिल भारतीय औसत
अ.यो.	अनुमोदित योजना
आई.जी.एस.टी.	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
उ.प्र.प.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
उ.ह.बि.वि.नि.लि.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
उदय	उज्ज्वल डिस्कोम आश्वासन योजना
एन.एस.डी.एल.	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
एस.जी.एस.टी	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
चौ.वि.आ.	चौदहवां वित्त आयोग
जी.एस.टी.	वस्तु एवं सेवा कर
डिस्कॉमज	विद्युत् वितरण कंपनियां
ते.वि.आ.	तेरहवां वित्त आयोग
द.ह.बि.वि.नि.लि.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
प. व अ.	परिचालन एवं अनुरक्षण
प.अं.पें.यो.	परिभाषित अंशदान पेंशन योजना
प.प्रा.पा.	पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
पं.रा.सं.	पंचायती राज संस्थान
पूं.प्रा.	पूंजीगत प्राप्तियां
पूं.व्य.	पूंजीगत व्यय
भा.रि.बैं.	भारतीय रिजर्व बैंक
भा.स.	भारत सरकार
म.अ.रा.नी.वि.	मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी
म.ले.	महालेखाकार
रा.आ.प्र.नि.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि
रा.उ.ब.प्र.	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005
रि.वा.द.	रिटर्न की वार्षिक दर
ले. व हक.	लेखा व हकदारी
वि.व्य.	विकास व्यय
वे. व म.	वेतन एवं मजदूरी
वैट	मूल्य वर्धित कर
स.घ.उ.	सकल घरेलू उत्पाद
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
सं.औ.वृ.द.	संयोजित औसत वृद्धि दर
सा.क्षे.उ.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
सा.क्षे.व्य.	सामाजिक क्षेत्र व्यय
ह.वि.उ.नि.लि.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
ह.वि.प्र.नि.लि.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.aghry.nic.in